चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 24 जुलाई– 30 जुलाई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

नीतीश उपप्रधानमंत्री बनेंगे??

एक व्यक्ति कितने चक्रव्यूह तोड़ सकता है, दूसरे शब्दों में, वो कितने मोर्चों पर लड़ सकता है? लड़ाई भी ऐसी जो खुली न होकर के छुपी लड़ाई हो और जिसमें उसके सामने हार का खतरा हर पल मंडराता हो और ताकतें भी ऐसी, जो सत्ता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने हाथ में रखना चाहती हों.

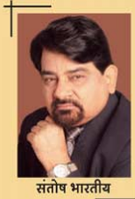

संतोष भारतीय

देश पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय एकमात्र भविष्य की बड़ी चुनौती के रूप में नीतीश कुमार खड़े हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी प्रकार अपने साथ लेना चाहती है और अगर वो साथ नहीं आते हैं, तो उनका राजनैतिक ध्वंस कैसे हो इसके लिए दिन रात अपना दिमाग लगा रही है. संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम करने वाले रणनीतिकारों का ये स्पष्ट मानना है कि उनके लिए चुनौती राहुल गांधी नहीं हैं, उनके लिए चुनौती सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं. इसलिए वो उन्हें न केवल लालू यादव से बल्कि संपूर्ण विपक्ष से अलग कराकर अपने साथ लाने के लिए जी–जान से कोशिश कर रहे हैं. ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है कि अगर थोड़े वोट भी कम आते और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में कोई परेशानी होती, तो बजाय लालकृष्ण आडवाणी के या किसी और भाजपा नेता के, वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठाना ज्यादा श्रेयस्कर समझते. नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार की भाषा संघ और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण लग रही है. जनमानस के बीच या तो नीतीश कुमार का नाम है, जो 2019 के लिए केंद्र के उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर दूसरा नाम प्रियंका गांधी का है. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की साख खत्म भी करना चाहती है, वो चाहे उन्हें अपने साथ लाकर या उन्हें अपने से दूर रखकर.

जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी से बात करने का नीतीश कुमार का सबसे सशक्त माध्यम सुशील मोदी थे. सुशील मोदी का व्यक्तित्व भी सौम्य और मुलायम रहा है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होते हुए नीतीश कुमार को सरकार चलाने में कभी कोई परेशानी होने नहीं दिया. जब भी नीतीश कुमार के कदम

को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच से सवाल उठे, सुशील मोदी ने उसे वहीं रोक दिया. आज सुशील मोदी पूरी ताकत से इसके लिए दिन–रात कोशिशें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लालू यादव से अलग कर, अपना पुराना गठजोड़ सत्ता में कैसे आए. लालू यादव और उनके परिवार के प्रति सुशील मोदी का महाअभियान चल रहा है, जिसमें वो किसी भी प्रकार लोगों की नजरों में लालू यादव और उनके परिवार की साख समाप्त करना चाहते हैं. उनके पास जो कागज आ रहे हैं, दस्तावेज आ रहे हैं, उन्हें लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में वे सफलता पूर्वक अफवाह फैला रहे हैं कि इन कागजों को उनके पास नीतीश कुमार के सहयोगी ही भेज रहे हैं.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी इन सबको अच्छी तरह समझ चुकी है कि देश में जिस तरह की आर्थिक नीतियां हैं या जिस तरह सरकार अपने किए हुए वादों से दूर होती जा रही है, साथ ही जैसे–जैसे सोशल मीडिया पर वो सारे वीडियो सामने आते जा रहे हैं, जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी का, पाकिस्तान का और सीमा पर कमजोरी का हवाला देते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी के लिए 2019 की लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी. भारतीय जनता पार्टी ये भी अच्छी तरह समझ रही है कि नौकरियों में कमी, महंगाई में बढ़ोतरी, व्यापार में मंदी और उनके सबसे सशक्त समर्थक वर्ग, व्यापारियों में उनके प्रति गुस्सा उन्हें 2019 के लिए परेशानी में डाल सकता है. 2019 का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अच्छा और आसान रास्ता है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आएं. उन्हें इसमें कोई मुश्किल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का एकमात्र नेता बनने में न केवल परेशानी होगी, बल्कि भीतरघात का सामना भी करना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी हो या सारी क्षेत्रीय पार्टियां हों, जिनमें समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या फिर नवीन पटनायक, इनमें से कोई भी नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता बनाने में आसानी से स्वीकृती नहीं देंगे.

कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार का समर्थन कभी नहीं करेगी, क्योंकि समर्थन करते ही राहुल गांधी का भविष्य शून्य हो जाएगा. राहुल गांधी की साख देश में नहीं बन पाई, उनकी पार्टी चुनाव हारती जा रही है. विपक्ष को एक करने का कोई तरीका कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं और विपक्ष का कोई भी नेता राहुल गांधी से बात करना नहीं चाहता. वे सोनिया गांधी से बात करना चाहते हैं. सोनिया गांधी भी इस चीज को अच्छी तरह समझ रही हैं, इसलिए राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की जी जान से कोशिश कर रही हैं, ताकि अगर किसी को बात करनी हो, तो वे राहुल गांधी से बात करें. राहुल गांधी की परेशानी ये है कि वे विचार के नाम पर, संघर्ष के नाम पर और लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाने के नाम पर बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का संगठन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी की चलेगी और सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं. सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को जिस तरह विपक्ष के नेताओं से संपर्क रखना चाहिए, वो संभावना स्वयं कांग्रेस पार्टी इसलिए मिटा रही है, क्योंकि वो अभी भी इस भ्रम से नहीं उभरी है कि वो सत्ता में नहीं है. दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोहभंग होता है, तो उनके सामने सिवाय कांग्रेस पार्टी को वोट देने के और कोई चारा नहीं बचेगा. कांग्रेस के अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश में है. ये दूसरी बात है कि कांग्रेस भी अब एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है. इसलिए उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसके सम्पर्क करने का तरीका एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियों जैसा हो गया है और दूसरी तरफ वो क्षेत्रीय पार्टियों के किसी भी नेता की संभावना को समाप्त करने की रणनीति पर लगातार चल रही है. नीतीश कुमार राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़े हैं. इसलिए कांग्रेस (शेष पृष्ठ 2 पर)

3 यूपी में सरकार सपा की या भाजपा की!

5 गौशाला की दुर्दशा

6 खुवर चारो खाने चित

7 न्याय की आस में नर्मदा घाटी के डूब प्रभावित

नीतीश उपप्रधानमंत्री बनेंगे??

पृष्ठ 1 का शेष

पार्टी नीतीश कुमार को विपक्ष के नेता के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर रही है. विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी न खुद आगे बढ़ रही है, न समस्याओं के ऊपर जनता को संगठित कर रही है. कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की उस मांग पर भी ध्यान नहीं दे रही है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए और न ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में खुद को लाने की सोच को बढ़ावा दे रही है. कांग्रेस में विचार के स्तर पर और रणनीति के स्तर पर कोई ऐसा समूह नहीं है, जो सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को राय दे सके. बस एक धारा है, जो सिकुड़ रही है, सिमट रही है, लेकिन चल रही है.

अखिलेश यादव के दिमाग में उनके साथियों ने ये बैठा दिया है कि उत्तर प्रदेश का होने के नाते वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जो विपक्ष के सामूहिक नेतृत्व का भार संभाल सकते हैं. बीच में अखिलेश यादव ने मायावती से मिलने के संकेत दिए, ममता बनर्जी जी से मुलाकात की, विपक्ष के कुछ नेताओं से बात भी की. लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी नेतृत्व का पद अभी दूर है, पर ये विपक्षी नेताओं का सोचना है, स्वयं अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर न नीतीश कुमार को नेता मानेंगे, न ममता बनर्जी को नेता मानेंगे. 2019 में वे मायावती जी के साथ इस आधार पर समझौता कर सकते हैं कि मायावती जी दिल्ली की राजनीति करें, वे उन्हें उनके ज्यादा उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए समर्थन दें और बदले में मायावती जी विधानसभा में अखिलेश यादव का समर्थन करें. अब राजनीति का सबसे बड़ा पेच यही है कि मायावती दिल्ली जाना नहीं चाहतीं, वे चाहती हैं कि अखिलेश दिल्ली की राजनीति करें और वे स्वयं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी रहें.

कुल मिलाकर नीतीश कुमार दोनों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. ये परेशानी अभी समाप्त होती नहीं दिखाई देती. भारतीय जनता पार्टी में नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बीच दस दिन पहले एक विचार विमर्श हुआ. उस विचार विमर्श में ये प्रस्ताव सामने आया कि नीतीश कुमार को तैयार किया जाए कि वे देश की राजनीति में आएं और उपप्रधानमंत्री पद का जिम्मा संभालें. संघ का मानना है कि अगर नीतीश कुमार देश के उपप्रधानमंत्री बनते हैं, तब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सारे कांटे स्वयं साफ हो जाएंगे. संघ चाहता है कि नीतीश कुमार को ये आश्वासन दिया जाए कि बिहार में उनके सारे समर्थकों को लोकसभा के लिए टिकट दिए जाएंगे. नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी को बनाए रखने का निर्णय लेते हैं तब भी और नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तब भी. अगर नीतीश कुमार चाहें, तो उत्तर भारत में जहां-जहां उनके प्रमुख समर्थक हैं, वो जगह उन्हें देने में भी संघ को कोई परेशानी नजर नहीं आती. स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत के मन में नीतीश कुमार को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है. एक कोना ऐसा है, जिसमें वो नीतीश कुमार को देश के लिए अच्छा व्यक्ति मानते हैं. नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति का मुकाबला संघ शराबबंदी करके ही जीतना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है. संघ ये मानता है कि प्रमुख राज्यों में 2019 के चुनाव से पहले अगर वो शराबबंदी की घोषणा करवा दे, तो नीतीश कुमार के हाथ से शराबबंदी का मुद्दा छीन सकता है, जिसका समर्थन बड़े पैमाने पर महिलाओं ने किया है. इसे देखते हुए संघ चाहता है कि देश के विकास का वास्ता देकर नीतीश कुमार को उपप्रधानमंत्री बनाया जाए.

नीतीश कुमार के रास्ते में तीसरी सबसे बड़ी बाधा देश के पूंजीपति हैं. उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योगपतियों के रोल को उतना नहीं समझते. जिस तरह अब तक नीतीश कुमार ने देश के उद्योगपतियों को बिहार निवास में घुसने की अनुमती नहीं दी, अगर वे देश के प्रधानमंत्री बने, तो आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन करेंगे. देश के उद्योगपतियों का जैसा वर्चस्व भारत के सत्ता केंद्र पर बना रहता है, शायद उसे भी वे न मानें. इसलिए भारत के बड़े उद्योगपति नीतीश कुमार को बहुत शंका की दृष्टि से देख रहे हैं. बड़े उद्योगपति, जिनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी और बिड़ला शामिल हैं, ये सब अफवाहें फैलाते हैं कि नीतीश कुमार को जब आर्थिक रूप से कोई आवश्यकता होती है, तो ये मदद देते हैं. लेकिन देश के उन लोगों को, जो इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के पास पूंजीपतियों का कोई पैसा नहीं जाता और न कोई पूंजीपति उनके इतने नजदीक है. नीतीश कुमार के अपने दरबार में कुछ लोग हैं, जो बहुत छोटे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से रिश्ता रखते हैं. यद्यपि ये दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के स्वयं के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख कुटनीतिज्ञ अरुण जेटली से हैं. दोनों हमउम्र हैं, बिहार आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं और अरुण जेटली व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की बहुत इज्जत करते हैं. जब सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के मित्र के नाते अरुण जेटली ने उस समय के बिहार के गठबंधन को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था. लेकिन देश का उद्योग जगत नीतीश कुमार को देश के लिए बहुत सही व्यक्ति नहीं मानता.

विदेशी ताकतें, जो भारत की राजनीति को प्रभावित करती हैं, जिनमें अमेरिका हो या चीन हो, ये दोनों ही नीतीश कुमार को अपने हितों के अनुकूल नहीं मानते. इन दोनों महाशक्तियों के ऐसे लोग, जो भारत की राजनीति का न केवल विश्लेषण करते हैं, बल्कि इसे नियंत्रित करने में सहायक लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार का अहम इन महाशक्तियों को भारत की राजनीति पर हावी होने देने में एक अवरोध का काम करेगा. नीतीश कुमार उनके लिए उस तरह का हथियार नहीं बन सकते, जिस तरह का हथियार अभी तक भारत के शीर्ष पर बैठे लोग बनते चले आए हैं.

निश्चित तौर पर नीतीश कुमार चुनौती पेश कर सकते हैं. फिर भी उनके दोस्तनुमा दुश्मन इस बात को लेकर परेशान नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे देश में घूमकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकें. नीतीश कुमार के सामने देश में सभाएं करने के कई अवसर आए, कई प्रदेशों की जनता की तरफ से कई प्रस्ताव आए, लेकिन वे कहीं गए नहीं. इसलिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में रहकर सत्ता में रहना चाहते हैं. दिल्ली की गद्दी उन्हें आकर्षित नहीं करती, इसलिए वे निश्चिंत हैं.

नीतीश कुमार की एक बड़ी कमजोरी उनकी अपनी पार्टी में ऐसे लोगों का अभाव है, जो उन्हें देश के फलक पर स्थापित कर सकें. नीतीश के पास राष्ट्रीय स्तर पर दो-तीन या चार लोगों के अलावा कोई ऐसे लोग नहीं हैं, जो उन्हें जानकारी दे सकें और संपर्क भी रख सकें. हो सकता है नीतीश कुमार इसलिए भी बिहार से बाहर न निकलना चाहते हों. लेकिन वे ऐसे लोगों की तलाश भी नहीं करना चाहते. कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं ये कि ये नीतीश कुमार की रणनीति है या उनकी कमजोरी है या वे राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षाएं खो चुके हैं.

हालांकि आज की राजनीति में नीतीश कुमार अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें संभावनाएं भी हैं, संभावनाएं पूरी करने की क्षमता भी है, लेकिन संभावनाओं की हत्या करने में भी वे उतने ही कुशल हैं. देश के हालात, कश्मीर नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, गृह नीति, उद्योग नीति या देश के किसानों और नौजवानों के हालात को लेकर नीतीश कुमार के बयान अब तक लोगों के सामने प्रमुखता से नहीं आए हैं. इसलिए देश के लोगों को भी एक भ्रम है कि इन सवालों पर नीतीश कुमार क्या सोचते हैं. लेकिन उनका ये सोच तो तब सामने आए, जब वे इन सवालों के ऊपर देश में घूमें और अपनी राय रखें. नीतीश कुमार ये नहीं कर रहे हैं. यही सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सामने भी है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. ■

नीतीश कुमार के रास्ते में तीसरी सबसे बड़ी बाधा देश के पूंजीपति हैं. उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योगपतियों के रोल को उतना नहीं समझते. जिस तरह अब तक नीतीश कुमार ने देश के उद्योगपतियों को बिहार निवास में घुसने की अनुमती नहीं दी, अगर वे देश के प्रधानमंत्री बने, तो आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन करेंगे. देश के उद्योगपतियों का जैसा वर्चस्व भारत के सत्ता केंद्र पर बना रहता है, शायद उसे भी वे न मानें. इसलिए भारत के बड़े उद्योगपति नीतीश कुमार को बहुत शंका की दृष्टि से देख रहे हैं. बड़े उद्योगपति, जिनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी और बिड़ला शामिल हैं, ये सब अफवाहें फैलाते हैं कि नीतीश कुमार को जब आर्थिक रूप से कोई आवश्यकता होती है, तो ये मदद देते हैं. लेकिन देश के उन लोगों को, जो इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के पास पूंजीपतियों का कोई पैसा नहीं जाता और न कोई पूंजीपति उनके इतने नजदीक है. नीतीश कुमार के अपने दरबार में कुछ लोग हैं, जो बहुत छोटे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से रिश्ता रखते हैं.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 21
24 जुलाई- 30 जुलाई 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कभी न रुकने वाली गति

सत्ता परिवर्तन के बावजूद उत्तर प्रदेश अधिकारियों के लिए आसान राज्य नहीं बन पाया है. राज्य में जब से भाजपा की सरकार आई है, राजनेताओं द्वारा आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले बढ़ गए हैं. ये उन कुछ गतिविधियों में शामिल है, जो सरकार बदलने के साथ नहीं बदलीं और अखिलेश सरकार की तरह ही योगी सरकार में भी मौजूद हैं.

ताज़ा मामला आईपीएस अधिकारी चारू निगम को भाजपा विधायक द्वारा डांट फटकार का है. इससे पहले के मामले आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और अन्य वरिष्ठ बाबुओं जैसे अमिताभ ठाकुर और लव कुमार (आईपीएस) से जुड़े हुए हैं. सूत्रों का कहना है कि 13 से अधिक आईपीएस अधिकारियों ने कैडर में बदलाव के लिए केंद्र से लॉबिंग शुरू कर दी है. बड़े पैमाने पर हो रहे स्थानांतरण ने उत्तर प्रदेश के बाबू मंडल में अनिश्चितता और हताशा का माहौल बना दिया है. सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने छह अलग-अलग मौकों पर लगभग 400 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. आखिरी बार 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ. राहुल भटनागर को हटा कर 1981 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है.

राज्य में अपराध के मामलों में वृद्धि के कारण पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने 74 आईएएस अधिकारियों और 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था. शपथ ग्रहण के समय आदित्यनाथ ने कहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी. अप्रैल महीने में योगी सरकार ने 84 आईएएस और 54 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था. बहरहाल, इन सभी प्रशासनिक परिवर्तनों के बावजूद, राज्य में ये धारणा बनी है कि शासन की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है. ■

भ्रष्ट बाबू सावधान!

केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है. भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में 39 आईएएस अधिकारियों की जांच चल रही है. ये जांच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा की जा रही है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए नोडल प्राधिकरण है. ज़ाहिर तौर पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के 29 अधिकारियों को भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है.

सेवा वितरण और प्रशासन प्रणाली में अधिक सुधार के प्रयासों के तहत केंद्र भी अपने कर्मचारियों की व्यापक समीक्षा कर रहा है. मानदंडों के अनुसार, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी के प्रदर्शन की दो बार समीक्षा की जाती है. पहली, सेवा में आने के 15 साल बाद और फिर सेवा ग्रहण के 25 साल बाद.

पिछले एक साल में, केंद्र ने 129 नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है, जिनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. केंद्र ने नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों की पहचान के लिए लगभग 67,000 कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा भी की है. उनमें से 25,000 कर्मचारी अखिल भारतीय और ग्रुप ए सेवा से सम्बंधित हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के अधिकारी शामिल हैं. ■

अव्यवस्थित तबादला

मणिपुर के मुख्य सचिव ओइनम नबाकिशोर का तबादला ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के महानिदेशक के रूप में होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. एक अन्य आईएएस अधिकारी आरआर रश्मी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. 1984 बैच के आईएएस अधिकारी नबाकिशोर को 30 सितंबर 2015 को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. निजी कारणों का हवाला देते हुए नबाकिशोर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, जो इस साल 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी.

साफ है कि तबादला नौकरशाहों को अच्छा नहीं लगा. वे मुख्यमंत्री नंगथोम्बम बिरेन सिंह द्वारा नबाकिशोर के अचानक तबादले के फैसले से सहमत नहीं हैं. मुख्यमंत्री का बचाव करने वालों का कहना है कि रश्मी, नबाकिशोर से वरिष्ठ हैं और वे पद के योग्य हैं. इस पक्ष का कहना है कि मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख की नियुक्ति मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. नबाकिशोर की हिमायत करने वाले 'वरिष्ठता' की दलील को खारिज करते हैं, क्योंकि कैडर में दो आईएएस अधिकारी ऐसे हैं, जो मुख्य सचिव से वरिष्ठ हैं.

इस बीच, नबाकिशोर ने इस्तीफा देकर मैदान छोड़ दिया है, लेकिन बहुतों का मानना है कि अनुभवी बाबू जल्द ही इस राजनीतिक अवतार में नज़र आएंगे. सूत्रों का कहना है कि वे बहुसंख्यक मयेति समुदाय से आने वाले पहला मुख्य सचिव थे. उनके तबादले की वजह से उनके गृहनगर में विरोध शुरू हो गया है. ■

सरकारी वकीलों में सपाइयों की बेतहाशा नियुक्ति पर लोग पूछ रहे सवाल

यूपी में सरकार सपा की या भाजपा की!

- सरकारी वकीलों की नियुक्ति में खूब चली पैरवी और रिश्वतख़ोरी
- भाजपा का चारित्रिक चेहरा बेनक़ाब, संघ भी नाकारा साबित हुआ
- संगठन मंत्री सुनील बंसल ने किया भाजपाई हितों का सत्यानाश
- क़ानून मंत्री जानते ही नहीं कैसे हुई सरकारी वकीलों की नियुक्ति
- महाधिवक्ता ने भी कहा, उनसे सत्ता या संगठन ने नहीं ली राय
- ऐसे भी लोग सरकारी वकील बने जो वकील के रूप में दर्ज नहीं
- लिस्ट फाइनल करने के 'उपकार' में प्रमुख सचिव बन गए जज
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से की गई हस्तक्षेप की अपील

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में भी वही सब चल रहा है जो पूर्ववर्ती सपा सरकार में चल रहा था या उसके पहले बसपा सरकार में चल रहा था. यानि, सिफारिशवाद, जातिवाद, गुटवाद और रिश्वतवाद योगी सरकार में भी उतनी ही तेज गति से चल रहा है. भाजपाइयों को बहुत दिनों के बाद सत्ता मिली है तो घूसखोरी की स्पीड अधिक है और इसमें कोई लोकलाज भी नहीं बरती जा रही है. योगी सरकार के सौ दिन में सबसे बड़ी नियुक्ति विभिन्न स्तर के सरकारी वकीलों की हुई और इसमें पैरवी और घूसखोरी जम कर चली. सरकार बनने के बाद ही सत्ता गलियारे में यह हवा फैलाई गई कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के सारे निर्णय संगठन के स्तर पर होंगे. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रदेशभर की इकाइयां अपने-अपने क्षेत्र से योग्य वकीलों की सूची संगठन मंत्री सुनील बंसल तक भेजेंगीं और नियुक्ति का आखिरी फैसला सुनील बंसल ही लेंगे. इस हवा का प्रसारण बड़े ही सुनियोजित तरीके से हुआ और नतीजा यह हुआ कि सुनील बंसल की दुकान जम गई. उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक के वकीलों का लखनऊ में जमघट लगने लगा और बंसल का 'राग-दरबारी' गाने लगा. संघ के पदाधिकारियों ने भी आनन-फानन लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया और जिले-जिले से वकीलों की लिस्ट संगठन मंत्री के समक्ष गिरने लगी. भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की पहली मंजिल पर बना सुनील बंसल का आलीशान कक्ष पैरवीकारों और पूंजीकारों से सजने लगा और आम लोगों व कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजा बंद हो गया. बंसल ने भी ऐसा ही 'एक्ट' करना शुरू किया कि जैसे वे ही प्रदेश के असली मुख्यमंत्री हैं, योगी तो बस आदेशपालक हैं. जब मुख्यमंत्री ही ढक्कन तो मंत्री की क्या बिसात! बृजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं. उनसे पूछिए कि विभिन्न स्तर के सरकारी वकीलों की एक भी नियुक्ति क्या वे कर पाए हैं? पाठक कहेंगे, 'नो-कमेंट'... और हम पूरी गंभीरता से कहेंगे कि प्रदेश के कानून मंत्री को मालूम ही नहीं था कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति किनकी हुई और कैसे हुई.

उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति ने भाजपा की चारित्रिक असलियत को बेनकाब कर दिया है. इसका ठीकरा आखिरकार योगी आदित्यनाथ पर ही फूटना है. बंसल तो आराम से राजस्थान निकल लेंगे. वे इस बात का जवाब भी नहीं देंगे कि उन्होंने सैकड़ों सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए समाजवादी पार्टी से जुड़े वकीलों को रिकोमेंड करते समय भारतीय जनता पार्टी के किस हित का ध्यान रखा! सपाई वकीलों ने बंसल को किस तरह प्रभावित किया होगा, इसे समझना कोई पहेली नहीं है. भारत की मुख्य-धारा का जिन लोगों को भान होगा, वे प्रभाव के समुचित फ्रेम पर बंसल को कस कर देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं. भाजपाई हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री बनाए गए और सत्ताई शक्ति से सुशोभित किए गए सुनील बंसल की सिफारिश पर तकरीबन सौ ऐसे वकीलों की नियुक्ति की गई जो सपाई हैं. इनमें से 50 वकीलों की तो घोषित सपाई पृष्ठभूमि है. बंसल ने संघ की लिस्ट की ऐसी-तैसी करके रख दी. विभिन्न स्तर के सरकारी वकीलों की नियुक्ति औपचारिक तौर पर सरकारी मुहर से होनी थी, लिहाजा इन नियुक्तियों का औपचारिक 'श्रेय' तो योगी सरकार को ही मिला. यह भी विचित्र ही है कि सरकारी वकीलों की लिस्ट में जजों के बेटे और नाते-रिश्तेदारों को शामिल कर विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय जज बन गए और बड़े नियोजित तरीके से मंच से पटाक्षेप कर गए. हैरत यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सब दिख क्यों नहीं रहा!

बहरहाल, योगी सरकार ने सपा सरकार में मंत्री रहे शिवाकांत ओझा के बेटे सत्यांशु ओझा समेत तमाम सपाई सरकारी वकीलों को फिर से नियुक्त कर दिया. योगी सरकार ने दो सौ से अधिक सरकारी वकील नियुक्त किए हैं, जिनमें तकरीबन सौ वकील सपाई हैं. इनके अलावा 79 नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई अधिकृत जानकारी ही नहीं है कि वे नाम किसके कहने पर सूची में जोड़े गए. इसका जवाब भी सुनील बंसल को ही देना चाहिए. योगी सरकार ने सपा शासन के दौरान नियुक्त किए गए सभी मुख्य अधिवक्ताओं, अपर मुख्य अधिवक्ताओं, स्थायी अधिवक्ताओं और ब्रीफ होल्डरों को हटाया और इन पदों पर फिर अधिकांश सपाई अधिवक्ताओं को ही नियुक्त कर दिया. यही सपाई वकील अब भाजपा सरकार के कानूनी मसले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हल करेंगे. पिछले दिनों प्रदेश के न्याय विभाग ने पुरानों को हटाने और नयों को नियुक्त करने के सरकारी प्रहसन का आधिकारिक ब्यौरा जारी किया. इसके मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में चार मुख्य स्थायी अधिवक्ता और 25 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई. इसके अलावा हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चार मुख्य स्थायी अधिवक्ता और 21 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए. यह तैनाती एक वर्ष के लिए की गई है.

विकास चंद्र त्रिपाठी, जगन्नाथ मौर्य, डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी और ओम प्रकाश शर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाए गए. जबकि विपिन चंद्र दीक्षित, इंद्र सेन तोमर, गिरिजेश कुमार त्रिपाठी, अर्चना त्यागी, विजय शंकर मिश्र, रमेश पुंडीर, कृष्ण राज सिंह, अमित कुमार सिंह, सुरेश चंद्र द्विवेदी, प्रणेश दत्त त्रिपाठी, अशोक कुमार, अर्चना सिंह, देवेंद्र कुमार तिवारी, प्रवीण कुमार गिरि, अशोक कुमार गोयल, पंकज राय, संजय गोस्वामी, विवेक शांडिल्य, शशांक शेखर सिंह, सुरेश सिंह, सुभाष राठी, नीरज उपाध्याय, विपिन बिहारी पांडेय, सरिता द्विवेदी और सिद्धार्थ सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया.

शेष पृष्ठ 4 पर

उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक: मुझे तो कुछ पता नहीं.

विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया के विरोध में रंजना अग्निहोत्री का इस्तीफा.

यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह: मुझसे तो किसी ने राय नहीं ली.

योगी जी आंखें खोलिए! जो वकील ही नहीं, उन्हें कैसे बना दिया सरकारी वकील!

भाजपा सरकार में सरकारी वकीलों की नियुक्ति सुनियोजित घोटाले से कम नहीं है. वह भी बड़े दुस्साहस से किया गया घोटाला. सरकार ने भी ऐसे लोगों को सरकारी वकील नियुक्त कर दिया है, जो आधिकारिक तौर पर वकील ही नहीं हैं. स्पष्ट है कि रिश्वतखोरी और गुटबाजी में सारे नैतिक मापदंडों को ताक पर रख दिया गया. जिन वकीलों को सरकारी वकील बनाया गया, उनमें से कई तथाकथित वकीलों के नाम हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एडवोकेट ऑन रोल (एओआर) में दर्ज ही नहीं हैं. ख़बर है कि बग़ैर एओआर वाले नवनियुक्त सरकारी वकीलों की संख्या भी क़रीब 50 है. हालांकि शासकीय अधिवक्ता अधिष्ठान ने ऐसे दर्जनभर सरकारी वकीलों को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, इनमें गिरीश तिवारी, प्रवीण कुमार शुक्ला, शशि भूषण मिश्र, दिवाकर सिंह, वीरेंद्र तिवारी, दिलीप पाठक जैसे लोगों के नाम शामिल हैं. लेकिन यह ध्यान रखें कि बग़ैर एओआर वाले वकीलों की संख्या क़रीब 50 है जिन्हें सरकारी वकील के बतौर नियुक्त किया गया है. फिर यह सवाल सामने है कि केवल दर्जनभर वकीलों को ही ज्वाइन करने से क्यों रोका गया? सनद रहे, हाईकोर्ट में वकालत करने की पहली शर्त ही होती है कि उसका नाम एओआर सूची में दर्ज है या नहीं. मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश पांडे का कहना है कि महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के आदेश से बिना एओआर वाले सरकारी वकीलों को फिलहाल ज्वाइन करने से रोक दिया गया है. लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि बग़ैर एओआर वाले सभी नव-नियुक्त सरकारी वकीलों को ज्वाइन करने से रोका गया है कि नहीं. सरकारी वकीलों की नियुक्ति इतनी अफरातफरी में की गई कि एक-एक वकील के नाम कई-कई जगहों पर दर्ज कर दिए गए. पांच सरकारी वकीलों के नाम दो जगह पाए गए हैं. इनमें अनिल कुमार चौबे, प्रत्यूश त्रिपाठी, सोमेश सिंह, राजाराम पांडेय और श्याम बहादुर सिंह के नाम दो या दो से अधिक जगह पर दर्ज पाए गए. सूची के पेज नंबर तीन पर ब्रीफ होल्डर (सिविल) की श्रेणी में पांच सरकारी वकीलों के नाम ही गायब पाए गए हैं. ■

पैरवी-पुत्रों को उपकृत कर प्रमुख सचिव बन गए जज

सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया किस स्तर तक अनैतिक रास्ते पर चली कि कार्यरत और रिटायर्ड जजों के बेटों और सगे-सम्बन्धियों को सरकारी वकील की लिस्ट में शामिल कर विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय जज बन गए. यह पुरस्कार रिश्वतखोरी नहीं है तो क्या है! आपको याद दिलाते चलें कि कुछ ही अर्सा पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (अब सुप्रीम कोर्ट में पदस्थापित) दीवाई चंद्रचूड़ ने जजों के बेटों, सालों और अन्य नाते-रिश्तेदारों को जज बनाने की सिफारिश की थी. 'चौथी दुनिया' में रिश्तेदारों की पूरी लिस्ट प्रकाशित होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया और जजों की नियुक्ति रोक दी गई. सरकारी वकीलों की नियुक्ति में फिर वही धंधा अपनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया. प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय इस उपकार के रिश्वती-एवज में जज बना दिए गए. जज बनाने वाली सिफारिशी लिस्ट में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी का नाम भी शुमार था, जो पीएमओ के हस्तक्षेप से रुक गया था. अब योगी सरकार ने उन्हीं नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपर महाधिवक्ता बना कर केसरीनाथ त्रिपाठी को उपकृत कर दिया है. सरकारी उपकार प्राप्त करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहेब भोसले भी शामिल हैं, जिनके बेटे करन दिलीप भोसले को अखिलेश सरकार ने नियुक्त किया था और योगी सरकार ने भी उसे जारी रखने की 'अनुकंपा' कर दी. करन भोसले महाराष्ट्र और गोवा हाईकोर्ट के रजिस्टर्ड वकील हैं और वहां की बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण के भाई विनय भूषण को भी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है. ऐसे उदाहरण कई हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय द्वारा की गई करतूतों का पूरा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है. इसकी प्रतिलिपि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए ज्ञापन में सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने साफ-साफ लिखा है कि विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय पद का दुरुपयोग कर और विधाई संस्थाओं को अनुचित लाभ देकर हाईकोर्ट के जज बने हैं. पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को अपनी तरक्की का जरिया बनाया. नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानक की भी पूरी तरह अनदेखी की गई. ज्ञापन में लिखा गया है कि प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय ने जानते हुए भी 49 ऐसे वकीलों को सरकारी वकील की नियुक्ति लिस्ट में रखा जिनका नाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वे हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए प्रतिबंधित हैं. रंगनाथ पांडेय ने खुद जज बनने के लिए सारी सीमाएं लांघीं. वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने लिखा है कि हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए सरकारी वकीलों की लिस्ट में रंगनाथ पांडेय ने अनुचित लाभ लेने के इरादे से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदारों को शामिल किया. अधिकाधिक लोगों को उपकृत कर उसका लाभ लेने के लिए रंगनाथ पांडेय ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े वकीलों और पदाधिकारियों को सरकारी वकील बनवा दिया और उसके एवज में जज का पद पा लिया. सरकारी वकीलों की लिस्ट में ऐसे भी कई वकील हैं जो प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप कर सरकारी वकीलों की विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने की अपील की गई है, ताकि न्याय प्रणाली की शुचिता बरकरार रह सके. ■

यूपी में सरकार सपा की या भाजपा की!

पृष्ठ 3 का शेष

इसी तरह रमेश पांडेय, श्रीप्रकाश सिंह, विनय भूषण और शैलेंद्र कुमार सिंह लखनऊ खंडपीठ के मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए. राज बख्श सिंह, नितिन माथुर, शैलेंद्र सिंह चौहान, राम प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार चौबे, रंजना अग्निहोत्री, अमर बहादुर सिंह, आलोक शर्मा, विनोद कुमार शुक्ला, हर गोविंद उपाध्याय, राजेश तिवारी, शिखा सिन्हा, अजय अग्रवाल, राहुल शुक्ला, अभिनव एन. त्रिवेदी, देवेश चंद्र पाठक, पंकज नाथ, कमर हसन रिजवी, सत्यांशु ओझा और विवेक शुक्ला को लखनऊ खंडपीठ का अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया.

प्रदेश सरकार ने जिन 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की उनमें करीब 50 वकीलों के सपाई होने की पुष्टि हो चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर नियुक्त 21 सरकारी वकीलों में सपा सरकार के समय से तैनात अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राहुल शुक्ला, अभिनव एन. त्रिपाठी, देवेश पाठक, पंकज नाथ, कमर हसन रिजवी, सत्यांशु ओझा और विवेक शुक्ला को योगी सरकार ने भी जारी रखा. स्टैंडिंग काउंसिल के 49 पदों पर भी सपा सरकार के समय से तैनात 15 सरकारी वकीलों को फिर से जारी रखा गया है. इनमें हिमांशु शेखर, शोभित मोहन शुक्ला, नीरज चौरसिया, मनु दीक्षित और केके शुक्ला के नाम प्रमुख हैं. ब्रीफ होल्डर के पद पर नियुक्त हुए 107 सरकारी वकीलों में से 21 सपाई वकीलों को जारी रखा गया है. सरकारी वकीलों की नियुक्ति में जजों के रिश्तेदारों का भी भाजपा सरकार ने खास ध्यान रखा है. इस नियुक्ति में सपा सरकार के तमाम वकीलों को जगह मिलने और भाजपा समर्थित वकीलों को खारिज किए जाने के कारण वकील समुदाय में काफी नाराजगी है. इन नियुक्तियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी कथित तौर पर नाराज है. लेकिन इस नाराजगी का कोई प्रभाव न तो बंसल पर पड़ा है और न योगी सरकार पर. संघ ने प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को तलब कर अपनी नाराजगी जताई और इतिश्री कर ली. इस मसले पर संघ ने न तो मुख्यमंत्री से बात की और न प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल से कोई पूछताछ की. नाराज वकीलों ने भी भाजपा के प्रदेश व क्षेत्रीय कार्यालय और संघ के भारती-भवन दफ्तर कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. संघ की ओर से तलब किए गए महाधिवक्ता ने भारती-भवन जाकर इस नियुक्ति में उनका कोई हाथ न होने की कसमें खाईं और उन्होंने संघ पदाधिकारियों के समक्ष यह स्वीकार किया कि सूची बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है और न न्याय विभाग ने सूची जारी करने से पहले उनसे कोई राय ही ली. बड़े पैमाने पर सपाई विचारधारा के वकीलों को सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने की वजहों का महाधिवक्ता कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ पीठ में 428 सरकारी वकील कार्यरत थे. इनमें करीब सवा सौ वकील फौजदारी (क्रिमिनल साइड) और अन्य सिविल साइड के वकील थे. सरकार ने फौजदारी पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी वकीलों को हटा दिया और 201 सरकारी वकीलों की नई सूची जारी कर दी. नई सूची में सपा सरकार में मंत्री रहे शिवाकांत ओझा के पुत्र सत्यांशु ओझा सहित बड़ी संख्या में उन्हीं पुराने सपाई सरकारी वकीलों को फिर से दोहरा दिया जिन्हें सपा के शासनकाल में नियुक्त किया गया था. सपा सरकार में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रहे विनय भूषण को प्रोन्नत कर मुख्य स्थायी अधिवक्ता (द्वितीय) बना दिया गया. विनय भूषण जज के भाई होने के कारण भी काफी रुतबा रखते हैं. सपा सरकार में सरकारी वकील के बतौर नियुक्त हुए राहुल शुक्ला, अभिनव एन. त्रिपाठी, देवेशचंद्र पाठक, पंकज नाथ, कमल हसन रिजवी, विवेक शुक्ला, मनु दीक्षित, हिमांशु शेखर, नीरज चौरसिया, आशुतोष सिंह, रणविजय सिंह समेत करीब 50 सपाई सरकारी वकीलों को फिर से सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया. नियुक्त हुए सरकारी वकीलों की सूची में 79 नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि वे कहां से आ टपके. ■

feedback@chauthiduniya.com

नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाया सवाल, रंजना समेत कई ने इस्तीफ़ा दिया

राज्य सरकार द्वारा सपाई वकीलों को बड़े-बड़े सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाने और भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की पूरी तरह अनदेखी किए जाने के खिलाफ नव-नियुक्त सरकारी वकील व रामजन्म भूमि मुकदमे से जुड़ी वकील रंजना अग्निहोत्री ने सरकारी वकील के पद से इस्तीफा दे दिया. रंजना अग्निहोत्री ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सीधा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा भेजा है. भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी रह चुकीं अनीता अग्रवाल ने भी सरकारी वकील के पद पर अपनी ज्वाइनिंग देने से इंकार कर दिया है. अधिवक्ता परिषद की डॉ. दीप्ति त्रिपाठी ने भी परिषद के वकीलों और महिला वकीलों की अनदेखी किए जाने के कारण सरकारी वकील का पद अस्वीकार कर दिया है. रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि सपा कार्यकाल के अधिकांश सरकारी वकीलों को फिर से नियुक्त किया जाना भाजपा के प्रतिबद्ध वकीलों के साथ सीधा-सीधा अन्याय है. हाईकोर्ट में प्रैक्टिस न करने वालों को भी सरकारी वकील बना दिया जाना अनैतिकता का चरम है. अनीता अग्रवाल ने कहा कि वे भाजपा से पिछले 30 साल से जुड़ी हैं. उनकी उपेक्षा कर उनसे काफी जूनियर वकीलों को अपर महाधिवक्ता बना दिया गया है. ऐसे में वह स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर कार्य नहीं कर सकतीं. ■

यह कैसा 'सबका साथ, सबका विकास'...?

उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में भाजपाइयों ने भाजपा के हित को तो धोया ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्र वाक्य 'सबका साथ, सबका विकास' की भी धज्जियां उड़ा दीं. सरकार ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जो सूची जारी की उसने भाजपा के चारित्रिक चेहरे के साथ-साथ सैद्धांतिक चेहरे को भी बेनकाब कर दिया. इस नियुक्ति में 15 फीसदी सवर्णों ने 80 फीसदी से अधिक हिस्सा झटक लिया. चार मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं में तीन ब्राह्मण और एक ओबीसी हैं. 25 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं में 12 ब्राह्मण और सात ठाकुर हैं. 103 स्थायी अधिवक्ताओं में 60 ब्राह्मण और 17 ठाकुर हैं. इसी तरह 65 ब्रीफ होल्डर (सिविल) और 114 ब्रीफ होल्डर (फौजदारी) में ब्राह्मणों और ठाकुरों की ही अधिक हिस्सेदारी है.

नव नियुक्त सरकारी वकीलों की सूची में दलितों का नाम न होने से दलित समाज में भी काफी क्षोभ है. अम्बेडकर महासभा ने इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है और यह अपील की है कि दलितों को भी सरकारी वकील बनाया जाए. अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि न्याय विभाग द्वारा 201 सरकारी वकीलों की सूची में अनुसूचित जाति के वकीलों की संख्या महज एक है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम-1994 के आधार पर अनुसूचित जाति के सरकारी वकीलों की संख्या 46 होनी चाहिए. महासभा का कहना है कि जब अनुसूचित जाति के सरकारी वकील बनेंगे ही नहीं तो वे जज की कुर्सी तक कैसे पहुंचेंगे! ■

किसान विरोधी सरकारी नीतियों के ख़िलाफ़ एकजुट हुए किसान संगठन

किसानों की मुक्ति यात्रा

बिरंजन मिश्रा

बीते 16 जून को देश भर के 100 से ज्यादा छोटे-बड़े किसान संगठनों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने, कर्जमाफी और फसलों के सही मूल्य जैसे मुद्दों को लेकर एक साझा आंदोलन का फैसला किया. दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित एक बैठक में सभी संगठनों ने एकमत से एक समन्वय समिति गठित की, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति. इसी के बैनर तले 6 जुलाई को मंदसौर से किसान मुक्ति यात्रा आरंभ हुई. हालांकि यात्रा की शुरुआत में ही पिपलियामंडी जाने के क्रम में इससे जुड़े तमाम किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गौरतलब है कि 1 से 10 जून तक मध्य प्रदेश में हुए किसान आंदोलन के दौरान पिपलियामंडी में ही 6 जून को पुलिस की गोलीबारी में पांच और लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हुई थी. हिरासत में लिए गए नेताओं में भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वी.एम. सिंह, हनन मोल्ला, सुभाषिणी अली, स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव, नर्मदा आंदोलन की मेधा पाटकर, स्वाभिमानी श्वेतकारी, संगठन के प्रतिनिधि सांसद राजू शेट्टी सहित कई नेता शामिल थे. मेधा पाटकर ने पुलिस और प्रशासन की मनमानी पर सवाल उठाया और कहा कि वे शांतिपूर्वक घटनास्थल पर पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, मगर पुलिस ने बीच में ही रोक दिया. लेकिन पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह का कहना था कि इस यात्रा से शांति भंग होने की आशंका थी, इसलिए इसमें शामिल 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि बाद में उन्हें दलोदा मंडी ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां से फिर ये यात्रा आगे बढ़ी.

इस यात्रा में किसान नेताओं से लेकर आम किसान और महिलाएं भी शामिल हैं. इन सभी के कंधे पर प्रतीकात्मक हल है, जिसमें एक ओर मिट्टी का कमंडल लटका हुआ है. किसानों के हाथ में हरे रंग का झंडा भी है. यात्रा में शामिल लोग उन छह किसानों की तस्वीरें भी साथ ले जा रहे हैं, जो मंदसौर में पुलिस कार्रवाई के दौरान मारे गए थे. ये यात्रा 18 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंचेगी. 10 जुलाई को महाराष्ट्र के नासिक पहुंची इस यात्रा की पहली जनसभा छंदवाड़ा के पिपलगांव में हुई. गौर करने वाली बात ये है कि जब ये जनसभा हो रही थी उस समय रात के 10 बज रहे थे. उस समय भी जनसभा में किसानों और स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी बता रही थी कि अब वे अपने हितों को लेकर कितने जागरूक हैं. उस जनसभा में बड़ी संख्या में ऐसे अनाथ बच्चों ने हिस्सा लिया जिनके पिता किसान थे और कर्ज की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए. उल्लेखनीय है कि

किसान यात्रा हर दिन एक नेता को समर्पित की जा रही है. 9 जुलाई का दिन किसान नेता शरद जोशी को, 10 जुलाई का दिन किसान नेता प्रोफेसर महंत देवारू ननजुन्दा स्वामी को, 11 जुलाई का दिन बिरसा मुंडा और सरदार पटेल को और 12 जुलाई का दिन किशन पटनायक को समर्पित किया गया. 12 जुलाई को ये यात्रा गुजरात के मेहसाणा पहुंची. यहां सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय

किसान संघर्ष समिति के संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि जब तक हम अलग-अलग लड़ते रहेंगे तब तक सरकारें हमारा दमन करती रहेंगी.

ये इत्तेफाक ही था कि 12 जुलाई को जब किसान मुक्ति यात्रा गुजरात के मेहसाणा पहुंची उसी समय दलितों की आजादी कूच यहां से रवाना हुई. हालांकि इस यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इससे जुड़े नेताओं ने यात्रा जारी रखी. गौरतलब है कि ऊना में दलितों पर हुए हमले की बरसी के रूप में इस आंदोलन का आयोजन किया गया है. 12 जुलाई को मेहसाणा से शुरू हुई इस आजादी कूच को 18 जुलाई को बनासकांटा पहुंचना है. मेहसाणा में आजादी कूच के शुरू होते ही पुलिस ने इससे जुड़े नेताओं जिग्नेश मेवानी, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पाटीदार नेता रेशमा पटेल और कई आइसा-आरवाईए नेताओं को हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में इन सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया. इस मौके पर जिग्नेश मेवानी का कहना था कि 'गुजरात की दलित विरोधी सरकार हर कीमत पर आज़ादी कूच को रोकना चाहती है, लेकिन हम हर कीमत पर आगे बढ़ना चाहते हैं. जंग छिड़ चुकी है, जनता भिड़ चुकी है.' दलितों और किसानों के इस संगम को योगेंद्र यादव ने एक सपना सच होने जैसा बताया. उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत रूप से ये मेरे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जब दलित और किसान एक साथ एक मंच पर हैं. मेरे वैचारिक व राजनीतिक गुरु किशन पटनायक का सपना था, इस देश की जो दो बड़ी ऊर्जा है दलितों और किसानों को एक होते देखना. आज उनका सपना साकार होता दिखाई दे रहा है. आज हमें कर्नाटक को याद करना चाहिए, जब प्रोफेसर नंजुडास्वामी, डी आर नागराज, देवानूर महादेव ने इन दोनों धाराओं को जोड़ने का प्रयास किया. संगठन के रूप में भी कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति और कर्णाटक राज्य रैयत संघ एक साथ आए थे. शरद जोशी व अम्बेडकर भी एक साथ आये थे.' वहीं, डॉक्टर सुनीलम का कहना था कि 'ऊना मार्च ने देश के दलितों में एक नई ऊर्जा का संचार किया था और अब किसान मुक्ति यात्रा और आज़ादी कूच की एकजुटता से देश पर थोपे जा रहे मोदानी मॉडल के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वालों की नई एकता देश के स्तर पर दिखलाई पड़ेगी.' ■

feedback@chauthiduniya.com

नीति आयोग पर भी दी थी किसानों ने दस्तक

देश भर के लगभग 65 संगठनों से जुड़े किसान 3 जुलाई को जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए और वहां से नीति आयोग का घेराव करने के लिए कूच किया. हालांकि उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया. राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक शिवकुमार शर्मा उर्फ कक्का जी के नेतृत्व में ये किसान दिल्ली में जुटे थे. इस संबंध में राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष विनोद सिंह ने चौथी दुनिया को बताया कि हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए किसान, अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के नीति आयोग जाने वाले थे, मगर दिल्ली पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया. हालांकि इससे हम न तो डरेंगे और न ही अपनी मांगें मनवाना बंद करेंगे. ■

हरियाणा: घर का सपना हो रहा महंगा

एचएल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है ग्राहकों से धोखाधड़ी

शशि शेखर

कौन नहीं चाहता कि उसका अपना खुद का एक घर हो. इस सपने को पूरा करने के लिए आदमी अपने जीवन भर की कमाई एक बिल्डर के हाथों में सौंप देता है. लेकिन आमतौर पर ग्राहकों को बिल्डर से कई शिकायतें रहती हैं. देश भर में फैले रियल एस्टेट डेवलपर भी कई स्तर पर, कई तरह की कारगुजारियों से ग्राहकों को मूर्ख बना कर पैसा लूटने का काम करते हैं. बिल्डर ग्राहकों को कई ऐसी तकनीकी शब्दावलियों में उलझा देते हैं, जिसे उनके लिए समझना आसान नहीं होता. मसलन, कारपेट एरिया, सेल एरिया, जीना इत्यादि के नाम पर भरमा कर उनसे पैसा ले लिया जाता है. आमतौर पर ग्राहक इस सब से वाकिफ नहीं होता और जो ग्राहक इस तरह की चालाकी को समझ जाता है, वो इन ताकतवर बिल्डरों के खिलाफ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा बिल्डरों के पास पहले से ही जमा होता है.

ऐसी ही एक कहानी हरियाणा के बहादुरगढ़ से निकल कर सामने आई है. एचएल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा वैल्यू होम्स (टाटा समूह की कम्पनी) की सहायक कंपनी है. एचएल

इस प्रोजेक्ट में 1200 फ्लैट्स बनने है. मान लीजिए कि औसतन एक फ्लैट की बिक्री पर 5 लाख का अतिरिक्त मुनाफा होता है, तो कंपनी को कुल 60 करोड़ की अतिरिक्त आय हो जाएगी. अब सवाल है कि क्या ये करना टाटा होम्स जैसी कंपनी के लिए नैतिक माना जा सकता है. बहरहाल, इस पुलिस शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी कंपनी को पत्र लिख कर इस गड़बड़ी के बारे में बताया है. इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार की अथॉरिटी को भी इन गड़बड़ियों के बारे में सूचित किया गया है. लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है. अलबत्ता ये कह कर मामले को और लंबा खींचा जा रहा है कि जांच चल रही है.

प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड यहां पर अपार्टमेंट बना रही है. दिल्ली के करीब बहादुरगढ़ के नए प्रोजेक्ट न्यू हैवेन बहादुरगढ़ में कई गड़बड़ियों की खबरें आई हैं. इस मामले को ले कर दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है. ये शिकायत इसी कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने दर्ज कराई है. कंपनी पर ग्राहकों को गलत जानकारी दे कर अधिक पैसा वसूलने का आरोप है. इस शिकायत में बताया गया है कि उक्त कंपनी ने आर्किटेक्ट्स द्वारा तय किए गए पूर्व निर्धारित मानकों को तोड़ते हुए एक मेल जारी किया, जिसमें 2 बेडरुम, हॉल, किचन वाले फ्लैट की लोडिंग 41 फीसदी और 3 बीएचके वाले फ्लैट की लोडिंग 39 फीसदी तय कर दी. इन सब का मतलब क्या है? इसे समझना जरूरी है.

दरअसल, जब किसी ग्राहक ने फ्लैट बुक कराया, तो उसे पता चला कि कंपनी ने 2 बीएचके का कारपेट एरिया (ये वो एरिया होता है, जिसे कस्टमर्स वाकई इस्तेमाल में लाते हैं) 911 स्क्वायर फीट और सेल एरिया (जिसमें कॉमन एरिया भी आता है, जैसे सीढ़ी, लिफ्ट लॉबी, कॉरिडोर इत्यादी) 1185 वर्ग फीट तय किया है. इसी तरह 2 बीएचके (लार्ज) का कारपेट एरिया 1067 वर्ग फीट और सेल एरिया 1390 वर्ग फीट और 3 बीएचके का कारपेट एरिया 1356 वर्ग फीट और सेल एरिया 1750 वर्ग फीट तय किया गया. लेकिन, पुलिस के पास जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक, 4 मार्च 2015 को मैनेजिंग डिपार्टमेंट से एक मेल जारी किया गया, जिसमें कारपेट और सेल एरिया रिवाइज़ कर दिया गया. इस रिवीजन के अनुसार, 2 बीएचके (स्मॉल) का कारपेट एरिया 916 वर्ग फीट, सेल एरिया 1296 वर्ग फीट और 2 बीएचके (लार्ज) का कारपेट एरिया 1074 वर्ग फीट, सेल एरिया 1521 वर्ग फीट और 3 बीएचके का कारपेट एरिया 1357 वर्ग फीट, सेल एरिया 1917 वर्ग फीट तय कर दिया गया. इससे हुआ ये कि ग्राहकों के इस्तेमाल में आने वाले कारपेट एरिया में 7 वर्ग फीट की बढ़ोतरी हुई, जबकी कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले सेल एरिया में कम से कम 111 वर्ग फीट की बढ़ोतरी हो गई. कंपनी की तरफ से प्रति वर्ग फीट 4000 रुपए कीमत तय की गई है. अब मनमाने तरीके से एरिया रिवाइज करने के कारण कंपनी को 2 बीएचके (स्मॉल) पर 4.4 लाख, 2 बीएचके (लार्ज) पर 5.24 लाख और 3 बीचके पर 6.68 लाख का अतिरिक्त मुनाफा होगा.

इस प्रोजेक्ट में 1200 फ्लैट्स बनने है. मान लीजिए कि औसतन एक फ्लैट की बिक्री पर 5 लाख का अतिरिक्त मुनाफा होता है, तो कंपनी को कुल 60 करोड़ की अतिरिक्त आय हो जाएगी. अब सवाल है कि क्या ये करना टाटा होम्स जैसी कंपनी के लिए नैतिक माना जा सकता है. बहरहाल, इस पुलिस शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी कंपनी को पत्र लिख कर इस गड़बड़ी के बारे में बताया है. इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार की अथॉरिटी को भी इन गड़बड़ियों के बारे में सूचित किया गया है. लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है. अलबत्ता ये कह कर मामले को और लंबा खींचा जा रहा है कि जांच चल रही है.

जाहिर है, टाटा समूह की बाजार में अपनी एक साख है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से इस साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं. गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट भी पास किया है, लेकिन ये पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होता है. ऐसे में टाटा समूह की जिम्मेवारी है कि वो अपनी सहयोगी कंपनी के द्वारा की जा रही धोकाधड़ी के मामले की पूरी जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि उसकी साख बरकरार रह सके. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो ये समूह भी बाजार में लूट मचा रही अन्य रियल एस्टेट कंपनियों की श्रेणी में जल्द ही आ जाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा शासित राज्यों में भूख-प्यास से दम तोड़ रहीं गायें

गौशाला की दुर्दशा

चौथी दुनिया ब्यूरो

जब से देश में गाय और मंदिर आस्था से हटकर सियासत के केंद्र बने, तभी से गौभक्तों और धर्म के दुकानदारों की पौ बारह है. गौरक्षकों को प्रधानमंत्री की मीठी झिड़की के बाद सूबों में हालात और बिगड़े हैं. हैरानी की बात है कि भाजपा शासित राज्यों में सरकार संरक्षित गौशालाओं में ही सबसे अधिक गायों की मौत हुई है.

भाजपा शासित प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में गौरक्षकों के उत्पात की खबरें आएदिन सुर्खियों में होती हैं. राजस्थान में गायों की देखभाल के लिए बाकायदा गौ मंत्री भी हैं, वहीं हरियाणा में गौ सेवा कमीशन है. हरियाणा में 2015 में गौवंश संरक्षण के नाम से एक कानून बनाया गया, जिसमें गोहत्या या गौ तस्करी पर दस साल की सजा का प्रावधान है. उत्तरप्रदेश के गौप्रेमी मुख्यमंत्री ने भी गायों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो आलम यह है कि जिन सूबों में गौरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए, वहीं बदइंतजामी और लापरवाही से गौशालाओं में सबसे अधिक गायों की मौत हुई है. हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मथाना गौशाला में अब तक 37 गायों की मौत हो चुकी है. गौशाला में गायों की देखभाल व रख-रखाव समुचित तरीके से नहीं होने के कारण मौत हुई. वहीं जिला प्रशासन गायों द्वारा प्लास्टिक खाने को मौत की वजह बता रहा है. इससे अलग ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिनों पहले बारिश के कारण गौशाला में पानी जमा हो गया था. कीचड़ और दलदल में फंसकर गौशाला में गायों ने दम तोड़ दिया. हाल यह है कि उपचार के दौरान एक दिन में 16 गायों की मौत हुई है. श्री कृष्ण गौशाला के संचालक सोमनाथ बताते हैं कि यहां 250 गायों के लिए शेड बना है, जिसमें

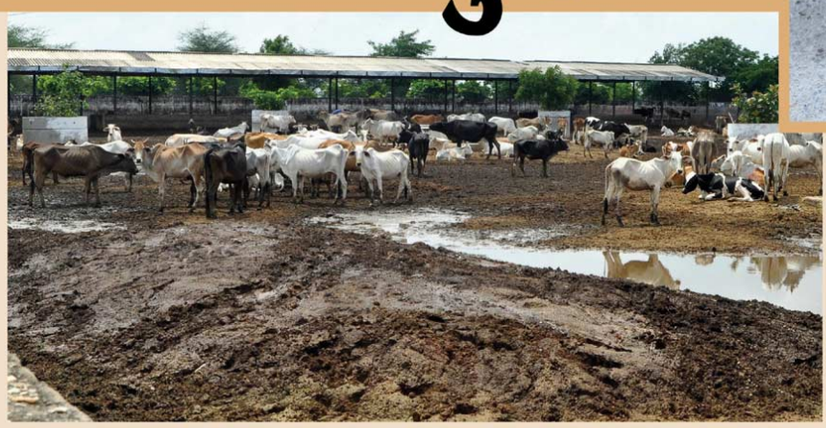

600 से अधिक गायें रखी गई हैं. इनमें भी सिर्फ चार गायें ही दूध देती हैं. इससे इतर हमारे पास इन्कम का कोई अन्य सोत नहीं है. यमुनानगर के दामला स्थित बढ़ावा रामा गौशाला में भी 375 गायों को रखा गया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार सचमुच गायों को बचाने के लिए गंभीर है या केवल धार्मिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण के लिए गौरक्षा के हथियार का इस्तेमाल कर रही है.

जयपुर नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला पिछले साल काफी चर्चा में रही. इस गौशाला में कुछ महीनों के दौरान प्रतिदिन 40 गायों की मौत हुई थी. एक दिन में 85 गायों की मौत की खबर मिलने के बाद भी प्रशासन लापरवाह बना रहा. आलम यह था कि कुछ महीनों में ही 1500 से अधिक गायों ने दम तोड़ दिया. गौरक्षक गायों की मौत के विरोध में हिंगोनिया गौशाला के बाहर प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन कीचड़ और दलदल में फंसी गायों को बाहर निकालने के लिए कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया. गायों को बचाने में न तो गौरक्षकों ने रुचि दिखाई और न ही गौमंत्री और स्थानीय प्रशासन ने ही कोई इंतजाम किए. हद तो तब हो गई, जब प्रशासन ने फिर वही रटे-रटाए पुराने तर्क गिना दिए. बताया गया कि कीचड़ में फंसकर और भूख-प्यास के कारण गायों की मौत हुई है. इतना ही नहीं, सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास किया. विज्ञापन में बताया गया कि अधिकतर बीमार गायों की मौत हुई है, जो उपचार के लिए यहां लाई गई थीं. पशु चिकित्सकों ने बताया कि गौशाला की एक गाय के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से कई किलो प्लास्टिक की थैलियां और कीलों का ढेर मिला था. या यूं कहें कि प्लास्टिक और कचरा खाने से कमजोर हुईं गायें बारिश की मार नहीं झेल सकीं. गौरतलब है कि इस गौशाला में आठ हजार से अधिक गायें हैं.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2016 में राज्य की एक गौशाला में भूख-प्यास से दो सौ गायों की मौत का मामला उठाया था. कांकेर जिले के कर्रामाड गांव के कामधेनु गौसेवा केंद्र में भूख-प्यास से 200 से अधिक गायों की मौत हो गई थी. उन्होंने इसके लिए राज्य के कृषि पशुपालन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया था.

128 साल पुरानी और देश की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक कानपुर गौशाला में भी भूख-प्यास से गायों की मौत हो रही है. यह गौशाला सोसाइटी देश की अमीर गौशालाओं में से एक है. इस गौशाला के पास करीब 22 अरब की जमीन है. इस गौशाला में अप्रैल माह में एक हफ्ते के दौरान चार गायों की मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बेहद चौंकाने वाला आया. रिपोर्ट से पता चला कि मृत गायों की आंतों में अन्न का एक दाना भी नहीं था. यूरिनरी और ब्लैडर भी बिल्कुल खाली था. चारा नहीं मिलने से भूखी गायों ने पानी तक नहीं पिया था. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि ऐसा तभी होता है, जब कई दिनों से गायें भूखी रही हों. सवाल है कि फिर गौशाला को दान में मिली करोड़ों रुपए की राशि का गौशाला संचालकों ने क्या किया? यहां 5 महीने के दौरान 152 गायों की मौत हो चुकी है. यूपी के शाहजहांपुर की एक गौशाला में भी गौ तस्करी का मामला सामने आया है. यहां की गौशाला से अचानक पशु गायब होने लगे थे. गौ तस्करी का आरोप गोकुल धाम पशुपालन सेवा समिति पर लगा है.

इन दिनों गौरक्षा का मुद्दा गांवों व शहरों में गली-कूचों से लेकर संसद तक गूंजता रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल चेताया था कि गौरक्षक का चोला पहने कुछ लोग असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं. प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर गौरक्षक बौखला गए, लेकिन बाद में वे समझ गए कि यह सिर्फ एक मीठी झिड़की थी. प्रधानमंत्री का यह संदेश समाज के एक तबके को यह दिलासा देना भर था कि सरकार इन गौरक्षकों के साथ नहीं है. क्या प्रधानमंत्री या भाजपा शासित सूबों के मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि गौरक्षकों के उत्पात को रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में सीएनटी-एसपीटी का मुद्दा : राज्यपाल ने लौटाया बिल

रघुवर चारो ख़ाने चित

प्रशांत शरण

अकड़ और अहंकार झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की खूबियों में शुमार है. लेकिन उनकी ये अकड़ तब चारो खाने चित हो गई, जब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक लौटा दिया. वो भी एक-दो आपत्तियों के साथ नहीं, 192 आपत्तियों के साथ. राज्यपाल द्वारा बिल लौटाए जाने की भनक मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं लगने दी, यहां तक कि मंत्रिमंडल एवं मुख्य सचिव से भी पूरी तरह गोपनीयता बरती गई. राजभवन से जब ये सूचना लीक हुई कि राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को कई आपत्तियों के साथ लौटा दिया है, तब मुख्यमंत्री की हंसी उड़ गई, उनका चेहरा स्याह पड़ गया. मंत्रिमंडल के सहयोगियों एवं भाजपा के आदिवासी नेताओं ने इस बात को छुपाए रखने के लिए मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस बात की जानकारी सहयोगियों को जरूर देनी चाहिए थी. इसे लेकर मुख्यमंत्री की काफी किरकिरी हुई और रघुवर दास इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से भागते रहे. यहां तक कि जब ये मामला लीक हुआ, तो पूरे भाजपा कार्यालय में कई दिनों तक सन्नाटा पसरा रहा. कोई भी वरिष्ठ नेता इसपर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया देने से बचते रहे. लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने हिम्मत कर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रघुवर दास से बातचीत की और एक सप्ताह बाद पत्रकारों के सामने मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि भाजपा के आदिवासी नेताओं से विचार-विमर्श कर इस संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में लाया जाएगा और पुनः राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो आपत्तियां जताई हैं, उस पर गंभीर मंथन होगा और इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संशोधन विधेयक को पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था. उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में साफ तौर पर कहा था कि कोई कितना भी हल्ला कर ले, इस संशोधन को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा. इस मामले पर विपक्ष ने पूरा सत्र नहीं चलने दिया था. भारी शोर-शराबे और हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित कराने में मुख्यमंत्री सफल रहे और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे राज्यपाल के पास भेजा. मुख्यमंत्री ने इस अध्यादेश पर बातचीत के लिए राज्यपाल से मुलाकात भी की थी. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित दर्जनों भाजपा के आदिवासी विधायक इसकी मुखालफत कर रहे थे. मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी इस संशोधन का विरोध किया, पर मुख्यमंत्री ने किसी की नहीं सुनी और इसे मंत्रिमंडल से पारित कराकर राजभवन भेज दिया. लेकिन राज्यपाल की आपत्तियों के बाद इस संशोधन विधेयक को लेकर बैकफुट पर आए रघुवर दास ने अब आदिवासी नेताओं से राय लेने का मन बनाया है. आदिवासी नेताओं और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर उन्हें झुकना पड़ा. आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग एवं अधिग्रहण वाले संशोधन को निरस्त करना पड़ा. अब मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर राजनीतिक व सामाजिक संगठनों, सरकार के मंत्रियों, पार्टी के विधायकों-सांसदों व वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के बाद सीएनटी की धारा-21 और एसपीटी की धारा-13 में प्रस्तावित संशोधनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने मौजूदा हालात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर विपक्ष ने विधानसभा में अपनी राय दी होती, तो इन संशोधनों पर उसी समय चर्चा हो जाती और इन धाराओं को मूल प्रावधान में ही रहने दिया जाता. मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्वारा संशोधन विधेयक लौटाए जाने के बाद सर्व सम्मत राय लेने का मन बनाया. जबकि उन्हें पहले ही ऐसा करना चाहिए था.

कुछ संशोधनों के निरस्त होने के बाद भी सरकार एवं पार्टी के अंदर मतभेद है. रघुवर सरकार के कैबिनेट मंत्री सरयू राय ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी अति संवेदनशील मुद्दा है. इस पर गहराई से विचार मंथन होना चाहिए. उधर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता करिया मुंडा ने कहा कि इस संशोधन को लेकर मैं शुरू से आवाज उठाता रहा हूं. उन्होंने कहा कि अगर इस विधेयक को पुनः विधानसभा में लाया गया, तो इस बार पार्टी के विधायक भी सदन में अपना विरोध दर्ज कराएंगे. सरकार में शामिल गठबंधन दल आजसू से मंत्री कोटे में शामिल जन संसाधन मंत्री चन्द्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रही है. भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी का कहना है कि राज्य सरकार सीएनटी-एसपीटी में संशोधन कर उसे फिर विधानसभा के मानसून सत्र में लाएगी. सरकार ने राज्यपाल द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण कर लिया है और कृषि योग्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग वाले संशोधन को निरस्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ये संशोधन आदिवासियों के हित में है और इसके आने के बाद आदिवासी समाज के जीवन में और बदलाव आएगा. उन्होंने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह जनहित में है.

उधर, विपक्ष सरकार पर इस विधेयक को लेकर लगातार हमला कर रहा है. राज्यपाल द्वारा संशोधन विधेयक को लौटाए जाने के बाद विपक्षी दलों का मनोबल और बढ़ गया है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास व्यवसायिक एवं औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस तरह का विधेयक लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ये मामला केवल संशोधनों तक ही सीमित नहीं है. स्थानीयता का मामला झारखंडियों की पहचान और शहीदों के सपने से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन को कैद कर आदिवासियों का विनाश करने वाले इस विधेयक को संख्या बल के आधार पर पारित करा लिया था. लेकिन राज्यपाल ने इसे समझा और आदिवासियों का अस्तित्व बच गया, नहीं तो आदिवासियों का क्या होता, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है. आदिवासियों को भूमि से वंचित करने की साजिश की जा रही थी. भाजपा सरकार आदिवासियों का अस्तित्व मिटा देने की कोशिश कर रही है. उन्होंने रघुवर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिल फिर से विधानसभा में लाने का दुस्साहस नहीं करे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.

कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का कहना है कि अगर सरकार ने बिल दोबारा राजभवन भेजा, तो पूरे राज्य में नया आंदोलन होगा. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को गलती सुधारने का मौका दिया है, वे गलती सुधार लें, वरना विपक्षी दल उन्हें उखाड़ फेंकेगा. सहाय ने कहा कि राज्यपाल ने सही वक्त पर सही फैसला किया है. राज्य सरकार को भी हठ छोड़कर तत्काल बिल को रद्द कर देना चाहिए, ताकि राज्य में अमन-चैन रहे और जनता तरक्की करे. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संशोधन विधेयक को पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था. उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में साफ तौर पर कहा था कि कोई कितना भी हल्ला कर ले, इस संशोधन को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा. इस मामले पर विपक्ष ने पूरा सत्र नहीं चलने दिया था. भारी शोर-शराबे और हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित कराने में मुख्यमंत्री सफल रहे और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे राज्यपाल के पास भेजा. मुख्यमंत्री ने इस अध्यादेश पर बातचीत के लिए राज्यपाल से मुलाकात भी की थी.

सीएनटी-एसपीटी की धारा 21 और 13 के संशोधन को निरस्त करने पर सहमति

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की बैठक में छोटानागपुर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी-एसपीटी एक्ट) की धारा 21 और 13 में संशोधन को निरस्त करने पर सहमति बनी. टीएसी की अगली बैठक तीन अगस्त को बुलाई गई है. उस बैठक के बाद ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. टीएसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्रकारों से कहा कि सीएनटी-एसपीटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वापस भेजा है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने संशोधन को लेकर अपनी आपत्ति राज्यपाल के समक्ष दर्ज कराई थी. राज्यपाल ने उन आपत्तियों के साथ विधेयक को वापस भेजा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी. सभी सदस्यों की सहमति के बाद तीन अगस्त को फिर से टीएसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राज्य सरकार संशोधन विधेयक विधानसभा में लाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएसी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा और आदिवासी विधायकों व अन्य वरिष्ठ नेताओं और विपक्षी दलों व सामाजिक संगठनों की आपत्ति की समीक्षा के बाद सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी की धारा 13 में संशोधन के प्रस्ताव को निरस्त करने पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है, सभी पक्षों से विचार करने और आम सहमति के बाद ही समुचित फैसला लिया जाएगा. विकास विरोधी तत्वों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसके निपटारे का भी लोकतांत्रिक हल निकाला जाएगा. राज्य सरकार प्रारंभ से ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट जैसे गंभीर मुद्दे पर विधानसभा में बहस के पक्ष में थी, लेकिन विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से सदन को बाधित कर वाद-विवाद नहीं होने दिया. आजादी के 70 वर्ष बाद भी आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, अरबों-खरबों रुपए आदिवासी विकास के नाम पर खर्च हुए, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नहीं आया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध न करें, बल्कि गरीबों के हित को ध्यान में रखकर और सुधार तथा परिस्कार के लिए अपना सुझाव दें. ■

राज्यपाल ने 192 शिकायतों पर लौटाया बिल

झारखंड की राज्यपाल डॉ. द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा से पारित किए गए सीएनटी-एसपीटी संशोधन बिल को मंजूर किए बिना राज्य सरकार को लौटाने का फैसला आदिवासी संगठनों की 192 शिकायतों के आधार पर किया है. इनमें कार्डिनल तेलेस्फोर पी. टोप्पो के नेतृत्व में राज्यपाल को दिया गया ज्ञापन भी शामिल है, जिसमें आदिवासियों के हित में इन जुड़वां विधेयकों में संशोधन को नामंजूर करने की मांग की गई थी. इन्हीं शिकायतों को आधार बनाकर राज्यपाल ने बिल लौटाया और सरकार से यह जानना चाहा है कि इन संशोधनों से जनजातीय समुदाय को क्या फायदा होगा? भाजपा के ज्यादातर आदिवासी नेता भी नहीं चाहते हैं कि इस विवादित बिल को दुबारा विधानसभा में लाकर झारखंड में पार्टी के मिशन-2019 की उम्मीदों को धूमिल किया जाए. राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं. इनमें भाजपा के पास 12 सीटें हैं. मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब में भाजपा के विरोध में उठती आवाज के मद्देनजर भाजपा झारखंड में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है. भाजपा के महामंत्री दीपक प्रकाश प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संशोधन बिल दुबारा लाना पार्टी का नहीं, सरकार के निर्णय क्षेत्र का विषय है. खूंटी से भाजपा सांसद करिया मुंडा ने कहा कि गेंद सरकार के पाले में है. सरकार को आदिवासियों के हित में फैसला करना चाहिए. अभी तक इस संशोधन का विरोध कर रहे वरिष्ठ सांसद करिया मुंडा ने बिल लौटाने पर कहा कि सरकार निर्णय लेने में सक्षम है. सरकार की सहयोगी आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि राज्यपाल ने जनभावना का ख्याल रखा, अब सरकार की बारी है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्यपाल ने आदिवासियों की भावनाओं का ख्याल रखा है. राज्य की जनता इस बिल के खिलाफ है. मरांडी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह सीएनटी/एसपीटी संशोधन विधेयक राज्यपाल को दुबारा नहीं भेजे. मरांडी ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां के 194 संगठनों ने प्रदेश सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोला. ■

न्याय की आस में नर्मदा घाटी के डूब प्रभावित

कुमार कृष्णन

सरदार सरोवर बांध का गेट लगने के बाद नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. जैसे-जैसे डूब की तारीख पास आ रही है, वैसे-वैसे डूब प्रभावितों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इन्हें 31 जुलाई तक जगह खाली करना है, लेकिन अब तक प्रभावितों के पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सका है. लोगों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन इन्हें लुभाने में जुट गया है. प्रभावितों के लिए प्रशासन ने पैकेज स्कीम तैयार की है. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के उपाध्यक्ष रजनीश वैश ने बताया कि प्रभावितों को 60 हजार रुपए मकान किराए के तौर पर और बीस हजार रुपए की राशि तीन महीने के भोजन-पानी के लिए अलग से दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार साठ लाख रुपए तक मुआवजा भी दिया जा रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि 31 जुलाई से पहले पुनर्वास स्थल सुविधाओं से पूर्ण हो जाएगा. जिन विस्थापितों ने प्लॉट बेच दिए हैं, उन्हें सरकार फिर से प्लॉट दे रही है और जिनके पास प्लॉट है, उन्हें मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जा रही है. इसके उलट ग्रामीणों का आरोप है कि एनवीडीए ग्रामीणों का पुनर्वास किए बगैर ही घरों पर लाल निशान लगाकर उन्हें पुनर्वासित दिखा रहा है. गांवों को खाली कराने के लिए एनवीडीए फर्जीवाड़ा करने पर तुला हुआ है. बिना मुआवजा, पुनर्वास का लाभ लिए परिवारों को ही लाभांवित दिखाकर डूब गांवों से बाहर करने की साजिश चल रही है. डूब ग्रामों में लाभान्वित डूब प्रभावितों के मकानों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया जा रहा है, जिससे चिह्नित हो सके कि इन परिवारों को पुनर्वास स्थल पर प्लॉट, जमीन और 60 व 15 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है. ग्राम छोटा बड़दा में कई परिवार ऐसे हैं जिनका न तो पुनर्वास हुआ है न ही कोई मुआवजा मिला है. एनवीडीए ने इन परिवारों के घरों पर भी क्रॉस निशान लगा दिया है. नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जिन प्रभावितों के घरों पर ये निशान अंकित किए गए हैं, उनका पुनर्वास अभी पूर्ण नहीं हुआ है. ऐसे में मकानों पर निशान लगाना गलत है.

विस्थापित को आवंटित कर दी गांधी स्मारक की ज़मीन

पुनर्वास में फर्जीवाड़े की हद ये है कि राजघाट स्थित ऐतिहासिक गांधी समाधि के लिए कुकरा पुनर्वास स्थल पर आरक्षित प्लॉट ही दूसरे को आवंटित कर दिया गया है. इसका खुलासा तब हुआ, जब राजघाट निवासी सुनील उक्त जमीन पर नक्शा लेकर पहुंचा और इसे अपनी मां राजुलबाई सोमा के नाम से 2014 में आवंटित बताते हुए निर्माण कार्य के लिए जेसीबी से गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया. इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासी और राजघाट के लोगों ने विरोध किया. इसकी सूचना पुनर्वास अधिकारी को भी दी गई. मौके पर पहुंचे पुनर्वास अधिकारी ने काम रुकवाया. गौरतलब है कि वर्ष 2004 में तत्कालीन कलेक्टर चंद्रहास दुबे की उपस्थिति में बापू समाधि के विस्थापन के लिए कुकरा बसाहट में 60 बाय 90 का भूखंड क्र. 174 आवंटित किया गया था. 16 अप्रैल 2012 को ग्राम पंचायत भीलखेड़ा में आयोजित ग्राम सभा में समाधि स्थल के निर्माण के लिए ठहराव प्रस्ताव कर जल्द निर्माण शुरू करने की मांग की गई थी. साथ ही उक्त स्थल पर पौधारोपण भी किया गया था. लेकिन 1 सितंबर 2014 को पुनर्वास अधिकारी द्वारा राजलबाई पति सोमा को भूखंड क्र. 174 आवंटित कर दिया गया. इस पर पंचायत ने 16 सितंबर 2014 को एक बार फिर लिखित आपत्ति जाहिर की. पत्रकार और समाजसेवी चिन्मय मिश्रा इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं. वहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के राहुल यादव का कहना है कि पुनर्वास स्थलों में प्लॉटों को लेकर फर्जीवाड़े का कई बार खुलासा किया जा चुका है. एनवीडीए अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर एक ही प्लॉट को कई-कई बार आवंटित कर दिया है. इसमें छोटा बड़दा में 86, कसरावद बसावट में 20, कुकरा में 3, भीलखेड़ा में 4, दतवाड़ा में 25 और बोरलाय एक और दो में 10-10, प्लाट ऐसे हैं, जिन्हें दो से तीन लोगों को आवंटित कर दिया गया है. कसरावद में तो 48 प्लॉटों की फर्जी रजिस्ट्री भी कर दी गई है. इस मामले में दलाल पर केस भी दर्ज है. इतना ही नहीं पुनर्वास स्थल सलाहकार समिति ने वर्ष 2005 से 07 के बीच पुनर्वास स्थलों के 110 प्लॉटों में हेराफेरी कर जगह बदली है. प्लॉटों के जगह बदल कर उन्हें रसूखदारों को दे दिया गया है.

पशुओं का पुनर्वास भी बड़ी चिंता

अवल्दा पुनर्वास स्थल पर मौजूद भामटा ग्राम पंचायत की उपसरपंच मालू बाई ने बताया कि प्रशासन पुनर्वास स्थल से लगी उनकी चार एकड़ खेत की जमीन में से दो एकड़ पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है. जब यहां अधिकारी पहुंचे, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया. अधिकारियों का कहना था कि 25 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे देते है. इस पर मालूबाई ने कहा कि 25 हजार रुपए आप हमसे ले लो और एक एकड़ जमीन दे दो. इसके साथ ही पशुओं के पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. पिछोडी, सौंदुल, जांगरवा आदि गांवों के लोगों का कहना है कि सरदार सरोवर परियोजना में विस्थापितों के साथ पशुओं का भी पुनर्वास होना चाहिए, ये भी लाखों की संख्या में है. नर्मदा ट्रिब्यूनल का फैसले, सर्वोच्च अदालत के फैसले एवं राज्य की पुनर्वास नीति में भी मवेशियों की बात की गई है. लेकिन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा आज तक इसपर अमल नहीं किया गया है. डूब प्रभावित मदन अलावे और पेमा भीलाला ने बताया कि हमारे मूलगांव में पशु या मवेशियों के लिए चरगोई जमीन, पानी, चारा एवं उन्हें घर में रखने की जगह है, लेकिन पुनर्वास स्थल पर हमारे पशुओं के लिए कोई भी चरगोई जमीन नहीं छोड़ी गई है. चारा या पानी पिलाने के लिए कोई भी हलावा नहीं बनाए हैं. डूब प्रभावितों की मांग है कि पुनर्वास स्थल को भी उनके मूलगांव जैसा ही बनाए जाए, तभी वे गांव छोड़ेंगे.

राजपत्र की ग़लती और पुनर्वास नीति का उल्लंघन

सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गत 25 मई को गजट पारित किया गया. नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस राजपत्र में कई गलतियां उजागर की हैं. इसमें विस्थापित के तौर पर उन लोगों के भी नाम हैं, जो दूसरी जगहों पर निवास कर रहे हैं. इसमें उनका भी नाम दर्ज किया गया है, जिन विस्थापितों को बैक वाटर लेवल से बाहर रखा गया है. मध्य प्रदेश सरकार के इस गजट में 18 हजार 386 परिवारों को 31 जुलाई 2017 तक हटाने की बात की गई है. इन किसानों के अधिकार के लिए मंदसौर से दिल्ली तक जाने वाली यात्रा में बड़वानी में नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया गया. नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर के मुताबिक, सरदार सरोवर बांध के चलते 40 हजार प्रभावित परिवारों को खतरे की ओर धकेला जा रहा है. आदर्श पुनर्वास व रोजगार के साधनों के बगैर इन्हें विस्थापित करना गलत होगा.

पुनर्वास में फ़र्ज़ीवाड़े की हद ये है कि राजघाट स्थित ऐतिहासिक गांधी समाधि के लिए कुकरा पुनर्वास स्थल पर आरक्षित प्लॉट ही दूसरे को आवंटित कर दिया गया है. इसका खुलासा तब हुआ, जब राजघाट निवासी सुनील उक्त जमीन पर नक्शा लेकर पहुंचा और इसे अपनी मां राजुलबाई सोमा के नाम से 2014 में आवंटित बताते हुए निर्माण कार्य के लिए जेसीबी से गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया. इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासी और राजघाट के लोगों ने विरोध किया. इसकी सूचना पुनर्वास अधिकारी को भी दी गई. मौके पर पहुंचे पुनर्वास अधिकारी ने काम रुकवाया.

हैरतंगेज बात तो ये है कि सरदार सरोवर डूब गांवों के पुनर्वास स्थलों के लिए प्रशासन आदिवासियों की जमीन को भी अधिग्रहित कर रहा है और इन आदिवासियों को न तो विस्थापित माना जा रहा है और न ही मुआवजा दिया जा रहा है. पुनर्वास नीति के अनुसार आदिवासी किसानों की जमीनें नहीं ली जा सकती हैं. सामान्य वर्ग की जमीन लेने पर भी उन्हें विस्थापित मान कर उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है, लेकिन यहां पुनर्वास नीति का पालन नहीं किया जा रहा है. 2010 की पुनर्वास नीति के अनुसार, आदिवासी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता. पुनर्वास नीति में साफ लिखा है कि डूब में आने वाले विस्थापितों के साथ डूब कार्य से प्रभावित लोगों को भी विस्थापित माना जाएगा. सामान्य वर्ग के किसान की जमीन अधिग्रहित की जा सकती है, लेकिन उसमें भी खेत मालिक और उसके व्यस्क पुत्र के लिए 2-2 हेक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ेगी. इसके बाद बची जमीन का ही अधिग्रहण किया जा सकता है. एनवीडीए ने 2010 के बाद की पुनर्वास नीति में से डूब कार्य से प्रभावित शब्द हटा दिया है. इस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

1990 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुए चिपको आंदोलन बांध की तर्ज पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भी प्रभावित जिलों में चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है. पेड़ बचाने के इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा किनारे राजघाट से की गई है. यहां पर 100-200 साल पुराने पेड़ों से चिपककर और गले लगाकर आंदोलनकारियों ने घाटी के पेड़ों को कटने से बचाने का संकल्प लिया है. लोगों का कहना है कि न तो हम पेड़ों को काटने देंगे और न ही पूर्ण पुनर्वास होने तक हम हटेंगे. ■

बांध का गेट बंद होने से गुजरात में ख़ुशी

सरदार सरोवर परियोजना सिंचाई, विद्युत और पेयजल वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो चार राज्यों क्रमशः गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है. इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात में नर्मदा नदी पर 1,210 मीटर लंबा और 163 मीटर ऊंचा कंक्रीट गुरुत्व बांध का निर्माण किया जा रहा है. इस परियोजना की सक्रिय भंडारण क्षमता 5,800 मिलियन घन मीटर (4.73 मिलियन एकड़ फीट) है. इससे 458 किमी लंबी पक्की नर्मदा मुख्य नहर द्वारा (शीर्ष प्रवाह 1.133 घन मीटर प्रति सेकेन्ड) 17.92 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर वार्षिक सिंचाई करने का प्रावधान है. कहा जा रहा है कि इससे गुजरात के सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र साबरकांठा, बनासकांठा आदि इलाकों तक पर्याप्त रूप से नर्मदा का पानी पहुंचेगा. अब तक जहां 6.8 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा मिल पाती है, वहीं इन दरवाजों के बंद होने और बांध के कारण करीब 18 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही राजस्थान को आवंटित 616 मिलियन घन मीटर (0.5 मिलियन एकड़ फीट) नर्मदा जल का उपयोग बाड़मेर और जालोर जिलों की कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र की 246 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किया जाना है. साथ ही कई शहरों एवं 1107 गांवों में पेयजल आपूर्ति करने हेतु प्रस्ताव बनाए गए हैं. सरदार सरोवर के बिजली संयंत्रों में पूरी क्षमता के साथ रोजाना लगभग 1450 मेगावॉट पनबिजली का उत्पादन होगा. इसका अधिकतम लाभ राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को होगा.

नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की नींव रखे जाने के 56 साल बाद विवादित बांध के फाटकों को पिछले माह बंद कर दिया गया. नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की ओर से अनुमति मिलने के कुछ घंटों बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बांध के दरवाजे बंद करने का शुभारंभ किया और शाम तक नर्मदा बांध के सभी 30 दरवाजे बंद कर दिए गए. गुजरात सरकार का दावा है कि बांध का जो पानी समुद्र में व्यर्थ बह जाता था, वो अब गुजरात में पीने एवं सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा. इससे अब मानसून में बांध की पूरी क्षमता के साथ नर्मदा का पानी संग्रहित हो सकेगा. दरवाजों के कारण अब सरदार सरोवर नर्मदा बांध की पूरी ऊंचाई 138.68 मीटर हो गई है, जो पहले दरवाजों के बिना 121.92 मीटर थी. दरवाजे बंद होने के बाद अब बांध में 4.73 मिलियन एकड़ फीट (पौने चार गुना) पानी बढ़ जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान सरदार सरोवर बांध का जिक्र किया था. प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरदार सरोवर बांध के गेट बंद होने के साथ ही गुजरात की समृद्धि का नया दौर शुरू हो गया है. पानी की उपलब्धता गुजरात के लिए एक बड़ी बात रही है. पहले पानी पर ही इतना पैसा खर्च होता था कि उसका अन्य योजनाओं पर असर पड़ता था. बांध पर बने 30 दरवाजे बंद होने के बाद से इसमें जल का संग्रहण स्तर करीब पौने चार गुना बढ़ गया है, जिससे गुजरात में जल की उपलब्धता की समस्या के काफी हद तक हल होने की उम्मीद है. इधर, मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह का कहना है कि सरदार सरोवर बांध के फाटकों के बंद होने से 192 गांवों के 40,000 लोग प्रभावित होंगे. इनके पुर्नवास की कोई योजना नहीं है. सरकार झूठे वचन पत्र भरकर विस्थापितों को भ्रमित कर रही है. गुजरात में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बांध के गेट लगाकर उद्योगपतियों को उपकृत किया जा रहा है, ताकि चुनाव जीता जा सके. कांग्रेस इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी. डूब प्रभावितों को उनका हक दिलाया जाएगा. गुजरात के फायदे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर चुप्पी साध रखी है. ■

समस्याओं का समाधान युद्ध से ज्यादा जरूरी है

www.kamalmorarka.com

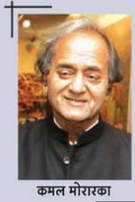

कमल मोरारका

माहौल ख़राब करने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में ईंट और पत्थर आने शुरू हो गए हैं. कुछ विधायकों के बयान आए हैं कि वे अदालत के निर्णय की परवाह नहीं करेंगे, मंदिर 2018 तक बना लेंगे. ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने देश को ध्रुवीकृत करने का निर्णय ले लिया है. 2019 के चुनाव में वे धर्म को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. यह वो भारत नहीं है, जिसकी बात संविधान करता है और जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान वो किताब है जिसका हम पालन करेंगे. भले ही प्रधानमंत्री पर जिस तरह का भी दबाव हो, देश तार्किक और संयमित दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है.

अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो मेरे लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं. इजरायल को गंगा सफाई का ठेका देने की बात है. जब तक बेहतर तकनीक के साथ काम होता है, हमारे जैसे तार्किक सोच रखने वाले लोग इसका विरोध नहीं करेंगे. लेकिन यह हिन्दुत्ववादी ताकतों को देखना है कि क्या वे गंगा की सफाई किसी यहूदी से करवाना चाहेंगे. इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस ने पहले ही गंगा सफाई के लिए तकनीक देने की पेशकश की थी. लेकिन यह सरकार हमेशा की तरह किसी को खुश करने व किसी और देश को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है. ये विदेश नीति का कोई अच्छा उदाहरण नहीं है. इजरायल एक बहुत ही छोटा देश है. हमसे चार हजार किलोमीटर दूर है. वह हमारा कोई सबसे मजबूत सहयोगी नहीं हो सकता है. निश्चित तौर पर वे अपने रक्षा उत्पादन का 41 फीसदी भारत को बेचते हैं. लिहाजा उनके लिए भारत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी सोच और अपनी नीतियों में बदलाव लाना अच्छा लगता है. फिर भी यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है.

माहौल ख़राब करने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में ईंट और पत्थर आने शुरू हो गए हैं. कुछ विधायकों के बयान आए हैं कि वे अदालत के निर्णय की परवाह नहीं करेंगे, मंदिर 2018 तक बना लेंगे. ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने देश को ध्रुवीकृत करने का निर्णय ले लिया है. 2019 के चुनाव में वे धर्म को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. यह वो भारत नहीं है, जिसकी बात संविधान करता है और जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान वो किताब है जिसका हम पालन करेंगे. भले ही प्रधानमंत्री पर जिस तरह का भी दबाव हो, देश तार्किक और संयमित दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है.

चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर यह माहौल बनाया जा रहा है कि कश्मीर में तनाव बढ़ाओ, चीन की सीमा पर तनाव बढ़ाओ. सेना प्रमुख जिस तरह से सार्वजनिक बयान देते हैं, उस तरह के बयान की अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है. इससे निश्चित रूप से स्थिति और खराब होगी. निश्चित तौर से कोई भी जो विदेश नीति और भारत की क्षमताओं को समझता है, वो चीन के साथ सीमित युद्ध की भी वकालत नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देशों की ताकत में कोई तुलना ही नहीं है. भारत के पास कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान किसी भी पड़ोसी के साथ युद्ध करने से ज्यादा जरूरी है. मैं समझता हूं कि देश एक खास दौर से गुजर रहा है. सरकार को तीन साल में जितना करना था, वो कर चुकी है. अब वे 2019 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. लिहाजा वे कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, जो दीर्घकालिक आर्थिक लाभ से जुड़ा हो, क्योंकि उन्हें इसका तत्काल फायदा नहीं मिलेगा. वे जो भी करेंगे, चुनाव को ध्यान में रखकर करेंगे, ताकि 2019 को जीत सकें. लेकिन ये आसान नहीं है. यह देश उनकी सोच से अधिक परिपक्व और जटिल है. इंदिरा गांधी ने 1977 में इसी तरह का एक प्रयोग किया था, जब मीडिया में उनका कोई विरोध नहीं था, लेकिन नतीजे पूरी तरह से उनके खिलाफ आए. भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. लेकिन वे कहते हैं कि नई पीढ़ी की सोच अलग है. देखते हैं, क्या होता है?■

feedback@chauthiduniya.com

आर या पार

महिला क़ैदियों को पितृसत्तात्मक पूर्वग्रहों का शिकार होना पड़ रहा है

जेल में बंद महिलाओं को कई तरह के पितृसत्तात्मक पूर्वग्रहों का शिकार होना पड़ता है. ये पूर्वग्रह समाज, खुद के परिवार और जेल कर्मचारियों के होते हैं. अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि भारतीय परिवार महिला कैदियों के प्रति अधिक कठोर होते हैं. इस वजह से उनसे जेल में मिलने जाने वालों की संख्या कम होती है. साथ ही उनकी कानूनी मदद करने के लिए भी परिवार के लोग कम पैसे खर्च करते हैं. इनमें से अधिकतर महिलाएं आर्थिक लिहाज से समाज के निचले तबके की होती हैं. इसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा पाना संभव नहीं होता है. वे पूरी तरह से जेल कर्मचारियों के रहमोकरम पर निर्भर होती हैं.

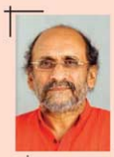

परंजय गुहा ठाकुरता

मुंबई के भायखला जेल में 24 जून को एक 38 वर्षीय महिला की मौत हमें भारत के जेलों की हालत और लैंगिक आधार पर महिला कैदियों के प्रति बर्बरता की याद दिलाता है. जेल कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से इस जेल में बंद मंजुला शेट्टी को वार्डन का काम दिया गया था. जब उन्होंने जेल की एक महिला कर्मचारी से यह शिकायत की कि उनके बैरक के लिए जो अंडे और ब्रेड दिए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं, तो उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जेजे अस्पताल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि मौत चोट लगने से हुई. जांच के दौरान शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले थे. प्राथमिकी में एक प्रत्यक्षदर्शी महिला कैदी का बयान दर्ज है. इसमें बताया गया है कि न सिर्फ शेट्टी को पीटा गया, बल्कि तीन महिला जेल कर्मचारियों ने उनका यौन उत्पीड़न भी किया. छह जेल कर्मचारियों की इस मामले में पहचान की गई है, इसके बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

जेल में बंद महिलाओं को कई तरह के पितृसत्तात्मक पूर्वग्रहों का शिकार होना पड़ता है. ये पूर्वग्रह समाज, खुद के परिवार और जेल कर्मचारियों के होते हैं. अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि भारतीय परिवार महिला कैदियों के प्रति अधिक कठोर होते हैं. इस वजह से उनसे जेल में मिलने जाने वालों की संख्या कम होती है. साथ ही उनकी कानूनी मदद करने के लिए भी परिवार के लोग कम पैसे खर्च करते हैं. इनमें से अधिकतर महिलाएं आर्थिक लिहाज से समाज के निचले तबके की होती हैं. इसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा पाना संभव नहीं होता है. वे पूरी तरह से जेल कर्मचारियों के रहमोकरम पर निर्भर होती हैं.

देश के अधिकतर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं. साफ-सफाई का बुरा हाल है और कैदियों को अधपके भोजन से ही काम चलाना पड़ता है. इसमें भी महिला कैदियों को सबसे अधिक झेलना पड़ता है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में भारत में महिला कैदियों की संख्या 16,951 थी. कुल 1,394 जेलों में से 20 सिर्फ महिलाओं के लिए हैं. इनमें से 11 हजार से थोड़ी अधिक संख्या अंडरट्रायल कैदियों की है. इनमें से अधिकतर महिलाएं 18 से 50 साल आयु वर्ग की हैं.

जेल सुधारों के बारे में कई समितियों की सिफारिशों के बावजूद इन सुधारों का पूरा जोर पुरुष कैदियों पर रहा है. महिलाओं की भी कुछ जरूरतें हैं, इस पर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया गया. उदाहरण के तौर पर महिला कैदियों को माहवारी के दौरान विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए. ऐसे ही गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चे की मां की जरूरतें अलग हैं. इन समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया. जब महिला कैदी बीमार पड़ जाती हैं, तो दवाओं के लिए भी उन्हें अपने परिजनों या मित्रों पर निर्भर रहना पड़ता है. कई महिला कैदी अपने बच्चे को छह साल की उम्र तक अपने साथ रख सकती हैं. लेकिन बच्चे के पोषण और शिक्षा की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे जेल के अंदर की स्थिति को बद से बदतर बनाने वाली हैं.

सामान्य जेलों में पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग रखा जाता है. पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं तक महिला कैदियों की पहुंच नहीं होती है. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिला कैदियों की संख्या के मुकाबले महिला जेल कर्मचारियों की संख्या 25 फीसदी से भी कम है. 1988 में महिला कैदियों की स्थिति पर भारत सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति ने यह सिफारिश की थी कि महिलाओं को अधिक संख्या में पुलिस बल में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि महिला और बाल अपराधियों से संबंधित मामलों में उनकी अहम भूमिका होती है. इसके बावजूद शेट्टी का मामला ऐसा है, जहां वे एक महिला जेल में थीं. उनकी हत्या का आरोप जिन जेल कर्मचारियों पर हैं, वे भी महिलाएं ही हैं. इससे पता चलता है कि जेल कर्मचारी का पुरुष या महिला होना उतना अहम नहीं है, जितना उनका प्रशिक्षित और संवेदनशील होना. यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उनकी जवाबदेही तय करने की क्या व्यवस्था है? महाराष्ट्र में दो महिला जेल हैं. इस राज्य में महिलाओं के लिए देश का पहला ओपन जेल बना है. इस तरह की प्रगतिशील छवि के बावजूद यहां पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ी अधिक है. यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने 21 मार्च को लोकसभा में दी. इससे पता चलता है कि जवाबदेही तय होने की कोई व्यवस्था नहीं होना ही, इसके लिए जिम्मेदार है.

जेल सुधार और उसमें भी महिला कैदियों के लिए कोई सुधार हो, यह किसी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है. जेलों में कर्मचारियों की संख्या हमेशा कम रहती है और कैदियों के कल्याण के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनकी संख्या भी कम होती है. शिकायतों के निपटारे के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता वाले आगंतुक बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं होती हैं, क्योंकि जेल कर्मचारियों में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर नहीं होता है. जेलों में इतनी समस्याओं के बावजूद बहुत कम मामले ऐसे आते हैं जहां किसी जेल कर्मचारी या पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई जांच चल रही हो.

शेट्टी की हत्या की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. यह मीडिया, सिविल सोसाइटी और न्यायपालिका के लिए जरूरी है कि कानून का क्रियान्वयन करने वालों की भी जवाबदेही तय की जाए. न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने 1978 के अपने फैसले में कहा था, सलाखों के पीछे आजादी हमारा संवैधानिक अधिकार है. अगर युद्ध इतने अहम हैं कि उन्हें जनरल पर छोड़ दिया जाए तो यकीनन कैदियों का अधिकार जेलर के हाथों में सौंपे जाने के लिहाज से बेहद बेशकीमती है.■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

बुरहान के एक साल बाद

शुजात बुख़ारी

8 जुलाई को कश्मीरी आतंकवाद के पोस्टर ब्वाय बुरहान वानी की हत्या के एक साल पूरे हो गए. बुरहान ने न सिर्फ अपने जैसे हजारों युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे बातचीत की बजाय बन्दूक को तरजीह दें, बल्कि उसने सशस्त्र संघर्ष को भी प्रोत्साहन दिया. जब वह दक्षिण कश्मीर के एक ठिकाने में घेर लिया गया था और सेना की गोलीबारी में मारा गया था, तब तक किसी को ये नहीं पता था कि वह विरोध की एक नई लहर का कारण बन सकता है.

बुरहान का यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा था कि भारत से लोहा लेना है. वह एक हृष्ट-पुष्ट और गोरा-चिट्टा कश्मीरी युवक था. उसकी हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई. कश्मीर एक अप्रत्याशित हंगामे में डूब गया, जो लगभग छह महीने तक चला. कश्मीर के निवासियों का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, हजारों घायल हुए थे और पैलेट गन से कइयों की आंखों की रौशनी भी छीन गई थी. इस दौरान करीब 100 नागरिक मारे गए. सरकार ने नियंत्रण खो दिया और लोगों ने सड़कों पर धावा बोल दिया. कश्मीर प्रस्ताव के लिए आवाजें तेज होने लगी. लोग यह कहने में जरा भी हिचक नहीं रहे थे कि वे भारत से आजादी चाहते हैं.

हाल के वर्षों में 2008 और 2010 के सार्वजनिक प्रदर्शनों के बाद पहली बार युवा मौत से भी नहीं डरते दिखे. जैसा 1990 के दशक में देखा जाता था कि लोग पुलिसकर्मियों या सैनिकों से डरने की जगह उनसे भिड़ जाते थे. आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया. इस तरह जन आक्रोश और चुनौती एक नई सीमा तक पहुंच गई. इस वर्ष मार्च में बड़गाम के चडुरा जिले में तीन युवा मारे गए. लोगों ने एक आतंकवादी को पकड़ने आए सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये तीनों युवक मारे गए थे. इसमें आतंकवादी तो मरा ही, साथ ही तीन और नागरिक भी मौत की भेंट चढ़ गए.

आज स्थिति बदली नहीं है, बल्कि और बदतर हो गई है. दक्षिण कश्मीर घरेलू उग्रवाद का गढ़ माना जाता है. वहां से उन्हें समाप्त करने के लिए सेना संघर्ष कर रही है, लेकिन जनप्रतिरोध की वजह से यह काम कठिन होता जा रहा है. इस तरह के टकराव में जान-माल की क्षति भी हो रही है. 4 मई को जब सेना ने दक्षिणी कश्मीर के 20 गांवों को घेर कर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, तब लोगों ने उसे असफल बना दिया. इस दौरान सेना को पीछे हटना पड़ा था. हालांकि, दक्षिण कश्मीर में अब और अधिक फोर्स भेज दी गई है. अब रणनीति यह है कि ऑपरेशन छोटे क्षेत्रों तक सीमित रखा जाए और सटीक सूचनाओं के आधार पर ही अंजाम दिया जाए. हालांकि, इस तरह के प्रतिरोध में लोगों की जानें भी जाती हैं.

ये सभी घटनाएं राज्य के खिलाफ हैं, जो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी है. राज्य के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों की भागीदारी में भी भारी बदलाव आया है. पिछले एक साल की स्थिति को समझने के लिए ये आंकड़े काफी हैं. 2017 के पहले छह महीनों में विभिन्न घटनाओं में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या 32 है, जो 2016 के इसी अवधि की तुलना में आठ गुना अधिक है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 में जनवरी से जून के बीच 5 नागरिक मारे गए थे.

जिस तरह से लोगों ने अप्रैल में अनंतनाग संसदीय सीट के लिए हुए उप-चुनावों को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने के लिए मजबूर किया, उससे पता चलता है कि लोगों और नेताओं के बीच की दूरी कितनी बढ़ चुकी है. जब 9 अप्रैल को श्रीनगर उपचुनाव के दौरान लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था, तब सेना की गोलीबारी में नौ नागरिकों की मौत हो गई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने वो सीट जीती, लेकिन 7 प्रतिशत मतदान से हुई उनकी जीत पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया.

कश्मीर में आज जो कुछ भी देखा जा रहा है, जैसे बढ़ती आतंकवाद की घटनाएं या आठ साल पहले की तुलना में स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी, जहां लोग अपने चेहरे को छिपाए बिना सेना और पुलिस को चुनौती देते हैं, यह सब दिल्ली के असंवेदनशील दृष्टिकोण का परिणाम है. बुरहान ने कश्मीर के उग्र असंतोष को सिर्फ एक जगह जमा करने का काम किया. वह कश्मीरियों को एकजुट करने का कारण बना. इससे पता चला कि कश्मीर की जमीनी असलियत क्या है और कैसे यह मामला सरकार के हाथों से खिसक चुका है? इससे यह भी पता चला कि राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के एक साधन के रूप में हिंसा को कैसे सामाजिक मंजूरी मिल गई है? कश्मीरियों ने सबकुछ समझते हुए हिंसा से अहिंसा की तरफ रुख किया था, जिसकी वजह से शांति प्रक्रिया पटरी पर आई थी. 2003 से 2007 के बीच नई दिल्ली-इस्लामाबाद और नई दिल्ली-श्रीनगर के बीच शांति प्रक्रिया शुरू हुई थी. कश्मीर के दोनों भागों के बीच विश्वास बहाली को लेकर कई लोगों को संदेह था, इसके बावजूद इस प्रक्रिया ने कश्मीर मुद्दे पर एक टिकाऊ और सम्मानजनक समाधान की आशा पैदा की थी.

हालांकि, इससे कोई समझौता नहीं हुआ. दिल्ली और प्रतिरोध नेतृत्व के दावों और प्रतिदावों के बीच ये तब असफल हो गया, जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के अध्यक्ष यासीन मलिक, जो कश्मीर की आजादी चाहते हैं, ने दिल्ली पर शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने का आरोप लगाया. संयुक्त राज्य सरकार को लिखे गए एक पत्र में (हिज्ब प्रमुख सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में) वो कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कश्मीर समाधान के प्रस्ताव को नौकरशाहों ने खत्म कर दिया. एकतरफा युद्धविराम के निर्णय ने उनके और उनके सहयोगियों के जीवन को खतरे में डाल दिया था. यह एक ऐसा निर्णय था, जिसने उनके राजनीतिक कैरियर को खतरे में डाल दिया. उनके संघर्ष और बलिदानों को नकार दिया. हिंसा के रास्ते पर वापस जाने के लिए उकसाए जाने के बावजूद वे अपने फैसले पर दृढ़ थे. जेकेएलएफ द्वारा 1994 में एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की गई थी. इसके बाद 600 से अधिक उनके सहयोगियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

भारत और पाकिस्तान दोनों इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे, जिसने नई आशा का वादा किया था. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार और पाकिस्तान की एक कमजोर नागरिक सरकार ने शत्रुता को बढ़ाया है. कश्मीर पर दिल्ली की आवाज ने समस्या को बढ़ा दिया है. कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होने के साथ ही केंद्र की भाषा भी खराब है. भाजपा सरकार की एक स्पष्ट रणनीति है कि कश्मीर के मामले को कठोरता से निपटा जाए. बुरहान की हत्या के बाद, पिछले एक साल में स्थानीय आतंकियों की संख्या बढ़ गई है. 2016 के अंत तक यह 88 थी और साल के अंत तक इसमें लगभग 30 स्थानीय युवा शामिल हुए. हताशा और निराशा युवाओं को हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है. ये उन्हें नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ ले जाएगा. आज का युवा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण ले रहा है. वे पुलिस और अर्धसैनिक बलों से राइफलें छीन रहे हैं. समस्या का राजनीतिक आयाम भी कठिन है. यह हिंसा को बनाए रखने, बुरा प्रशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार का घातक संयोजन बना रही है. बुरहान की मौत हो गई, लेकिन उसकी हत्या ने एक नए कश्मीर को जन्म दिया है, जो आक्रामक और हिंसक है. दिल्ली इस सन्देश को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसे हार्डलाइन ही सूट करता है. लेकिन लोग तो अनिश्चितता और हिंसा से पीड़ित हो ही रहे हैं.

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

पॉर्न साइट्स : बचपन और शैशव दोनों बर्बाद

हमारे देश में बच्चों का बचपन और उनका शैशव समाप्त हो रहा है. इस दुःखद स्थिति के पीछे कोई और नहीं स्वयं बच्चे हैं और इंटरनेट.

हिन्दुस्तान में इंटरनेट का प्रचार-प्रसार दिन दूनी-रात चौगुनी गति से हो रहा है. सरकार की योजना गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाने की है. मोबाइल फोन कंपनियां डेढ़-डेढ़ हजार के मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा दे रही हैं और खासकर चीन में बने मोबाइल सेट हर तरह के तकनीकी प्रभाव से लैस हैं. दूसरी तरफ इंटरनेट पर जहां उपलब्ध ज्ञान का अथाह भंडार है, वहीं भ्रष्ट ज्ञान का भी अथाह खजाना है. उस खजाने में सबसे ज्यादा खतरनाक पॉर्न साइट्स हैं. ये पॉर्न साइट सेक्स की विद्रूप छवि सामने रख रही हैं. इसका सबसे खतरनाक परिणाम पांच से दस साल की उम्र तक के बच्चों पर हो रहा है. वे शैशव का चहकना, बचपन की मासूमियत और मुस्कुराहट भूल गए हैं.

पारिवारिक व्यस्तता और जिंदगी की लड़ाई में मां-बाप के पास अब इतना समय नहीं होता कि वे अपने छोटे बच्चों, खासकर पांच से बारह साल तक की उम्र के बच्चों, को ये बताएं कि इंटरनेट से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है. वे अपने बच्चों को खुश करने के लिए और खासकर स्टेटस सिंबल की वजह से मोबाइल फोन दिला रहे हैं. मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को स्मार्ट फोन और स्मार्ट टैब दिला रहे हैं. वहीं गरीब, शहरों में रहने वाले गरीब और गांव में रहने वाले साधारण व्यक्ति, भी अपने बच्चों को ऐसे सस्ते फोन दिला रहे हैं जिनमें इंटरनेट की सारी सुविधाएं मौजूद हैं. उसका क्या इस्तेमाल करना है, कोई मां-बाप इसकी सीख अपने बच्चों को नहीं देता है.

अब परिवार छोटे हो गए हैं. माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं. इन परिवारों में सिर्फ तीन या चार लोग रहते हैं. कोई किसी के ऊपर नजर रखने वाला नहीं है. जैसे ही मां-बाप काम के सिलसिले में घर से बाहर गए, पांच से दस साल तक के बच्चे बड़ी संख्या में मोबाइल पर उपलब्ध इंटरनेट सामग्री पर कूद पड़ते हैं. इसका परिणाम उनका शैशव और मासूमियत की समाप्ति की ओर ले जाता है.

इंटरनेट पर हर भाषा में असंख्य पॉर्न वेबसाइट उपलब्ध हैं. हिंदी में ऐसी पॉर्न साइट लोगों के बीच रिश्तों को खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है. उन पॉर्न साइट पर बाप-बेटी, मां-बेटा, बहन-भाई, बहन की सहेली का अपने भाई से संबंध और मां की आंखों के सामने बेटे का उसकी बेटी से संबंध, बाप का बेटी की सहेलियों से संबंध मौजूद हैं. जितने रिश्ते हो सकते हैं, मामा-मामी, चाचा-चाची, भाई-भाभी, भाई-बहन और मां-बाप उन सभी रिश्तों को तार-तार करने वाली कहानियां इस समय इंटरनेट की पोर्न साइट पर मौजूद हैं. ये पांच से दस साल तक के बच्चे जब एक क्लिक में वहां पहुंच जाते हैं, जिसे गूगल आसानी से उन्हें वहां ले जाता है, तब उनके मन में अपनी बहन, मां, मामी और चाची को देखने का अंदाज बदल जाता है. वो उन कहानियों को रस लेकर पढ़ते हैं. उच्च वर्ग के लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लड़के हिंदी सहित तमाम दूसरी भाषाएं, जिनमें गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलगु सब शामिल हैं, इनमें उन्हें वो रस भरी कहानियां मिल जाती हैं.

इन कहानियों का परिणाम सिर्फ सेक्स के अति विद्रूप पहलू से परिचित कराना नहीं है, बल्कि उन रिश्तों में भी आग लगाना है, जो अभी समाज में बचे हुए हैं. आज समाज में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उनके पांच से बारह साल तक के बच्चों या उनके दोस्तों के बीच क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, वो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं या जो मोबाइल उनकी हथेली में है, उस पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इसे जानने की कोशिश करें. इसीलिए समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं कि अब दस साल और पांच साल के बच्चों के बीच, चाहे वो लड़के हों या लड़की या लड़के-लड़के ही क्यों न हों, बलात्कार तेजी से बढ़ गए हैं. जब हमारे सामने ऐसे किस्से आते हैं कि दस साल के लड़के ने पांच साल की या तीन साल की लड़की के साथ यौन अपराध किया या दस साल के लड़के ने छः साल की लड़की के साथ यौन अपराध किया, तो हम थोड़ी देर के लिए सन्न जरूर रह जाते हैं, लेकिन उसका कारण तलाशने की कोशिश नहीं करते. मोबाइल का फ्रेज जितना मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में है, वैसा ही पागलपन अब निम्न मध्यम वर्ग में पैदा हो गया है. एक परिवार जो दस हजार रुपए महीने कमाता है, उस परिवार में भी मां-बाप के साथ-साथ बेटों या बेटियों के हाथ में भी मोबाइल आ गया है. वे बच्चे ही घर की लड़कियों को मोबाइल पर वो सारी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिनके साथ उनका रिश्ता भाई या बहन का होता है.

मुझे नहीं पता कि इस पर कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेकिन समाज के बीच से एक ऐसी बिगड़ी तस्वीर सामने निकलकर आ रही है, जहां हम उस समाज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ज्ञान की जगह विद्रूप रिश्ते और विद्रूप सेक्स ज्यादा प्रमुख हैं.

मेरे कुछ मित्रों ने इस स्थिति की शिकायत मुझसे की. इसके बाद मैंने इसकी तलाश में कुछ समाजशास्त्रियों और इंटरनेट के माहिर लोगों से बातचीत की. उन सबका कहना है कि पांच साल से बारह साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा वक्त पॉर्न साइट पर लगाते हैं. वहां से वो सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसकी जरूरत उन्हें सोलह या सत्रह साल के बाद होती है. अब छह साल का बच्चा भी शरीर के हर अंग से परिचित हो जाता है. छह साल

इंटरनेट पर हर भाषा में असंख्य पॉर्न वेबसाइट उपलब्ध हैं. हिंदी में ऐसी पॉर्न साइट लोगों के बीच रिश्तों को खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है. उन पॉर्न साइट पर बाप-बेटी, मां-बेटा, बहन-भाई, बहन की सहेली का अपने भाई से संबंध और मां की आंखों के सामने बेटे का उसकी बेटी से संबंध, बाप का बेटी की सहेलियों से संबंध मौजूद हैं. जितने रिश्ते हो सकते हैं, मामा-मामी, चाचा-चाची, भाई-भाभी, भाई-बहन और मां-बाप उन सभी रिश्तों को तार-तार करने वाली कहानियां इस समय इंटरनेट की पोर्न साइट पर मौजूद हैं. ये पांच से दस साल तक के बच्चे जब एक क्लिक में वहां पहुंच जाते हैं...

का बच्चा स्त्री-पुरुष संबंध, प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक, से परिचित होता है. उन सबका प्रैक्टिकल वो अपने घर में ही करता है. अब घर में यौन हिंसा या यौन उत्पीड़न के मामले बड़ी उम्र के लोगों द्वारा होते हैं. छोटी उम्र में ये उत्सुकता और सहमति से होता है. ये पॉर्न साइट जो रिश्तों को तार-तार करते हुए सेक्स की वीभत्स कहानियां बच्चों के सामने भेज रही हैं, वो बच्चों में उत्सुकता के साथ-साथ उनके मन में मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां भी पैदा कर रही हैं.

इसकी कोई रोकथाम नहीं है, सिवाय इसके कि घर के बड़े ये नजर रखें कि पांच से बारह साल तक के बच्चे इंटरनेट, अपने मोबाइल या टैब पर कर क्या रहे हैं? उनके रिश्ते किन दोस्तों से हैं? उन दोस्तों पर भी घर की महिला सदस्य को नजर रखनी चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि उनके बच्चे किसी मानसिक विकार की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, जिसका पूरा इंतजाम इंटरनेट पर लाखों या करोड़ों पॉर्न साइट ने कर रखा है.

जब सुषमा स्वराज सूचना और प्रसारण मंत्री थीं, तब उन्होंने एक बार इस सवाल को उठाया था. उस समय यह सवाल कई लोगों की आलोचना का निशाना बन गया था. लेकिन आज ऐसा लगता है कि कम से कम अपने देश में गूगल पर दबाव डालकर पॉर्न साइट को प्रतिबंधित करने की कोशिश होनी चाहिए. संबंधों की जितनी विकृतियां उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में दिखाई दे रही हैं, वो विकृतियां अब निम्न और निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंच चुकी हैं. इनके पहुंचने से सिर्फ मानसिक विकृतियां ही नहीं विकसित होती हैं, बल्कि अपराध भी विकसित होते हैं. इन पॉर्न साइट को देखकर बच्चों में उत्तेजना होती है और वो संबंध बनाने के लिए पागल हो जाते हैं. तब उन्हें बहन, मां, चाची, बुआ, भतीजी में कोई फर्क नहीं दिखाई देता. उन्हें वहां पर सिर्फ नारी शरीर दिखाई देता है. दूसरी तरफ छोटी बच्चियों को भी अपना भाई, चाचा, ताऊ नहीं दिखाई देता है. अब घरों में संबंध उस तरह से परिभाषित नहीं होते, जैसे पहले होते थे. पड़ोसी हो, गांव का कोई हो, हरेक के साथ हमारा एक रिश्ता बना होता था. ये हमारे भाई हैं, ये चाचा, ताऊ या मामा हैं, लेकिन अब उन रिश्तों की अहमियत समाप्त हो गई है. इसमें सबसे बड़ा रोल इंटरनेट पर मौजूद इन पॉर्न साइट्स का है.

मैं जानता हूं, इसे पढ़कर कुछ लोग पॉर्न साइट देखने की कोशिश करेंगे. वो देखें, पर इस चेतावनी के साथ कि वो देखकर और पढ़कर मानसिक आनंद लेकर छोड़ देंगे. इन्हीं पॉर्न साइट्स को जब उनका बेटा, छोटा भाई, छोटी बहन या बेटी देखेगी, तब वो सिर्फ देखकर छोड़ नहीं देगी. वो पहले अपने को मानसिक रूप से विकार में झोंकेगी और फिर बाकी लोगों को अपने दायरे में ले लेगी. ये सवाल अनदेखा करने का नहीं है, ये सवाल सोचने का है और रास्ता निकालने का है. जिसका एक हल यही है कि घर के छोटे सदस्यों पर बहुत प्यार से नजर रखी जाए. उन्हें इंटरनेट से क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए ये समझाने की कोशिश की जाए. दूसरी तरफ सरकार को चाहिए कि वो गूगल से बात कर इन पॉर्न साइट्स को हिन्दुस्तान में बैन करने की कोशिश करे.■

editor@chauthiduniya.com

बिड़ला-सहारा मामला

फ़ैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है

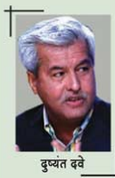

दुष्यंत दवे

प्राकृतिक न्याय का पहला सिद्धांत, भेदभाव के खिलाफ कानून पर आधारित होता है. इसके तीन सूत्रवाक्य हैं: पहला, कोई व्यक्ति स्वहित के मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता. दूसरा, न्याय केवल होना ही नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से दिखना भी चाहिए. तीसरा, सीज़र की पत्नी की तरह न्यायाधीश पर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा को बुलंदी तक पहुंचाने पर गर्व कर सकती है. लेकिन सवाल है कि क्या न्यायाधीश उन कानूनों का पालन करते हैं, जिनकी समीक्षा वे खुद करते हैं? जवाब नकारात्मक दिखता है. इसकी मिसाल 11 जनवरी 2017 को बिड़ला सहारा मामले के फैसले में देखने को मिली. एक एनजीओ द्वारा दाखिल की गई अर्जी, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं को कथित तौर पर बड़ी रकम की भुगतान के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की गई थी, को जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस अरुण मिश्रा ने ख़ारिज कर दिया था. अदालत को यह लगा कि किसी ठोस कानूनी साक्ष्य के अभाव में (जिसपर संज्ञान लिया जा सके) किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी, किसी सरकारी अधिकारी या किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच का आदेश देने में सतर्कता बरतनी चाहिए. गौरतलब है कि आदित्य बिड़ला और सहारा समूह पर सीबीआई और आयकर के छापों के दौरान बरामद दस्तावेज़ मौजूद थे. फैसले में यह दर्ज किया गया है कि रैंडम लॉग से यह ज़ाहिर होता है कि कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्तियों को नगद राशि हस्तांतरित की गई. रैंडम पन्नों की प्रतियां अनुलग्नक ए-8 के तौर पर दाखिल की गईं. अनुलग्नक ए-9 और अनुलग्नक ए-10 के पन्ने भी दाखिल किए गए, जिनमें देश के बड़े-बड़े राजनेताओं के नाम लेन-देन के मामले में शामिल हैं. इनमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था.

जस्टिस मिश्रा ने 10 दिसम्बर 2016 को ग्वालियर में अपने भतीजे के विवाह समारोह का आयोजन किया था. इस समारोह में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरें प्रदेश के अखबारों में छपी थी. यहां यह बताना गलत नहीं होगा कि उक्त मुकदमे की सुनवाई नवम्बर 2016 से एक अन्य खंडपीठ में चल रही थी, जिसके सदस्य जस्टिस मिश्रा भी थे.

3 जनवरी के बाद जस्टिस मिश्रा पहली बार उस पीठ के अध्यक्ष बने. यह विवादास्पद मुकदमा एक बार फिर उस पीठ में सूचीबद्ध किया गया. इसके बावजूद जस्टिस मिश्रा ने जनवरी से पहले या बाद में शिवराज सिंह समेत किसी अन्य राजनेता से अपनी नजदीकियों को कभी ज़ाहिर नहीं किया.

लिहाज़ा मामले की सुनवाई में किसी भेदभाव की आशंका है या नहीं, इस जांच से पहले ही जस्टिस मिश्रा स्वतः मामले की सुनवाई के लिए अयोग्य हो जाते थे. सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में इस तथ्य को दोहराया है. रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में संविधान पीठ ने 2002 के अपने फैसले में अन्याय को दूर करने के लिए उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पेटीशन) की एक असाधारण और नई व्यवस्था का प्रावधान किया. अपने फैसले में खंडपीठ ने कहा कि हम इस विचार से सहमत हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बेहतरीन फैसला देते हैं, उन फैसलों में मानवीय गलती की गुंजाइश सीमित रहती है, फिर भी दुर्लभतम मामलों में अंतिम फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी, ताकि अन्याय को ठीक किया जा सके. जिन परिस्थितियों में इस तरह की राहत दी जा सकती है, उनमें से एक है यदि न्यायाधीश पक्षकार या पक्षकारों से अपने निजी संबंधों को ज़ाहिर नहीं करते, जिससे याचिकाकर्ता को फैसले में भेदभाव और नुकसान का अंदेशा हो. 11 जनवरी को दिया गया फैसला इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जस्टिस मिश्रा, अपने और शिवराज सिंह चौहान या उक्त दस्तावेजों में दर्ज राजनैतिक हस्तियों से अपने सम्बन्धों को ज़ाहिर करने में असमर्थ रहे. लिहाज़ा इससे फैसले में भेदभाव का संदेह है. यह फैसला न केवल याचिकाकर्ता को, बल्कि लोकहित को भी प्रभावित करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने इन रे पिनोशे मामले में हाउस ऑफ़ लार्ड के 1998 के फैसले का अनुकरण किया है. इस मामले में अपने पिछले फैसले को हाउस ऑफ़ लार्ड ने भेदभाव होने की संभावना के मद्देनजर वापस ले लिया था. इस मामले की सुनवाई कर रहे जज लार्ड हॉफमैन और उनकी पत्नी एक पक्षकार से सम्बंधित थे. न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कोई व्यक्ति अपने ही किसी मामले का जज नहीं हो सकता. अदालतों द्वारा विकसित इस सिद्धांत के दो समरूप, लेकिन असमान आशय हैं. दूसरा आशय यह है कि यदि सुनवाई कर रहा न्यायाधीश मामले का पक्षकार नहीं है या उसमें उसका कोई आर्थिक हित नहीं है, लेकिन उसके बर्ताव से यह संदेह पैदा होता है कि वो निष्पक्ष नहीं है, यानी वो किसी पक्षकार का दोस्त है.

एनजेएसी मामले में 16 अक्टूबर 2015 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में जस्टिस चेलमेश्वर ने हितों के टकराव, जिसमें कोई जज स्वतः सुनवाई के अयोग्य हो जाता, के मुद्दे पर अलग से समीक्षा की. अदालत ने निष्पक्ष न्यायाधीश के मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसे लोकतंत्र की पहचान बताया. उन्होंने पिनोशे मामले का हवाला देते हुए उसका अनुमोदन भी किया. 2001 में अदालत ने कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड मामले में कहा था कि अदालती फैसले में भेदभाव का वास्तविक खतरा उस समय पैदा होता है, जब मामले से जुड़े न्यायाधीश और पक्षकार के बीच दोस्ती या दुश्मनी का रिश्ता हो. वर्ष 2012 में आरसी चंदेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस लोढ़ा ने आगाह करते हुए कहा था कि लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए न्यायाधीश को आवश्यक रूप से स्वच्छ छवि और स्वतन्त्र विचार का होना चाहिए.

अपने चार्टर न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना में 7 मई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया: (1) केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए. न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों की आस्था की पुष्टि उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहार और आचरण से होनी चाहिए. (2) एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय की गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए. (3) न्यायाधीश को अपने परिवार के सदस्य, निकट सम्बन्धी या मित्र से सम्बंधित मामलों की सुनवाई से अलग हट जाना चाहिए. (4) हर न्यायाधीश को हर समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो जनता की नज़र में है.

जस्टिस मिश्रा ने 18 दिसम्बर 2016 को दिल्ली में अपने भतीजे का रिसेप्शन आयोजित किया. उस समारोह में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान हाई कोर्ट और रजिस्ट्री ऑफिस के कई न्यायाधीशों व वकीलों के साथ मैं भी मौजूद था. समारोह में विभिन्न दलों के राजनेताओं के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी दिखे, जिनका न्यायतंत्र से कोई सम्बन्ध नहीं था. सवाल उठता है कि दूरी की सीमा कहां है? इससे समारोह में मौजूद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को क्या सन्देश जाएगा? आजकल उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निजी कार्यक्रमों में भाग लेना आम चलन बन गया है, जो तटस्थता के संकल्प पर सवाल खड़े करता है.

जस्टिस मिश्रा का फैसला दो परस्पर सम्बंधित निष्कर्षों पर आधारित था. पहला समझौता (सेटलमेंट) आयोग ने दस्तावेजों को संदेहास्पद करार दिया था और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाने या नियमित लेखा पुस्तिका में दर्ज नहीं होने के कारण इसे साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता. ये दोनों निष्कर्ष गंभीर न्यायिक कानूनी कमजोरी को ज़ाहिर करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर स्वीकार्य किया जा सकता है. आयकर की धारा 132(4) और (4ए), 1961 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 ऐसे दस्तावेजों के बारे में कहती है कि ये उस व्यक्ति से संबंधित माना जाएगा, जिससे उन्हें जब्त किया गया हो. उन्हें सही सबूत माना जाएगा यानी इनमें दर्ज ब्योरों को जांच के दौरान सबूत के तौर पर रखा जा सकता है. पूरणमल बनाम डायरेक्टर ऑफ़ इंस्पेक्शन और आईटीओ बनाम सेठ ब्रदर्स मामलों में सुप्रीमकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है. मद्रास, दिल्ली और राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसे दस्तावेजों को सबूत के तौर पर स्वीकार किया है.

लिहाज़ा साफ़ ज़ाहिर है कि 11 जनवरी का फैसला भेदभावपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस लेने योग्य और यदि ज़रूरत पड़े तो संज्ञान लेने योग्य है. ऐसा करने के बाद ही लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी.■

(लेखक वरिष्ठ वकील एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं)

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में मदरसों पर मठाधीशों की मनमानी

लूट रहे सरकारी धन और ज़कात

इसरार पठान

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मदरसों की हालत बेहद खराब है. वे आज भी घिसे-पिटे तौर-तरीकों और बाबा आदम के जमाने की पद्धति से चल रहे हैं. मदरसों के संचालन की व्यवस्था देख रहे लोग संविधान के अनुच्छेद-30 को हथियार बनाकर इसे कामधेनु की तरह दुह रहे हैं और बच्चे सार्थक इल्म से वंचित हो रहे हैं. नदवां जैसे दर्जनभर मदरसों को अलग कर दें, तो बाकी के सारे मदरसे बदहाल ही हैं. लखनउ में संचालित दारुल उलूम नदवातुल उल्मा, आजमगढ़ में दीनी व दुनियावी शिक्षा की कमान संभाले दारुल उलूम अशरफिया मिस्बाहुल उलूम एवं जामियातुल फलाह ठीक काम कर रहे हैं. इसके साथ ही सहारनपुर, बनारस, बरेली, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में लोगों को फायदा पहुंचा रहे क्रमशः मदरसा मज़ाहिर उलूम, दारुल उलूम देवबंद, जामियां सलफिया रिवारी तलब, जामिया मंज़र इस्लाम, दारुल उलूम फैज़ुर रसूल, दारुल हुदा यूसुफपुर और मदरसा सिराजुल उलूम सार्थक कोशिशों का नतीजा हैं.

प्रदेश में ऐसे मदरसों की संख्या अत्यंत कम है, जिन्हें पूर्णता की श्रेणी में रखा जाए. सूबे में मात्र दर्जनभर मदरसों पर इतराने के बजाय शासन को उन मदरसों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कस्बाई और ग्रामीण स्तर पर खोल तो दिए गए हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता रत्तीभर भी नहीं है. यहां तक कि जमीन पर उनकी मौजूदगी भी नहीं है. प्रदेश में ऐसे बेमानी के मदरसों की संख्या सौ पचास नहीं बल्कि हजारों में है. दस्तावेज बताते हैं कि अम्बेडकनगर में 269, आजमगढ़ में 233, इलाहाबाद में 132, आगरा में 17 और अलीगढ़ में 16 ऐसी संस्थाएं पंजीकृत हैं, जो मदरसों के संचालन का दावा करती हैं. ऐसी स्थिति कमोबेश प्रदेश के हर जिले की है. बुंदेलखंड तो ऐसे काम चलाऊ मदरसों का बड़ा गढ़ बन चुका है. रिकार्ड बताते हैं कि यहां संयुक्त रूप से लगभग पांच सौ संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं. निजी स्वार्थों के चलते लोग तेजी से ऐसे मदरसे खोल रहे हैं. इनका मुख्य मकसद होता है, महज कागजों पर या फिर एक कमरे से मदरसा संचालित कर सरकारी योजनाओं को हड़पना या ज़कात और फितरे के माध्यम से अपनी जेबें भरना. हालांकि इसके लिए ये मदरसा संचालक ही दोषी नहीं हैं, बल्कि अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी और मुलाज़िम भी उतने ही कसूरवार हैं. सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष सहित सूबे की राजनीति में सक्रिय अधिकांश दलों को इसकी जानकारी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक लिप्सा ने उनके मुंह पर ताला डाल रखा है. यही वजह है कि मदरसों पर मठाधीश हावी हैं.

ये मठाधीश मनमाने ढंग से मदरसों का संचालन कर रहे हैं. कुछ लोग मान्यता लेकर सरकारी मदद के चूते ऐश कर रहे हैं. कुछ मदरसे जनता के चंदे से चांदी काट रहे हैं. मदरसों से पढ़े हुए बच्चों का भविष्य संकट में है. विशुद्ध दीनी तालीम देने वाले इदारों से पढ़कर निकले हाफिज, कारी व आलिम रोजगार को मोहताज़ हैं. इन मदरसों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवेश और गरीब परिवारों से आते हैं. कहा जाता है कि फीस के नाम पर इनसे घरों से लाया हुआ चावल, अनाज व दलहन लिया जाता है. ऐसा कर के ये दीनी तालीम हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन ये ही जब मदरसों में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो इनसे भारी भरकम रिश्वत की मांग की जाती है. सरकार आधुनिक शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों को तीन अध्यापकों का मानदेय देती है, जबकि इन पदों के लिए शिक्षक चयन का अधिकार प्रबंधक के पास होता है और वे इसका खूब फायदा उठाते हैं. आवेदनकर्ताओं से नियुक्ति के बदले मोटी रकम ली जाती है. इस रिश्वत का दायरा उन मदरसों में और अधिक बढ़ जाता है, जो मान्यता प्राप्त होते हैं. बुंदेलखंड के महोबा जनपद में संचालित मदरसा दारुल उलूम समदिया मकनियांपुरा इस बात की बेहतर नज़ीर है, जहां कुछ वर्षों पहले इसी तरह के एक मामले से बवाल मच गया था. कुछ प्रबंधक शिक्षक के पदों पर अपने ही परिवार के सदस्यों को नियुक्त कर लेते हैं और सरकारी मदद डकार जाते हैं. ऐसी स्थिति में इदारों से पढ़कर निकले हाफिज, कारी व आलिम डिग्रीधारकों के पास सिर्फ दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं. पहला ये कि वे आजीविका के लिए मेहनत-मजदूरी करें या फिर वे भी एक कमरे का मदरसा खोलकर इसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएं.

कंगाल थे, मदरसों के बूते कोठियों के मालिक हो गए

मदरसों से मुस्लिम आवाम का भला हुआ हो या नहीं पर इसका लाभ उठाकर मदरसा संचालक कंगाली से कोठियों तक जरूर पहुंच गए. कंगाली से कोठी तक का सफर सरकारी योजनाओं के धन के साथ-साथ जकात और फितरा ने भी पूरा कराया. शिक्षा की इस पाक ख़िदमत को व्यवसाय का रूप देने वाले लोग आज करोड़ों के वारे-न्यारे कर रहे हैं. बांदा जनपद में संचालित हथौरा मदरसे के सरपरस्त हों या महोबा जिले के पनवाड़ी कस्बे में चल रहे रहमानियां कॉलेज के प्रबंधक या फिर दारुल उलूम गौसिया रिज़विया और मदरसा दारुल उलूम समदिया के कर्ताधर्ता, सब इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं. कुलपहाड़ स्थित जीबी इस्लामियां के अजीज खान और जनपद मुख्यालय के समदनगर में नौनिहालों को फैज़याब करने का दावा कर रहे मदरसा अल्फलाह मुजद्दिया के कथित प्रधान भी इस मामले में हम्माम के नंगे-साझेदार हैं.

मदरसों में चल रही मठाधीशों की मनमानी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराजगी है. मोटा पैसा लेकर मदरसा संचालकों को लूट की मान्यता देने में डीआईओएस और बीएसए कार्यालय भी पीछे छूट गए हैं. भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अल्पसंख्यक विभाग की स्थिति का अंदाजा बुंदेलखंड के जनपदों से बखूबी लगाया जा सकता है. बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में अल्पसंख्यक अधिकारी का कार्य समाज कल्याण अधिकारियों के जिम्मे है. कुछ जनपद ही ऐसे हैं, जिनमें अल्पसंख्यक अधिकारी की तैनाती की गई है. महोबा उन्हीं जिलों में से एक है. यहां के अल्पसंख्यक अधिकारी सिंह प्रताप देव ने तो मनमानी के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. खुद को सूबे के एक कद्दावर मंत्री का कृपापात्र बताने वाले इस अधिकारी के सामने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बौने साबित हो रहे हैं. मदरसों की मान्यता के मामले में मनमानी पर उतारू इस अधिकारी को न तो नियमों से कोई मतलब है और न कायदे-कानून से कोई सरोकार! 'दाम दो और काम लो' के इकलौते फॉर्मूले पर चलने के कारण ही ये अधिकारी दलालों और चापलूसों का प्रिय बने हुए हैं. इनके दफ्तर में हर समय मदरसा मान्यता के धंधे से जुड़े दलालों का जमघट इस बात की पुष्टि करता है. अभी हाल ही में इस बेलगाम अफसर ने जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में जिलाधिकारी से ही बदसलूकी कर दी. जिलाधिकारी ने किसी योजना की जानकारी लेने के लिए उक्त अधिकारी को बुलाया था. सही जानकारी न देने पर जब जिलाधिकारी ने उन्हें डांटा, तो वे बदसलूकी पर उतर आए. इससे समझा जा सकता है कि भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज़मगढ़ में ज़हरीली शराब से फिर दर्जनों मरे

मौतें जारी, धंधा जारी

बुद्ध प्रकाश

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के देवारांचल स्थित रौनापुर थाना क्षेत्र में केवटहिया, ओढ़रा और सलेमपुर गांवों में पिछले दिनों जहरीली शराब से दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जनभर लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. डेढ़ वर्ष पूर्व भी इसी जिले के मुबारकपुर क्षेत्र में जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत हो गई थी. इसके पूर्व बरदह के इरनी गांव में भी 11 लोग जहरीली शराब से मारे गए थे. इन गरीबों को सस्ते में मौत का सामान बेचकर कारोबारी और उस क्षेत्र की पुलिस जेबें भर रही हैं. पहले शराब माफिया गांवों में चोरी छिपे ये कारोबार करते थे, लेकिन अब खुलेआम जहरीली शराब बेचकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं. गांव-गांव में कुटीर उद्योग की तरह जहरीली शराब बनाई और बेची जा रही है. प्रदेश में जहरीली शराब और उससे हो रही मौतों की रोकथाम को लेकर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार नाकाम साबित हुई है.

कुछ अर्सा पहले लखनऊ से सटे उन्नाव में और लखनऊ सीमा के मलिहाबाद के गांव में क्रिकेट मैच के दौरान जहरीली शराब पीने से पचास से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी और डेढ़ सौ से ज्यादा लोग बीमार हुए थे. कुछ ही दिन के बाद ये मामला ठंढा पड़ गया और अवैध शराब की भट्ठियां फिर से दहकने लगीं. आजमगढ़ घटना के बाद भी पुलिस ने शराब की भट्ठियों पर छापामार कर सैकड़ों लीटर कच्ची शराब, डूम, पाउच, स्प्रिट, अल्कोहल, ऑक्सीटोसीन सहित भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए. इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश के अंदर शराब माफियाओं ने इस गोरखधंधे में अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली हैं, जिसे उखाड़ना आसान नहीं है. प्रदेश में अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री पर कोई अंकुश नहीं है. पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये धंधा चलता रहता है. अवैध शराब बनाने का धंधा भी खूब पनप रहा है. चावल, गुड़ की भेली व कुछ अन्य उत्पादों को पीपे में सड़ाकर आसानी से जहरीली शराब तैयार की जाती है. इसे शीघ्र तैयार करने के लिए यूरिया का भी इस्तेमाल होता है. नशा बढ़ाने के लिए इसमें ऑक्सीटोसीन और नशे की गोलियां भी मिला दी जाती हैं. जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला कई सालों से जारी है. 90 के दशक में भदोही के 27, अक्टूबर 2001 में नोएडा के 18, फरवरी 2010 में वाराणसी के 13, मार्च 2010 में गाजियाबाद और बुलंदशहर के 30, अक्टूबर 2013 में आजमगढ़ के 37 और नवंबर 2014 में भदोही के 10 लोगों की जान जहरीली शराब ने ले ली थी. जहरीली शराब की चपेट में राजधानी से सटे सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी सहित पश्चिमी और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं.

कई बार तो नशा पूरा न होने पर ग्रामीण इसके ऊपर से थिनर का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कम रुपए में अधिक नशा हो सके. लेकिन अधिक नशे के चक्कर में ग्रामीण मौत को भी दावत देते जा रहे हैं. मौजूदा समय में कच्ची शराब के ऊपर थिनर का नशा लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. इसकी गवाही राजधानी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में साफ देखने को मिलती है. वहां जहरीली शराब पीने से अधिक थिनर पीकर मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. बीते वर्ष 2016 में यहां थिनर पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसे लेकर तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी अरविंद कुमार को निलंबित भी कर दिया था. बीते दिनों भी थिनर पीने से मोहनलालगंज क्षेत्र में दो ग्रामीणों की मौत हो गई. थिनर को खुले में बेचने का अधिकार किसी दुकानदार के पास नहीं है, फिर भी मौत का ये सामान बड़ी आसानी से किसी भी छोटी-मोटी दुकान पर उपलब्ध हो जाता है.

विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सभी तरह की दुकानों पर थिनर खुलेआम बिक रहा है. इसकी गिरफ्त में ग्रामीण अंचल के कम पढ़े लिखे लोग तेजी से आ रहे हैं. कोर्ट की फटकार के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने थिनर का मिक्सर तैयार कर हाई सिक्योरिटी पैकिंग में बिक्री का दावा किया था. लेकिन राजधानी सहित पूरे प्रदेशभर में थिनर की खुलेआम बिक्री हो रही है. पेपर पर गलत राइटिंग या नेल पॉलिश को मिटाने के नाम पर बिकने वाले थिनर की बढ़ती बिक्री के पीछे की असली वजह भी यही है. स्टेशनरी की दुकानों पर चंद रुपए अधिक लेकर ग्रामीणों को ये खुलेआम बेचा जा रहा है. पेंट घोलने में इस्तेमाल आने वाला थिनर नशे के रूप में धड़ल्ले से इस्तेमाल में आ रहा है.

राजधानी लखनऊ से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्टेशनरी के दुकानदार प्रिंट रेट पर 10 से 20 रुपए अधिक लेकर बिना कोई सवाल जवाब किए ग्रामीणों को नशे का ये सामान बेच रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद थिनर की खुली पैकिंग बंद कर निब वाली पैकिंग ट्यूब बाजार में आ गई, लेकिन छोटे-मोटे बदलाव के साथ अभी भी कुछ नामचीन कंपनियां खुला थिनर बेच रही हैं. प्रशासन का कहना है कि थिनर छोटी-मोटी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके कारण दुकानदार भी किसी को आसानी से दे देते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइड-लाइन का जो भी दुकानदार उल्लंघन करता है, उसपर कार्रवाई की जाती है. थिनर बिक्री पर रोकथाम की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विंध्य के वन पर भू-माफ़ियाओं का क़हर, विलुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य प्राणी

बेमतलब सरकार, मतलबी प्रशासन

संतोष देव गिरि

विंध्य क्षेत्र की हरी-भरी वादियों, पहाड़ों पर आच्छादित वन और वन्य प्राणियों को भू-माफियाओं से भीषण खतरा है. जंगल तेजी से सिमटते जा रहे हैं और जंगल में रहने वाले वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं. जंगल और पहाड़ पर मड़हा डाल कर रहने वाले कोल जैसी वनवासी जनजातियों को प्रशासन जंगल से खदेड़ने का काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भू-माफियाओं को जंगल काट कर वन भूमि पर कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने की प्रशासन से इजाजत मिल रही है. परिणाम ये हुआ है कि जंगल की हरियाली काट कर प्लॉटिंग करने का काम तेज गति से हो रहा है. शासन, प्रशासन, वन विभाग और राजस्व विभाग आंखें मूंदे हैं.

मिर्जापुर जनपद का मड़िहान और हलिया का वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन उष्ण-कटिबंधीय पतझड़ वनों के लिए जाना जाता है. यहां की जैव विविधता असाधारण एवं लोकप्रिय है. मिर्जापुर के मड़िहान वन क्षेत्र में स्लॉथ, भालू, तेंदुआ, गिद्ध (अब तो विलुप्त हो चुके), चिंकारा, काला हिरन, गोह, मगरमच्छ, जंगली सुअर, अजगर आदि वन्य जीवों का वास है. इसी प्रकार हलिया वन क्षेत्र में तेंदुआ, चिंकारा, हिरन, अजगर, जंगली सुअर, आदि जीवों का ठौर है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन वनों में विध्वंसक परिवर्तन हो रहा है. इससे जंगल के अस्तित्व पर ग्रहण लगता जा रहा है. जंगलों को खत्म कर तेजी के साथ हो रहे अवैध कब्जे, वन की कटाई और कंक्रीट के निर्माण कार्यों के साथ-साथ अवैध पत्थर के अंधाधुंध खनन से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. प्रशासन बेशर्मी से चुप है. जंगल के तेज दोहन के कारण ही मड़िहान के जंगलों से भटक कर एक बाघ पड़री क्षेत्र के गांवों की ओर आ गया था. इसी प्रकार 16 जून 2017 को मड़िहान के जंगल से पीने के पानी के लिए तड़पता हुआ एक भालू सुबह के वक्त नकटी मिश्रोली गांव में घुस गया था. जिससे पूरे गांव में खलबली मच गई थी. काफी मशक्कत के बाद वन विभाग और पुलिस टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ कर फिर जंगल में छोड़ा. मड़िहान का जंगल भालू के लिए प्रसिद्ध है. वन विभाग के रिकार्ड में भी जंगल में भालुओं की अच्छी खासी संख्या दिखाई जाती है. भीषण गर्मी में वन्य जीवों के समक्ष पीने के पानी का गंभीर संकट है. दो महीने पहले भी मड़िहान जंगल के नकटी मिश्रौली गांव से लगे गांव में बाघ दिखा था. वन विभाग और कानपुर चिड़ियाघर की टीम दो दिनों तक उस बाघ की तलाश में जुटी रही, लेकिन नाकाम रही.

जंगल की बेतहाशा कटाई से विंध्यक्षेत्र में वन्य जीवों और निकटवर्ती ग्रामीणों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. आए दिन तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ, बाघ, लकड़बग्घा जैसे वन्य जीवों से स्थानीय लोगों का आमना-सामना हो जाता है. कई बार स्थानीय लोगों के हाथों वन्य जीव मारे भी जाते हैं. वन्य जीवों की साल दर साल घटती संख्या चिंताजनक है. वन विभाग मिर्जापुर आंकड़े देखें, तो वन्य जीवों की तेजी से घटती संख्या दुखद एहसास कराती है. साल 2011 में मिर्जापुर के जंगलों में 211 स्लॉथ बेयर (भालू की एक भारतीय प्रजाति), 277 चिंकारा, 129 काला हिरण और 248 सांभर थे. साल 2013 में स्लॉथ बेयर की संख्या घटकर 114 रह गई. इसी तरह 117 चिंकारा, 82 काला हिरण और 88 सांभर बचे. पर्यावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पिछले सात वर्षों से कार्य कर रही संस्था 'विंध्य बचाओ अभियान' ने अप्रैल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिर्जापुर जिले के मड़िहान वन क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था. संस्था से जुड़े देवादित्य सिन्हा और पत्रकार शिवकुमार उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से मिल कर मांग की थी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन एवं वनों के आसपास सभी निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाय. इन्होंने प्राचीन वन भूमि पर किए गए कब्जे को हटा कर दोषियों पर कार्रवाई करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की थी. ताकि, वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ प्लॉटिंग के काम में लगे लोगों और कंपनियों का खुलासा हो सके. लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया.

सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक मिलीभगत का नतीजा है कि दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों और भालुओं वाले मड़िहान के जंगल की पहचान मिटती जा रही है. इसी जंगल के देवरी इलाके में वेलेस्पन पावर एनर्जी की ओर से 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना प्रस्तावित है, जो पूरी तरह से विवादों में घिरी है. वेलेस्पन के खिलाफ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में याचिका भी दायर की गई है. कंपनी ने ग्रामीणों की जमीन को औने-पौने दामों पर दलालों और दबंगों के माध्यम से हथियाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें कंपनी को पुलिस और प्रशासन का साथ मिल रहा है. विडंबना ये है कि मड़िहान के जंगल से लगे रोड एसएच-5 के किनारे के वन को काट कर मुलायम सिंह यादव विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ, वन क्षेत्र उजाड़ कर वहां साइन सिटी विंडम, माउंटेन सिटी हेवन, स्पेजियो स्मार्ट सिटी बसाने की भी तैयारी चल रही है. कल तक जहां हरे भरे वनों की घनी हरियाली देखने को मिलती थी, आज वहां 'यहां प्लॉट बिकाऊ है' के बड़े-बड़े बोर्ड लगे दिखते हैं.

वेलेस्पन पावर एनर्जी से होने वाले नुकसान को लेकर आंदोलन करते चले आ रहे विंध्य बचाओ अभियान के कार्यकर्ता देवादित्य सिन्हा कहते हैं कि कंपनी के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. पिछले 19 जून को एक कार्यक्रम में भाग लेने जाते समय जंगल में रास्ता भटक जाने के दौरान संस्था के सदस्यों को कंपनी के लोगों और मड़िहान पुलिस ने मिल कर प्रताड़ित किया और कैमरे वगैरह लूट लिए. कंपनियों के गुंडे दबंगई के बल पर लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं. विंध्यक्षेत्र के जंगलों, खासकर मड़िहान क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मिर्जापुर स्थित दक्षिणी परिसर के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा पर्यावरण और वन संरक्षण के मसलों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में याचिकाएं भी दायर की गई हैं. इसके बावजूद पूरा तंत्र निर्लज्जता और धृष्टता से भ्रष्ट आचरण में लगा हुआ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपना दल रहा नहीं अपना मां की तरफ हार्दिक, बेटी की तरफ योगी

चौथी दुनिया ब्यूरो

अपना दल के संस्थापक रहे सोनेलाल पटेल ने कमेरा समाज के लिए जो सपना देखा था और जिस सोच के साथ अपना दल की स्थापना की थी, वो अपना दल दो भागों में बंट चुका है. अपने अलग-अलग हो चुके हैं. मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मां कृष्णा पटेल से अलग होकर अपना दल (एस) बना लिया है. पार्टी संस्थापक सोनेलाल की 68वीं जयंती के अवसर पर भी मां बेटी के बीच की ये दूरी साफ नजर आई. अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के जगतपुर मैदान में जन स्वाभिमान रैली का आयोजन कर अपने पिता

अनुप्रिया की सभा की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाकर अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अपने पति आशीष पटेल को प्रमोट करने का काम किया. साथ ही पूर्वांचल में अपनी पकड़ को मजबूत करने की भी कोशिश की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए खासी संख्या में भीड़ उमड़ी और इससे रैली सफल हो गई. अपना दल (एस) को इस साल के विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी ने पार्टी को मजबूती प्रदान की.

की जयंती मनाई, तो वहीं कृष्णा पटेल ने बेटी पल्लवी पटेल के साथ इलाहाबाद के सहसों में सोनेलाल की जयंती मनाई. इन दोनों कार्यक्रमों की खास बात ये रही कि अनुप्रिया पटेल ने जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि बनाया, तो वहीं कृष्णा पटेल ने गुजरात के पाटीदार आंदोलन से मशहूर हुए युवा नेता हार्दिक पटेल को बुलाया.

अपने पिता की जयंती के अवसर पर वाराणसी में आयोजित रैली को अनुप्रिया ने एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा था. इस रैली को यादगार बनाने के इरादे से वे दो लाख की भीड़ जुटाने का दावा कर रही थीं, लेकिन बारिश ने इसमें बाधा डाल दी.

उधर अनुप्रिया की मां द्वारा इलाहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक पटेल को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे. गुजरात के पाटीदार आंदोलन से मशहूर हुए हार्दिक पटेल, अब उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने के प्रयास में हैं. हार्दिक को अपना दल (कृष्णा गुट) का साथ मिल गया है. सोनेलाल पटेल की 68वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक ने कहा कि यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है. उत्तर प्रदेश में किसानों और कुर्मी समाज को संगठित करने की आवश्यकता है. यूपी की योगी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर कटाक्ष करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि यूपी में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. रोजगार और किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार विफल है. पटेल ने किसानों का पूरा कर्जा माफ करने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की मांग की. यूपी के कई जनपदों में अच्छी खासी कुर्मी आबादी है, जो चुनाव में जीत-हार की दिशा तय करती है. मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट जैसे कुर्मी बहुल जिलों में हार्दिक पटेल अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं.

अनुप्रिया की सभा की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाकर अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अपने पति आशीष पटेल को प्रमोट करने का काम किया. साथ ही पूर्वांचल में अपनी पकड़ को मजबूत करने की भी कोशिश की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए खासी संख्या में भीड़ उमड़ी और इससे रैली सफल हो गई. अपना दल (एस) को इस साल के विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी ने पार्टी को मजबूती प्रदान की. अपना दल ने यूपी में कांग्रेस से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल की. इस जीत से अनुप्रिया को लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पहले की अपेक्षा अधिक सीटें जीतेगी. 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल ने मिर्जापुर और प्रतापगढ़ की सीट पर जीत हासिल की थी. मोदी की प्रचंड लहर में मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया और प्रतापगढ़ से कुंवर हरिवंश सिंह जीते थे. तब मां और बेटी एक थीं. लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं. सांसद चुने जाने और केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद मां और बेटी में दूरी बढ़ती ही गई. लिहाजा, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बस शिलान्यास से कैसे बनेगी आरओबी

संजय सोनी

सहरसा में बंगाली बाजार स्थित रेल ओवरब्रिज सभी राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है, जिसपर सभी नेता चुप्पी साधे हैं. चुनाव के वक्त अचानक यह एक अहम मुद्दा बनकर उभरता है और चुनाव बीतने के बाद भी गाहे बगाहे इसकी गूंज सुनाई पड़ जाती है. लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम आदमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस ओवरब्रिज का निर्माण बरसों से अधर में लटका है. इसे बनाने को लेकर केवल वादे ही किए जा रहे हैं. जमीन पर इन वादों को अमलीजामा पहनाने की कोई सूरत नजर नहीं आती है.

मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जीतने से पहले और बाद में भी यह स्पष्ट कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव 2019 के पूर्व आरओबी सहरसा का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे नामांकन तक नहीं करेंगे. इस बात में कितनी ताकत है यह तो अगले चुनाव में ही पता चल जाएगा. इसी तरह यहां के सांसद रह चुके शरद यादव ने भी आरओबी के निर्माण को लेकर ढिंढोरा तो खूब पीटा, लेकिन निर्माण की आज तक कोई सुध नहीं ली. जब पत्रकारों ने शरद यादव से रेल ओवरब्रिज निर्माण के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सांसद हैं, उनसे पूछो कि आखिर कब तक बनेगा.

वैसे आरओबी निर्माण की सुगबुगाहट होते ही नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ मच जाती है. सहरसा-पंचगछिया रेलखंड के बीच एनएच 107 स्थित समपार संख्या 31 बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पहली बार तत्कालीन रेलमंत्री रामबिलास पासवान द्वारा 4 नवम्बर 1996 को आधारशिला रखी गई. दूसरी बार 22 फरवरी 2000 को तत्कालीन रेल राज्यमंत्री स्व. दिग्विजय सिंह द्वारा जब शिलान्यास किया गया, तब उस वक्त बिहार के मुखिया व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राजग गठबंधन में अटल बिहारी सरकार के दौरान रेल मंत्री थे. फिर जब गरीब रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए राजद सुप्रीमो सह तत्कालीन रेलमंत्री भारत सरकार के रूप में लालू प्रसाद का 12 जून 2005 को सहरसा आगमन हुआ, तब उस ऐतिहासिक क्षण में भी तीसरी बार आधारशिला रखकर कोसीवासियों की मुराद पूरी करने की भरसक कोशिश की गई.

इस बीच रेल ओवरब्रिज निर्माण का सब्जबाग दिखाकर न केवल स्थानीय स्तर पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया गया, बल्कि कइयों को आंदोलनकर्ता के रूप में पहचान भी मिली. राज्य के अन्य शहरों में जहां रेल मंत्रालय ने बिना किसी आंदोलन और मांग के स्थानीय जरूरतों के आधार पर खुद आरओबी का निर्माण किया, वहीं सहरसा के निवासियों को

आरओबी निर्माण के लिए जंग करनी पड़ रही है. आरओबी निर्माण नहीं होने के पीछे पूर्व विधान पार्षद मो. इसराइल राइन को भी लोगों ने खूब कोसा, मगर सच्चाई यह है कि मो. राइन खुद आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह की अफवाह क्यों और कैसे फैलाई गई?

आरओबी निर्माण नहीं होने से सहरसा में महाजाम की समस्या आम हो गई है. इस महाजाम से उबरने के लिए ही सांसद पप्पू यादव ने आम जनता की भावना को समझते हुए चुनौती स्वीकार की और इस दिशा में पहल की. जबकि लोकसभा चुनाव 2014 की सुगबुगाहट के दौरान जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मधेपुरा के सांसद शरद यादव ने आरओबी के मुद्दे को भुनाने के लिए 22 फरवरी 2014 को तत्कालीन रेल राज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा चौथी बार शिलान्यास कराया. शिलान्यास के बाद निर्माण की पहल के क्रम में मिट्टी की जांच करवाई गई. जब शरद यादव, पप्पू यादव से चुनाव हार गए तो बौखला कर आरओबी पर पूछे गए सवालों को लेकर पत्रकारों पर भड़क गए. फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव करीब देखकर भाजपा की सरगर्मियां तेज हुई, तब एक बार फिर शरद यादव मैदान में आ गए. अब वे भी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं. इधर, पप्पू यादव भी सांसद शरद यादव के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं कि क्या उन्होंने सदन में कोसी व कोसी के निवासियों की समस्याओं को कभी उठाया. हालांकि खगड़िया के पूर्व सांसद व जद यू नेता दिनेश चन्द्र यादव ने 7 जुलाई 2009 को लोकसभा में कहा कि सहरसा जंक्शन से पचगछिया रेलवे स्टेशन के बीच सहरसा बंगाली बाजार के समपार सं. 31 पर रेल रोड ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1997 में हुई थी. लेकिन आज तक उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है. उक्त पुल का निर्माण सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय के बीच एन.एच-107 पथ पर होना है. ओवर ब्रिज निर्माण नहीं होने से घंटों रेलवे ढाला पर ट्रेन आने के कारण जाम लगा रहता है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है.

इस बीच जब आरओबी सहित अन्य कार्यों के बारे में क्षेत्रीय सांसद चर्चा करने लगे, तब भाजपा को यह महसूस हुआ कि केंद्र में सरकार सरकार मेरी और योजना भी मेरी, तो फिर इसका श्रेय सांसद पप्पू यादव कैसे ले सकते हैं? इसके बाद भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू, भाजपा के पूर्व विधायक संजीव कुमार झा, डॉ. रामनरेश सिंह, पूर्व विधायक डॉ. आलोक रंजन आदि ने कहा कि मधेपुरा रेल इंजन कारखाना हो या अन्य कोई विकास योजना, सभी की जानकारी भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दी थी. इधर, समाजसेवी उमेश दहलान ने आरओबी के नक्शे को शहर उजाड़ने वाला नक्शा करार देकर नए नक्शे से निर्माण की बात कही है. उन्होंने इस बाबत रेल मंत्रालय को भी आवेदन दिया है. कहा जाए तो कागजों पर तो सब हो रहा है, बयानों में भी सब कहा जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब नेतागण किस तरह के बहाने लेकर सहरसा के चुनावी मैदान में कूदते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

संसदीय चुनाव पर राजनीतिक चक्रव्यूह शुरू

सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की कमान फिलहाल कुशवाहा बिरादरी के रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा के हाथ में है. परंतु एनडीए गठबंधन में भाजपा खेमे को सांसद रास नहीं आ रहे हैं. नतीजतन जिला भाजपा संगठन अगले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर सियासी कवायद में जुट गई है. जिले के कई कद्दावर नेता खुद की बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं....

वाल्मीकि कुमार

गठबंधन की राजनीतिक धमाचौकड़ी के बीच साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जिला भाजपा संगठन को पूरी उम्मीद थी कि सीतामढ़ी में भाजपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा. परंतु गठबंधन की राजनीति ने पार्टी संगठन के उत्साह को ठंडा कर दिया. जब गठबंधन के तहत सीतामढ़ी सीट से रालोसपा के राम कुमार शर्मा को बतौर प्रत्याशी चुनावी समर में उतारने की घोषणा की गई, तब से जिला भाजपा संगठन के कार्यकर्ता निराश हैं. इसके बावजूद सभी ने अपनी जुबान बंद रखी थी. लेकिन इसके बाद से ही पार्टी के अंदर जातीय राजनीति सुलगने लगी. वैश्य बनाम कुशवाहा की राजनीतिक चिंगारी चुनावी फिजा में उड़ने लगी थी. मगर तत्कालीन प्रदेश नेतृत्व ने भनक लगते ही जिला संगठन को बेपटरी होने से रोक दिया था. नतीजतन तकरीबन डेढ़ लाख मतों से कुशवाहा बिरादरी के राम कुमार शर्मा सांसद निर्वाचित हुए. इसके साथ ही चुनाव जीतकर सदन पहुंचने वाले पहले कुशवाहा नेता के रूप में इनका नाम सीतामढ़ी में दर्ज हो गया. चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी. प्रधानमंत्री की पहल पर स्वच्छता अभियान, गांव को गोद लेने, उज्ज्वला योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया. केंद्र सरकार के तीन साल पूरे होने पर साल 2017 में सबका साथ-सबका विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया. जून 2017 के अंतिम सप्ताह में सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा में आयोजित कार्यक्रम ने एनडीए के अंदरूनी विरोध को सामने ला दिया. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की मौजूदगी में कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे रालोसपा सांसद को लेकर जिला भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया. इसके साथ ही जिला एनडीए का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया. कार्यक्रम के महज एक सप्ताह बाद ही खबर फैली कि पार्टी के शिवहर जिला प्रभारी सह सीतामढ़ी कार्यक्रम प्रभारी मिथिलेश प्रसाद को बर्खास्त कर दिया गया है. दो-चार दिन बाद ही भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने उक्त खबर को निराधार बताते हुए एक प्रेसवार्ता में सांसद को हद में रहने की नसीहत दे डाली. इसके बाद रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह ने भी बयान दे दिया कि भाजपा जिला संगठन की करतूत से प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा. रालोसपा इस मामले में चुप नहीं रहेगी. दोनों ही दलों का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल कयास ही लगाया जा सकता है. मगर इतना साफ है कि एनडीए में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.

अब एक नजर भाजपा के संभावित प्रत्याशियों पर डाल लेते हैं. जिले की राजनीति में चल रही चर्चाओं पर यकीन करें तो संभावित प्रत्याशियों ने अपने-अपने तरीके से चुनावी जंग की तैयारी शुरू कर दी है. सांसद के विरोध के पीछे कद्दावर भाजपा नेताओं के हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. उनका मकसद वर्तमान सांसद को नकारा साबित कर खुद को बेहतर रूप में पार्टी संगठन के सामने लाना हो सकता है. वैसे अभी चुनाव में वक्त है. गठबंधन की राजनीति पटरी पर रहती है अथवा बेपटरी होती है, के बारे में कुछ कहना मुश्किल है. परंतु इतना तो साफ है कि समय रहते अगर भाजपा का शीर्ष व प्रदेश नेतृत्व मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो यह एनडीए के लिए एक बड़ी भूल साबित होगी. खबर है कि सीतामढ़ी जिला भाजपा संगठन से गुपचुप कई लोगों का नाम चर्चा में शामिल है. परंतु फिलहाल कोई नाम खुलकर सामने नहीं आया है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो संभावित प्रत्याशियों में वर्तमान से पूर्व तक के कई कद्दावर नेता चुनावी तैयारी में जुटे हैं. मगर चुनाव का समय नजदीक आने पर कुछ नए चेहरे भी मैदान में ताल ठोक सकते हैं. कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में उठे भूचाल के शांत होने के बाद ही एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. बस थोड़ा और इंतजार कीजिए.

सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा को भी चुनाव में भाग्य आजमाने का मौका मिला था. साल 1996 में भाजपा के टिकट पर चुनावी समर में उतरे उमाशंकर गुप्ता महज डेढ़ लाख वोट ही ला सके थे. जबकि 1998 में भाजपा प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह को सवा 2 लाख वोट लाकर भी चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था. इन दोनों से पूर्व दो और मौका जिला भाजपा को मिला था. तब दोनों में से किसी भी चुनाव में 50 हजार वोट बटोर पाने में प्रत्याशी नाकाम रहे थे. सच्चाई यह भी है कि भाजपा संगठन उन दिनों इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था. 1998 के बाद से लेकर अब तक भाजपा के टिकट पर सीतामढ़ी संसदीय सीट से किसी भी प्रत्याशी को चुनावी समर में मौका नहीं दिया गया है. हालांकि इस दिशा में जिला भाजपा संगठन हमेशा प्रयासरत रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

चम्पारण से पूरे विश्व में जाएगा बापू का संदेश

राकेश कुमार

इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के तत्वावधान में चंपारण प्रेस क्लब मोतिहारी ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 2017 के अवसर पर 'विश्व शांति और महात्मा गांधी' विषय पर दो दिवसीय (8 और 9 जुलाई 2017) सेमिनार का आयोजन किया. इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि पत्रकार का काम समाज में घटित अच्छी-बुरी घटनाओं को समाज के सामने लाना है. विकट परिस्थितियों से जूझकर भी पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जब देश में इमर्जेंसी लगी, तब भी पत्रकारिता ने सत्ता के दवाबों को झेलते हुए लोगों को जगाने का काम किया. महात्मा गांधी व महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि चंपारण से एक बार फिर शांति, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 1917 में चंपारण आकर महात्मा गांधी ने किसानों की दशा-दिशा को बदलने का काम किया. आज के किसानों की बदहाली पर उन्होंने कहा कि आज फिर देश के किसानों की दशा-दिशा को बदलने की जरूरत है. इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि राजकुमार शुक्ल जैसे साधारण आदमी ने अपने दृढ़ निश्चय के बल पर गांधी को चंपारण आने पर मजबूर किया. महात्मा गांधी ने बाद में लिखा है कि इस हठी किसान के कारण ही मैं चंपारण आने पर मजबूर हुआ. गांधी के आंदोलन के बाद ही पचकठिया या तीन कठिया प्रथा से त्रस्त किसानों को इससे मुक्ति मिली.

राधा कृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज, मोतिहारी में आयोजित सेमिनार में प्रख्यात पत्रकार व चौथी दुनिया के प्रधान सम्पादक संतोष भारतीय ने कहा कि धर्म और सीमा विवाद के कारण ही दो देश आपस में लड़ते हैं. गांधी के विचारों को सामने रखकर ही हम सुन्दर और मजबूत भारत की कल्पना कर सकते हैं. गांधी पर चर्चा जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी उनको समझे और जाने. उन्होंने कहा कि गांधी जी को चम्पारण लाने में पत्रकार पीर मोहम्मद मूनिस का महत्वपूर्ण योगदान था. तब यहां कैथी भाषा का प्रचलन था. पत्रकार मूनिस ने चम्पारण के किसानों की पीड़ा और निलहों के शोषण की जानकारी कानपुर से प्रकाशित अखबार प्रताप में देवनागरी में प्रकाशित की. उन्होंने कहा कि यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ऐसे निर्भीक पत्रकार के नाम पर पीर मोहम्मद मूनिस सम्मान की शुरुआत चम्पारण प्रेस क्लब ने की है. श्री भारतीय ने कहा कि आज यह जानकर सिर गर्व से उंचा हो गया कि चम्पारण प्रेस क्लब ने गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है. वहीं दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार पत्रकार सुधांशु रंजन ने कहा कि आज के नेता गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं. हालांकि वे गांधी जी के नाम का खूब इस्तेमाल करते हैं. गांधी जी के पीछे चरित्र और सत्य का बल था. गांधी जी को आज छोटा बनाने का काम किया जा रहा है. वे सभी धर्मों के प्रति समान आस्था रखते थे. उनका जीवन मानवता को समर्पित था.

वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा ने कहा कि आज विश्व में जो तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए हैं, उसे गांधी जी के सिद्धांतों से ही दूर किया जा सकता है और विश्व शांति कायम रखी जा सकती है. गांधी जी के विचारों में ही विश्वशांति का मूलमंत्र छिपा है. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आनन्द वर्धन ने कहा कि चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर गांधी जी के साथ ही अन्य शहीदों को भी याद किया जाए. उन्होंने कहा कि देश की आजादी की गंगोत्री से निकलनेवाली कई धाराओं में सबसे विराट सनातनी धारा कर्मयोग है. आज भी जब देश भटकता है तो गांधी जी के कर्मयोगी दर्शन में ही समाधान पाता है. गांधी जीवन दर्शन वही है जो भारत के जनमानस में बसा हुआ सनातनी दर्शन है. इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला जी भास्कर ने कहा कि बाहर में बिहार का जो खाका खींचा जाता है, यहां आकर उन भ्रांतियों से मुक्ति मिल गई. गांधी जी, गौतम बुद्ध और वाल्मिकी की धरती पर आकर लगा कि यहां की धरती और यहां के निवासी सचमुच भारतीय संस्कृति की मिसाल हैं. उन्होंने कहा कि चम्पारण प्रेस क्लब का यह सेमिनार ऐतिहासिक है. वहीं आईएमजेयू दिल्ली के प्रतिनिधि व इंडियन एक्सप्रेस के वरीय पत्रकार अनिल मिश्रा ने मजीठिया कमिटी के प्रावधानों की पूरी व्याख्या की. देश और विदेश से आए कई अन्य पत्रकारों ने भी सेमिनार को संबोधित किया.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को अंगवस्त्रम्, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर चम्पारण प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाण्डेय ने सम्मानित किया. वहीं मुख्य अतिथि बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष और आयोजन के संयोजक राकेश कुमार ने पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम् देकर सम्मानित किया. पत्रकारों में संतोष भारतीय, सुधांशु रंजन, राजीव मिश्रा, संजय कुमार सहित कई पत्रकारों को पीर मोहम्मद मुनीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. गांधी के विचारों और गांधी संग्रहालय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार को पीर मोहम्मद सम्मान से सम्मानित किया गया. गांधी जी के विचारों के प्रचार-प्रसार में जुटे और गांधी पुस्तकालय को संचालित करने वाले वयोवृद्ध नारायण मुनि को भी पीर मोहम्मद मूनिस सम्मान दिया गया. वहीं बेहतरीन व्यवस्था के लिए नगर परिषद् के पूर्व अध्यक्ष शंभूनाथ सिकारिया को प्रेस क्लब के अध्यक्ष चन्द्रभूषण पाण्डेय ने स्मृति चिन्ह एवं महासचिव ज्ञानेश्वर गौतम ने अंगवस्त्रम् देकर सम्मानित किया. वहीं राधाकृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज के निदेशक यमुना सिकारिया को अद्वितीय आतिथ्य के लिए आइएमजेयू के अध्यक्ष बालाजी भास्कर और महासचिव अरुण शर्मा ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. इस मौके पर चम्पारण प्रेस क्लब की वेबसाइट http://champaran.org.in/ का शुभारम्भ आगत अतिथियों ने किया. सेमिनार के दूसरे दिन यहां पहुंचे डेलिगेट पत्रकारों ने गांधी जी से जुड़े स्थलों और चम्पारण के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया.■

feedback@chauthiduniya.com

जापानी इनसेफ्लाइटिस की दहशत में मगधवासी

10 साल में 357 बच्चों की मौत

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

बारिश आते ही मगध के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों को लेकर दहशत फैल जाती है. इन बीमारियों से निबटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होती हैं. यातायात की असुविधा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार व्यक्ति का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है. गया समेत मगध के अन्य चार जिले औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल के ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी बीमारी का फैलाव होता है तो वह महामारी का रूप ले लेता है. मगध के गामीण क्षेत्रों में दहशत का कारण यह है कि मगध मेडिकल कॉलेज में दस वर्षों में जापानी इनसेफ्लाइटिस के 1400 मामले सामने आए, जिसमें 357 लोगों की मौत हो गई. पिछले वर्ष गया जिले में जेई से 33 बच्चों की मौत हुई थी, वहीं अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर 74 बच्चों ने दम तोड़ दिया था. पिछले वर्ष जून माह में ही जापानी इनसेफ्लाइटिस के मरीज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने शुरू हो गए थे.

पिछले साल जेई श्रेणी की अज़ात बीमारी से 33 बच्चों की जान चली गई थी. यही कारण है कि बरसात में पानी व जंगलों-पहाड़ों से आच्छादित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का डर इस बीमारी से बढ़ जाता है. गया के सिविल सर्जन डॉ. बबन कुंवर ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक मरीज की पहचान व उसका इलाज किया जा रहा है. आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है कि वे गांव में लोगों को जापानी इनसेफ्लाइटिस के प्रति जागरूक करें. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि शिशु रोग विभाग के सभी चिकित्सकों के साथ बैठक कर पूरी तैयारी कर ली गई है. दवाओं की खरीद भी हो गई है. स्पेशल आईसीयू वार्ड में भी बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. जापानी इनसेफ्लाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए 15 बेड की व्यवस्था की गई है. इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जापानी इनसेफ्लाइटिस के संभावित फैलाव से डर का माहौल है. ग्रामीण कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बीमारी से निपटने के बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है तो चिकित्साकर्मी हाथ खड़े कर देते हैं. गया जिले के फतेहपुर, टनकुप्पा, डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार, मोहनपुर, बाराचट्टी, नवादा जिले के कौआकोल, रजौली, गोबिन्दपुर, अकबरपुर, जहानाबाद के मखदुमपुर, औरंगाबाद के रफीगंज आदि प्रखंडों में जापानी इनसेफ्लाइटिस का प्रकोप अधिक होता है. इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में मलेरिया का भी प्रकोप बढ़ जाता है. इन दो बीमारियों के अलावा जेई की अज़ात बीमारी ने चिकित्साकर्मियों को भी सकते में डाल दिया है. इस संबंध में पिछले दस साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ी भयावह स्थिति नजर आती है. 2007 में जापानी इनसेफ्लाइटिस के 158 मामले सामने आए, जिसमें 29 की मौत हो गई. इसी प्रकार 2008 में 196 में 46 की मौत, 2009 में 151 मरीजों में से 46 की मौत हो गई. 2010 में कोई मामला सामने नहीं आया था. 2011 में 409 में 93 की मौत, 2012 में 50 मरीजों में से 21 की मौत, 2013 में 77 मरीजों में से 22 की मौत, 2014 में 84 में से 28 की मौत, 2015 में 124 मरीजों में से 25 की मौत तथा 2016 में 151 में 47 की मौत हो गई. इसी आंकड़े से आप जेई की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं. ये सरकारी आंकड़े हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग जारी करता है. वहीं लोगों का कहना है कि वास्तविक स्थिति इन आंकड़ों से कई गुणा ज्यादा है. प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तमाम सुविधाओं का दावा किया जाता है, परन्तु ये सभी दावे हवा-हवाई साबित होते हैं. बताया जाता है कि मगध के कई प्रखंडों के सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जिनका बारिश में प्रखंड मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है. मरीजों को पैदल या फिर नाव ही सहारा होता है. ऐसे में यदि किसी को जापानी इन्सेफ्लाइटिस हो जाए, तो समझ सकते हैं कि उसका इलाज कितना मुश्किल होगा. पिछले वर्ष गया जिले के 24 प्रखंडों में जापानी इन्सेफ्लाइटिस से 26 तथा अज्ञात बीमारी से 74 बच्चों की मौत हो गई थी. यही कारण है कि बारिश के दिनों में मगध के निवासी बीमारी की आशंका से जीने को मजबूर हैं.■

पिछले साल जेई बीमारी से 33 बच्चों की जान चली गई थी. यही कारण है कि बरसात में पानी व जंगलों-पहाड़ों से आच्छादित ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी को लेकर लोगों का डर बढ़ जाता है. गया के सिविल सर्जन डॉ. बबन कुंवर ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है. विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक मरीज की पहचान व उसका इलाज किया जा रहा है.

मूत्र रोग की समस्या
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
एडवान्स सर्जरी क्लिनिक, रौजा रोड, मौर्या रॉयल होटल

डॉ. संजय कुमार
MBBS, MS (जेनरल सर्जरी)
(मूत्र रोग विशेषज्ञ)
सासाराम रौजा रोड से मौर्या होटल के बेसमेन्ट स्थित एडवान्स क्लीनिक से डॉ. संजय कुमार से हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। आज के युग में काम अधिक करना और संतुलित भोजन का नहीं लिया जाना सुबह की सैर नहीं करना तथा अव्यवस्थित जिन्दगी लोगों के बीमारी का कारण बनती है। एक ऐसी समस्या जो दिखती नहीं है और लोगों को इसका पता काफी देर से चलता है। वह समस्या है पेशाब अर्थात यूरिन की। डेली लाइफ शुद्ध पानी का नहीं पिया जाना और कम पानी पिना इसकी मुख्य वजह है। डॉ. संजय ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को पेशाब की धार में कमी आती है। या दर्द महसूस होता है तो वह यूरोलॉजी के डॉक्टर का रूख करता है या फिर फिजिशयन जांच के बाद यूरोलॉजी के डॉक्टर को रेफर करता है। यूरिन होने की एक प्रमुख वजह बीकोलॉय भी है। कभी कभी पेशाब में ब्लड आने पर भी लोग सम्पर्क करते हैं। आईए जानते है। स्टोन के लक्षण के बारे में – पेट के निचले हिस्से में आपको पथरी के लक्षण देखने को मिलते हैं मतलब टुंडी से नीचे और गुप्तांग के ठीक ऊपर के हिस्से में इसका दर्द होता है और ये दर्द कभी बहुत तेज होता है तो कभी धीरे धीरे और ये दर्द कभी कुछ देर के लिए होता है और कभी कभी बहुत लम्बे समय तक लगातार बन रहता है बीच बीच में इस दर्द में थोड़ी राहत भी रोगी को मिलती रहती है. पथरी के लक्षण का एक और रूप देखने को मिलता है जिसमे रोगी को उल्टी होने की शिकायत या जी मचलाने लगता है। ऐसा होने पर तुरंत चिकित्सक से सम्पर्क करें। डॉ. दिलिप ने बताया कि इसमें 10 एमएम तक हम प्रयास करते हैं कि बिना ऑपरेशन के निकाल दें नहीं तो आगे जांच करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि क्या करें। अब जानिए किडनी फेल्यूअर के कुछ लक्षण – आँखों के नीचे सूजन आना • हाथ-पैरों में और चेहरे पर सूजन आना • थकान लगना • सांस लेने में तकलीफ होना • कमजोरी लगना • भूख कम लगना • वजन कम होना • रात में बार-बार पेशाब आना • पेशाब में खून आना • पेशाब की मात्रा कम या ज्यादा होना • रक्त की कमी होना • नींद ठीक से ना होना ■ भारती
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeptidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178

Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

संस्मरणों से उठता विवाद

अनंत विजय

हिंदी साहित्य में कविता, कहानी और उपन्यास के बाद जिस एक विधा ने पाठकों को अपने साथ सबसे अधिक जोड़ा, उनमें आत्मकथा और संस्मरण का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है. हिंदी में आत्मकथाओं की लंबी परंपरा रही है, लेकिन इनमें से ज्यादातर आत्मकथाओं में लेखक खुद को कसौटी पर कस नहीं पाते हैं. हिंदी में ज्यादातर आत्मकथाओं में लेखक आसपास के परिवेश और परिचितों पर तो निर्ममतापूर्वक अपनी लेखनी चलाते हैं, लेकिन खुद को बचाकर चलते हुए एक ऐसी छवि पेश करते हैं, जो उनको आदर्श के रूप में मजबूती से स्थापित करने में सहायक हो सके. ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी तारीफ करते हैं. बहुधा ऐसा होता है कि जब लेखक के सामने अपनी असहज या अप्रिय परिस्थितियों को लिखने की चुनौती आती है, तो वहां से कन्नी काटकर निकल जाता या जाती है. कमोबेश यही स्थिति संस्मरण लेखन में भी दिखाई देती है. कई बार तो संस्मरणों के जरिए दूसरों को निबटाने का खेल भी खेला जाता है. कई बार नाम लेकर तो कई बार इशारों में अपनी बात कहकर. इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हिंदी साहित्य में मौजूद हैं. मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा भी है कि वही आत्मकथा विश्वसनीय होती है, जो जिंदगी के लज्जाजनक और घृणित कृत्यों को उजागर करती हो- दिख जाए तो ये पूत के पांव पालने में दिखने जैसा हो.

पिछले दिनों हिंदी की वरिष्ठ लेखिका और उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा की संस्मरण की किताब को लेकर हिंदी साहित्य में विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई. लेकिन मैत्रेयी की खामोशी से विवाद बढ़ नहीं सका. मैत्रेयी पुष्पा के संस्मरणों की पुस्तक 'वह सफर था कि मुकाम था' के केंद्र में राजेन्द्र यादव हैं. राजेन्द्र यादव हिंदी के सबसे विवादास्पद और विवादप्रिय लेखक थे, लिहाजा उनके निधन के बाद आई इस किताब को लेकर भी विवाद होना तय ही था. 'वह सफर था कि मुकाम था' नाम की इस किताब में मैत्रेयी पुष्पा ने राजेन्द्र यादव को लेकर अपने सम्बंधों के बारे में लिखा है. राजेन्द्र यादव और मैत्रेयी पुष्पा के संबंधों को लेकर साहित्य जगत में लंबे समय से अटकलें चलती रही हैं, कभी अच्छी तो कभी बुरी. मैत्रेयी पुष्पा ने भी कई बार इस सम्बंध को मिथकीय पात्रों के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की. उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस सम्बंध पर विस्तार से लिखा भी है. मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा में जो सब छपा था कमोबेश उसका ही संक्षिप्त रूप या कहें कि राजेन्द्र यादव को केंद्र में रखकर यह किताब बनाई गई है. यह किताब उन पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जो संक्षेप में मैत्रेयी की नजर से राजेन्द्र यादव को देखना चाहते हैं. कह सकते हैं कि ये पतली सी पुस्तक मैत्रेयी पुष्पा की दो खंडों की आत्मकथा की टीका है. इस किताब में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, जो पहले मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा ना हो या साहित्य जगत को ज्ञात नहीं हो. राजेन्द्र यादव और मन्नू भंडारी के अलग होने की वजहों को लेकर भी समय-समय पर विवाद उठता रहा है. ओमा शर्मा के चर्चित इंटरव्यू से लेकर गाहे बगाहे यादव जी के वक्तव्यों के सहारे भी इस अलगाव पर बात होती रही है. खुद राजेन्द्र यादव और मन्नू भंडारी भी इस विषय पर बहुत बार बहुत कुछ बोल चुके हैं.

इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद साहित्य में चाहे अनचाहे इस तरह का माहौल बना कि मैत्रेयी पुष्पा की वजह से राजेन्द्र यादव और मन्नू भंडारी में अलगाव हुआ. यादव जी के पारिवारिक मित्र और उनके करीबी इस तथ्य को जानते हैं कि जब यादव जी ने मन्नू भंडारी का घर छोड़ा था, तब वजह कोई और थी, ना तो मीता थी और ना ही मैत्रेयी. इस प्रसंग को उठाकर साहित्य से जुड़े लोग

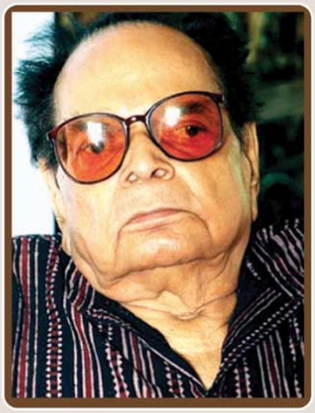

अब इस बात पर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है कि यादव जी जब अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो उनके अस्पताल के दाखिला फॉर्म पर किसने दस्तखत किए थे. कई दावेदार उठ खड़े हुए हैं, लेकिन यादव जी के जीवन काल में कोई भी दावेदार सामने नहीं आया था. उस वक्त अस्पताल ले जाने और डॉ शर्मा के उनके कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करने की बात मैत्रेयी ने अपनी आत्मकथा में लिख दी थीं. उसके इतने सालों बाद इस विवाद को उठाने का उद्देश्य क्या हो सकता है या फिर मंशा क्या हो सकती है, यह तो पता नहीं पर इस पूरे प्रसंग पर यादव जी के जीवन काल में किसी ने बात नहीं की. यह तथ्य है कि यादव जी को अस्पताल में भर्ती करवाने से लेकर उनके इलाज की सारी व्यवस्था मैत्रेयी पुष्पा और उनकी बेटी-दामाद करते रहे थे. चाहे वो एम्स में भर्ती करवाने का मसला ही क्यों ना हो.

क्या हासिल करना चाहते हैं, यह समझ से परे है. यह पूरा मसला व्यक्तिगत था और साहित्य में इसकी चर्चा व्यर्थ है. राजेन्द्र यादव को जिन भी परिस्थितियों में मन्नू जी से अलग होना पड़ा था, उससे साहित्य जगत का क्या लेना देना. पाठकों को इस बात से क्या लेना-देना कि यादव जी और मन्नू भंडारी के बीच कैसे रिश्ते थे और अंत तक वो रिश्ते कैसे रहे. दोनों की कृतियों पर बात होनी चाहिए, दोनों के साहित्यिक अवदानों पर विमर्श होना चाहिए. वैसे इन दोनों के सम्बंधों पर राजेन्द्र यादव के मित्र रहे मनमोहन ठाकौर ने पतली सी किताब लिखी थी. वह पुस्तक इन दोनों को जानने के लिए प्रकाशित अबतक की सबसे अच्छी कृति है.

मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का पहला खंड 'कस्तूरी कुंडल बसै' इस वाक्य पर खत्म होता है- 'घर का कारागार टूट रहा है.' इससे वो क्या संदेश दे रही थीं, इसको समझने की जरूरत है. यादव जी के जीवन काल में भी मैत्रेयी पुष्पा और राजेन्द्र यादव के बारे में इतना ज्यादा लिखा गया था कि मैत्रेयी की आत्मकथा की उत्सुकता से प्रतीक्षा करनेवाले पाठकों की रुचि ये जानने में भी थी कि राजेन्द्र यादव के साथ अपने सम्बंधों को वे कितना खोलती हैं. मैत्रेयी पुष्पा और राजेन्द्र यादव के सम्बंधों में सिमोन और सार्त्र जैसे सम्बंध के खुलासे की उम्मीद लगाए बैठे आलोचकों और पाठकों को निराशा हाथ लगी थी. हद तो तब हो जाती है, जब राजेन्द्र यादव राखी बंधवाने मैत्रेयी जी के घर पहुंच जाते हैं, हलांकि मैत्रेयी पुष्पा राखी बांधने से इंकार कर देती हैं. राजेन्द्र यादव को लेकर मैत्रेयी को अपने पति डॉक्टर शर्मा की नाराजगी और फिर जबरदस्त गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है. लेकिन शरीफ डॉक्टर गुस्से और नापसंदगी के बावजूद राजेन्द्र यादव की मदद के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं, संभवत: अपनी पत्नी की इच्छाओं के सम्मान की वजह से. लेखिका ने अपने इस सम्बंध पर कितनी ईमानदारी बरती है, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ टी एस इलियट के एक वाक्य के साथ इसे खत्म करना उचित होगा 'भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है और जितना बड़ा वो कलाकार होता है, वो अंतर उतना ही बड़ा होता है.' मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा खंड- 'गुड़िया भीतर गुड़िया' यशराज फिल्मस की उस फिल्म की तरह है, जिसमें संवेदना है, संघर्ष है, किस्सागोई है, रोमांस है, भव्य माहौल है और अंत में नायिका की जीत भी- जब राजेन्द्र यादव अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं और मैत्रेयी को फोन करते हैं, तो डॉक्टर शर्मा की प्रतिक्रिया होती है, 'क्या बुड्ढा अस्पताल में भी तुम्हें बुला रहा है?' लेकिन वही डॉ. शर्मा कुछ देर बाद यादव जी के ऑपरेशन के कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत कर रहे होते हैं.

अब इस बात पर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है कि यादव जी जब अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो उनके अस्पताल के दाखिला फॉर्म पर किसने दस्तखत किए थे. कई दावेदार उठ खड़े हुए हैं, लेकिन यादव जी के जीवन काल में कोई भी दावेदार सामने नहीं आया था. उस वक्त अस्पताल ले जाने और डॉ शर्मा के उनके कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करने की बात मैत्रेयी ने अपनी आत्मकथा में लिख दी थीं. उसके इतने सालों बाद इस विवाद को उठाने का उद्देश्य क्या हो सकता है या फिर मंशा क्या हो सकती है, यह तो पता नहीं पर इस पूरे प्रसंग पर यादव जी के जीवन काल में किसी ने बात नहीं की. यह तथ्य है कि यादव जी को अस्पताल में भर्ती करवाने से लेकर उनके इलाज की सारी व्यवस्था मैत्रेयी पुष्पा और उनकी बेटी-दामाद करते रहे थे. चाहे वो एम्स में भर्ती करवाने का मसला ही क्यों ना हो. दरअसल, फेसबुक पर लिखने की आजादी हर किसी को कुछ भी कह डालने का एक अवसर प्रदान करती है, जिसका उपयोग हर तरह के लेखक- कुलेखक कर सकते हैं. मैत्रेयी पुष्पा की इस किताब (वह सफर था कि मुकाम था) पर नाहक विवाद उठाने की कोशिश की गई. इस किताब के प्रकाशन पर सवाल खड़े होने चाहिए थे कि आपने इसमें नया क्या दिया है. क्यों आपने अपनी आत्मकथा का संक्षिप्त रूप पेश किया? पाठकों को क्यों इस किताब को पढ़ना चाहिए, आदि आदि. इससे साहित्य का भी भला होता और पाठकों का भी. मैत्रेयी पुष्पा की इस किताब 'वह सफर था कि मुकाम था' में इस्तेमाल किए गए 'अपाहिज' जैसे चंद शब्दों पर आपत्ति जायज हो सकती है. अगर मैत्रेयी पुष्पा ने इस किताब में कुछ गलत तथ्य पेश किए हैं, तो अवश्य उन पात्रों को सामने आकर उनका खंडन करना चाहिए, लेकिन बगैर नाम लिए हवा में बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा. तथ्यों को ठीक करवा देना चाहिए, ताकि भविष्य में शोधार्थियों के सामने भ्रम की स्थिति ना हो. साहित्य और पाठक के व्यापक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए. ■

anant.ibn@gmail.com

सोशल मीडिया और सम्बंधित जोखिम

चौथी दुनिया ब्यूरो

तेज गति से बढ़ता हुआ 'सोशल मीडिया' का निरंतर उपयोग पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है. इसका उपयोग एक तरफ जहां वरदान है, वहीं इसका दुरूपयोग अभिशाप से कम नहीं है. निजी उपयोगों के लिए हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ घंटे इंटरनेट पर व्यतीत करता है. लेकिन कुछ संस्थानों और व्यक्ति विशेष द्वारा ट्वीटर, फेसबुक और यू-ट्यूब आदि सोशल साइट्स का अपनी व्यापारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भरपूर उपयोग किया जाता है. सोशल मीडिया से जुड़े जोख़िम केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, वरन् व्यापार और उत्पाद से जुड़े हर मुद्दे और आंकड़ों का दुरूपयोग कर उत्पाद और व्यापार की प्रतिष्ठा का भी अत्यधिक हनन करते हैं. सच्चाई ये है कि अधिकतर संस्थान, संगठन एवं उद्योग से जुड़ी सभी इकाईयां, सोशल मीडिया के इस दुरूपयोग, जोख़िम और समस्या के समाधान के लिए आज भी सक्षम नहीं हैं.

इस विषय पर हमने आई.टी. लेखा परीक्षा और अनुपालन उद्योग (आई.टी. ऑडिट और कम्पलाइंस) के श्री वरूण वोहरा से बातचीत की. उनका कहना था कि किसी संस्था या उत्पाद जगत से जुड़े अधिकतर कर्मचारी सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपनी व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचनाएं भी सोशल मीडिया पर प्रेषित करते हैं. ऐसा करने के दौरान, भावावेश में जाने-अनजाने, निजी-सूचनाओं और आंकड़ों के साथ अपने कार्य से जुड़ीं संवेदनशील जानकारियां का भी वे उल्लेख सोशल मीडिया पर कर देते हैं. इन सबसे केवल संस्था की प्रतिष्ठा का ही हनन नहीं होता है, वरन व्यापारिक स्तर पर भी काफी नुकसान पहुंचता है. चील की तरह घात लगाए कुछ छोटे संस्थान व संगठन इन्हीं अवसरों की तलाश में सदैव सोशल मीडिया के इर्द-गिर्द मंडराते रहते हैं. अवसर मिलते ही वे इन सूचनाओं के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालते हैं और उस संस्था या संगठन की समस्त गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं.

वरूण वोहरा ने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो लिंक और फिशिंग-मेल आदि के माध्यम से दी गई जानकारियां भी किसी संस्था के लिए घातक साबित हो सकती हैं, अत: इस संबंध में काफी जागरूक होने की आवश्यकता है. असमाजिक तत्व, मालवेयर से जुड़े लिंक

को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो वास्तविक-लिंक ही प्रतीत हों. सोशल मीडिया की किसी भी साइट पर जब इन लिंक का प्रयोग किया जाता है, तो ये लिंक मालवेयर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या कार्यालय की व्यक्तिगत और कार्यक्षेत्र से जुड़ी सभी गोपनीय व संवेदनशील जानकारियों को कम्प्यूटर/सिस्टम से चुराकर स्वत: ही उन व्यक्ति विशेष या संस्थानों तक पहुंचा देते हैं, जो मालवेयर-लिंक को प्रेषित करते हैं. यदि सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले व्यक्ति, संस्थान, कार्यालय या संगठन अपने कम्प्यूटर/सिस्टम पर उचित सुरक्षा साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं व आंकड़ों के दुरूपयोग की पूर्ण संभावना बन जाती है, जिससे व्यवसायिक स्तर पर हानि होने का जोखिम अति प्रबल हो जाता है.

हर जोखिम क्षेत्र को जहां एक अति प्रभावशाली व परिभाषित अनुपालन ढांचे की आवश्यकता है, वहीं सोशल मीडिया के प्रयोग में भी उन्हीं विशिष्ट अनुपालनाओं और सावधानियों की आवश्यकता है, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. प्रत्येक संस्थान, संगठन, कार्यालय व व्यक्ति विशेष को सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर एक अति विश्वसनीय, समर्पित व प्रभावशाली अनुपालन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ताकि सोशल मीडिया से सम्बंधित जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके. एक प्रभावी और सुचारू कार्यप्रणाली एवं सावधानियां सोशल मीडिया से होने वाले जोखिमों को कम नहीं करतीं, वरन उनका पूर्ण रूप से निवारण व समाधान भी करती है.

हर जोखिम क्षेत्र को जहां एक अति प्रभावशाली व परिभाषित अनुपालन ढांचे की आवश्यकता है, वहीं सोशल मीडिया के प्रयोग में भी उन्हीं विशिष्ट अनुपालनाओं और सावधानियों की आवश्यकता है, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. प्रत्येक संस्थान, संगठन, कार्यालय व व्यक्ति विशेष को सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर एक अति विश्वसनीय, समर्पित व प्रभावशाली अनुपालन-प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ताकि सोशल मीडिया से सम्बंधित जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके.

अनुपालन कार्यक्रम की रूपरेखा में कम से कम परिभाषित कार्यनीतियां और सोशल मीडिया के प्रयोग के सम्बंध में समुचित कार्यप्रणाली होनी चाहिए. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया से जुड़े सभी जोखिमों की पहचान करना, उनको कम करने की कार्यप्रणाली और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों पर एक कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है. कोई भी अनुपालन कार्यक्रम (कम्पलाइंस प्रोग्राम) संस्था या संगठन की वरिष्ठ प्रबंधन समिति और सभी कर्मचारियों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता. अत: सोशल मीडिया के उपयोग के लिए समस्त संस्थानों व कार्यालयों के कर्मचारियों व प्रबंधन समिति को इससे जुड़े जोखिमों से अवगत व जागरूक कराना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि जोखिम आए ही नहीं और यदि आए भी तो उसका निवारण तुरन्त ही हो सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

जीवन पथ की अथक गामिनी

चंदन राय

रानी सरोज गौरिहार स्वतंत्रता संग्राम के गौरवमयी इतिहास को अपने आप में समेटे हैं. उनके साथ बातचीत करना ऐसा है मानो आप उस दौर को अपनी आंखों के आगे से गुजरते देख रहे हों. उस क्रांतिकारी दौर की एक-एक तारीख उनकी यादों में ऐसा रचा-बसा है, जैसे यह कल की ही बात हो. 88 वर्ष की उम्र में भी समाजसेवा, साहित्य और संस्कृति को लेकर उनका उत्कट प्रेम लोगों को आश्चर्यचकित करता है.

जब वे छोटी थीं, तब एक बार बापू आगरा आए थे. तड़के सुबह से ही सेवादल के कार्यकर्ता गदहपाड़ा रेलवे स्टेशन पर जमे थे. लोग गांधीजी का जयकारा लगा रहे थे. बापू ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे. उनके ठीक पीछे दमकता हुआ सूरज उनके सिर पर गोल घेरा बना रहा था. ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर का कोई दूत हमें आशीर्वाद दे रहा हो. वे बताती हैं कि बापू का आशीर्वाद तो मुझे बचपन में ही मिल गया था.

बचपन से ही घर में क्रांतिकारियों का आना-जाना लगा रहता था. उनके पिता पं. जगन प्रसाद रावत और मां श्रीमती सत्यवती रावत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे. वे बताती हैं, बप्पा और मां का अधिकतर समय जेल में ही बीतता था. 1930 में जब वे छह माह की थीं, तब दोनों जेल में थे. बचपन से ही जेल में रहने और क्रांतिकारियों की सोहबत ने उनमें आजादी के प्रति एक जुनून भर दिया था. घर क्रांतिकारियों का अड्डा बना रहता था. वे बताती हैं कि उनका बचपन एक खानाबदोश की तरह बीता. जब वे तीन साल की थीं, तब फिर बप्पा और मां दोनों को जेल हो गया. उस दौरान वे पिताजी के मित्र राधेश्याम शर्मा के घर बनारस में एक साल तक रहीं. बप्पा उनकी पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहते थे. उन्होंने 1935 में शिक्षा-दीक्षा के लिए बड़ौदा गुरुकुल भेज दिया. 1937 में हरिपुरा अधिवेशन में पिता जी यहां आए हुए थे. बप्पा मुझे भी वहां अपने साथ लेते चले गए. बप्पा ने सरदार पटेल को बताया कि सरोज बड़ौदा गुरुकुल में पढ़ रही है. यह सुनते ही सरदार पटेल बप्पा पर नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि बच्ची को कहां भेज दिए हो? उसे लौटते समय तुरंत साथ लेकर जाओ. मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर इसके बाद मैं बप्पा के साथ लौट आई.

1937 चुनाव में पिताजी चुनाव जीतकर लखनऊ चले गए. मेरा एडमिशन आगरा में सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल में करा दिया गया. मैं छुट्टी के दिनों में अक्सर गली-कूचों में बच्चों का जुलूस निकालती. क्रांतिकारियों को कोई सामान या चिट्ठी पहुंचानी होती, तब कपड़ों में छिपाकर उन तक पहुंचा आती. उन्हीं दिनों क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर क्रांतिकारियों की सरगर्मियां तेज हो गई थी. बच्चों ने भी इस आंदोलन में क्रांतिकारियों का साथ देने का फैसला किया. स्कूल कैंपस में बच्चे यूनियन जैक को सलामी देते थे. हमने फैसला किया कि हम यूनियन जैक को सलामी नहीं देंगे. झंडे की सलामी के दौरान सभी लड़कियां शांत खड़ी रहीं. बच्चों के विरोध के बाद स्कूल को यह प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ा.

9 अगस्त 1942 को बच्चों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समर्थन में स्कूल में एकदिनी हड़ताल का फैसला किया. प्रिंसिपल और कुछ शिक्षक भी अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा समर्थन कर रहे थे. 7वीं और 8वीं के सभी बच्चे स्कूल की सीढ़ियों पर बैठ गए. केवल शिक्षकों को कक्ष में जाने दिया गया. सभी बच्चे दिन भर स्कूल की सीढ़ियों पर बैठे रहे. इस सफल हड़ताल ने हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया.

वे बताती हैं कि फरवरी 1943 में हमने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का फैसला किया. आगरा में केनारी बाजार में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी.

रानी सरोज गौरिहार
जन्मतिथि : 4 नवंबर 1929

स्कूल कैंपस में बच्चे यूनियन जैक को सलामी देते थे. हमने फैसला किया कि हम यूनियन जैक को सलामी नहीं देंगे. झंडे की सलामी के दौराब सभी लड़कियां शांत खड़ी रहीं. बच्चों के विरोध के बाद स्कूल को यह प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ा. 9 अगस्त 1942 को बच्चों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समर्थन में स्कूल में एकदिनी हड़ताल का फैसला किया. प्रिंसिपल और कुछ शिक्षक भी अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा समर्थन कर रहे थे. 7वीं और 8वीं के सभी बच्चे स्कूल की सीढ़ियों पर बैठ गए. केवल शिक्षकों को कक्ष में जाने दिया गया. सभी बच्चे दिन भर स्कूल की सीढ़ियों पर बैठे रहे. इस सफल हड़ताल ने हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया.

एक तरफ से मैं हाथ में तिरंगा लेकर क्रांतिकारियों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए तिराहे पर पहुंची. दूसरी तरफ से मां सत्यवती रावत जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं और तीसरी तरफ उदयन शर्मा की बड़ी बहन कमला शर्मा नेतृत्व कर रही थीं. कमला जी ने जैसे ही भाषण शुरू किया, पुलिस ने अचानक क्रांतिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया. हम तीनों को गिरफ्तार कर डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया. तीन माह बाद फिर मुझे लखनऊ जेल भेज दिया गया. मां को बनारस जेल में डेढ़ साल तक रखा गया.

एक साल बाद कारावास से छूटने के बाद आगरा के सभी हाईस्कूलों ने मुझे प्रवेश देने से मना कर दिया. तब पिताजी के मित्र लाजपत राय कपूर के कहने पर यह शर्त रखी गई कि छमाही परीक्षा पास करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. खैर किसी तरह छमाही परीक्षा पास कर ली और स्कूल में प्रवेश मिला. वे बताती हैं कि 10वीं कक्षा तक उन्होंने कांग्रेस की सभाओं में जाना शुरू कर दिया था. उस दौरान ब्रिटिश शासकों से समझौता वार्ता शुरू हो गया था. कांग्रेस के बड़े नेता भी जेल से छूटने लगे थे. उन्हीं दिनों 1945 में गोविंद वल्लभ पंत आगरा पहुंचे थे. उन्होंने स्कूल में सभी बच्चों से चवन्नी पैसे चंदा के रूप में जमा किए और पंतजी को 125 रुपए की थैली भेंट की.

उन दिनों बप्पा का लखनऊ में ही रहना होता था. उनका भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया गया. वहां भी उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय भागीदारी की. जुगल किशोर जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी थे. सीवी गुप्ता मुख्यमंत्री और मुंशी जी गवर्नर थे. वे बताती हैं, हमलोग मीटिंग में नारे लगाते थे, मुंशी, गुप्ता, जुगलकिशोर, लखनऊ के तीन चोर. हालांकि बप्पा उन दिनों मंत्रिमंडल में थे और मुंशी जी व सीवी गुप्ता के साथ भी हमारे घरेलू संबंध थे.

1955 में गौरिहार राजघराने के प्रताप सिंह जूदेव के साथ उनकी शादी हुई. इसके बाद उन्होंने मध्यप्रदेश की राजनीति में कदम रखा. 1957 में रविशंकर शुक्ला मुख्यमंत्री थे, जिनसे उनके करीबी संबंध थे. कांग्रेस से टिकट मिलना लगभग तय था. लेकिन रविशंकर शुक्ला जी का अचानक निधन हो गया और डॉ. द्वारिका प्रसाद मिश्रा मुख्यमंत्री बने. विरोधियों ने जोड़-तोड़ कर उनका टिकट कटवा दिया. 1967 विधानसभा चुनाव में 90 पंचायतों ने मेरे समर्थन में लिखकर दिया था, तब भी टिकट नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया. इस चुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियों, जिनमें सपा, जनसंघ और कांग्रेस थे, के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. मेरी जीत ने कांग्रेस में विरोधियों का मुंह बंद कर दिया.

इसी दौरान विजयराजे सिंधिया ने जनसंघ ज्वाइन कर लिया. मैंने जनसंघ में जाने से इंकार कर दिया तब उन्होंने बप्पा को मुझे समझाने के लिए कहा. इधर, अर्जुन सिंह भी बार-बार कांग्रेस में आने का निमंत्रण दे रहे थे. उस दौरान कांग्रेस विपक्ष में थी. वे बताती हैं, तब मैंने द्वारिका प्रसाद जी से कहा कि अब कांग्रेस को मेरी जरूरत है. मैंने कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठने का फैसला किया. इसके बाद वे पांच साल तक मध्यप्रदेश कांग्रेस महिला विभाग की संयोजिका और कांग्रेस समिति की सदस्या रहीं.

1972 में मध्यप्रदेश की राजनीति से अलग होकर वे सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में लिप्त हो गईं. वे आगरा में ही रहने लगीं. वे बताती हैं कि यहां हर दिन दो-तीन किसी साहित्यिक सेमिनार या सभा में हिस्सेदारी करती. हालांकि अब उम्र ज्यादा होने के कारण उन्होंने सभा-सेमिनारों से दूरी बना ली है. उन्होंने मांडवी एक विस्मृता (खंड काव्य), आनन्द छलिया (पद संग्रह), नट नागर-रस आगर (पद और दोहे), नभ और धरा के बीच (काव्य संग्रह) भी लिखे हैं. सरोज गौरिहार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सीवा विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध भी प्रकाशित हो चुका है. वर्तमान में वे नागरी प्रचारिणी सभा, संगीत कला केंद्र आगरा की सभापति और कई साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं की संरक्षिका हैं. इसमें वनिता विकास, जिला ग्रामीण महिला संघ, चंबल घाटी लोकसेवा समिति, अखिल भारतीय महिला परिषद, गांधी आश्रम, उदयन शर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट, महाकवि नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट, आगरा महानगर लेखिका मंच, नारी अस्मिता समिति, महिला शांति सेना आदि शामिल हैं. राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है. वे अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, मॉरिशस और पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्राएं कर चुकी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

भयावह है कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर के लिए बर्बाद हो रहे पानी की कहानी

चौथी दुनिया ब्यूरो

वर्तमान समय में चारो तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और भूमिगत जल का स्तर दिन-ब-दिन नीचे जा रहा है. ऐसे समय में ये बात हैरान करने वाली है कि कई गुना साफ पानी की बर्बादी के बाद कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर तैयार होते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में 300 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि एक लीटर मिनरल वाटर के लिए उससे दोगुना ज्यादा पानी बर्बाद करना पड़ता है. गौर करने वाली बात ये है कि कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर बनाने वाले प्लांट्स में पूरी तरह से भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है.

क्या आपको पता है कि जब आप एक बोतल पानी खरीदकर पीते हैं, तब आप उस पानी को कितनी कीमत पर खरीदते हैं और इसके साथ ही आप कितना पानी बर्बाद कर देते हैं. ये एक ऐसा सच है, जो हमें दिनों-दिन पानी के संकट की ओर धकेल रहा है. मिनरल वाटर के नाम पर बिकने वाला बोतलबंद पानी अपने बनने के दौरान दोगुना पानी खर्च कर देता है. मसलन एक लीटर मिनरल वाटर बनाने पर दो लीटर साफ पानी खर्च करना पड़ता है. यानी जब आप एक लीटर पानी पीते हैं तो आप एक नहीं बल्कि तीन लीटर पानी खर्च करते हैं. इस लिहाज से आप प्रतिदिन अगर स्वस्थ रहने के लिए तीन लीटर पानी पीते हैं और वह मिनरल होता है तो आप तीन नहीं बल्कि नौ लीटर पानी पीते हैं.

इसे हम अमेरिका के इस उदाहरण से समझ सकते हैं. अमेरिकी नागरिक प्रतिदिन 100 से 176 गैलन पानी खर्च करते हैं. जबकि औसतन प्रति व्यक्ति पानी की जरूरत चार-पांच गैलन ही होती है. अफ्रीका के अधिकांश देशों में प्रति व्यक्ति पानी की कुल उपलब्धता ही पांच गैलन है. यानि औसत अमेरिकी पानी का 20 से 30 गुणा ज्यादा दुरूपयोग करता है. इसकी कीमत अमेरिकी कितना चुकाते हैं, ये तो नहीं मालूम लेकिन दुनिया के दूसरे देशों और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है. अमेरिका का हर पांचवा आदमी बोतलबंद पानी ही पीता है. उसको बनाने के लिए अमेरिका में हर साल 72 बिलियन गैलन पानी बर्बाद किया जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में साल 2004 में 154 अरब लीटर बोतलबंद पानी के लिए 770 अरब लीटर पानी का उपयोग किया गया था. भारत में भी इस प्रक्रिया के लिए 25.5 अरब लीटर पानी बहाया गया. कैलिफोर्निया के पेसिफिक इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2004 में अमेरिका में 26 अरब लीटर पानी की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों के निर्माण के लिए दो करोड़ बैरल तेल का इस्तेमाल किया गया. गौरतलब है कि प्लास्टिक की बोतलें भी भू-जल को प्रदूषित करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनती हैं. कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां भी बेतहाशा पानी का दोहन करती हैं.

ये अकारण नहीं है कि बनारस से लेकर केरल के गांव वाले इन बोतलबंद कंपनियों और कोला कंपनियों के ख़िलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. इन जगहों पर भूमिगत जल का जिस तरह दोहन किया गया है, उससे वहां पर भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है. इसी साल जनवरी में तमिलनाडु के दो मुख्य व्यापार संगठनों ने फैसला किया कि वे 1 मार्च से राज्य में कोक और पेप्सी नहीं बेचेंगे. राज्य में भूमिगत जल बचाने की मुहीम के तहत ये फैसला किया गया था. तमिलनाडु वानीगर संगम और तमिलनाडु ट्रेडर्स फेडरेशन का कहना था कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली ये दोनों कम्पनियां राज्य में मौजूद जल निकायों का दोहन कर रही हैं और सूखे के बावजूद इन दोनों कम्पनियों ने इसको जारी रखा है. देश के कई अन्य हिस्सों में भी कोल्ड ड्रिंक कम्पनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित कोकाकोला कम्पनी के मेगा प्लांट के विरोध में अब भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर ये प्लांट शुरू हो जाता है तो इसमें हर दिन 18 लाख लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा. इसे लेकर बाबई के उन 10 गांवों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी जमीनें इस प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई हैं. इससे पहले केरल के प्लाचीमाड़ा और यूपी में वाराणसी के मेंहदीगंज में कोकाकोला प्लांट को लेकर सवाल उठ चुके हैं. केरल के प्लांट के मामले में तो हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था. फिर कंपनी ने भारी मुआवजा दिया और प्लांट भी बंद करना पड़ा. लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. कोका कोला ने वहां पानी की जो माइनिंग की उसमें 15 लाख लीटर पानी हर रोज अपने प्लांट के लिए निकालती थी. यह एक तरह से धरती को पानी से खाली कर देने जैसा था. ■

feedback@chauthiduniya.com

अजय की फिल्म में होंगे संजय दत्त और फरहान

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन अपने काम को पिछले कई वर्षों से बढ़ा रहे हैं. एक अच्छे अभिनेता तो वह शुरू से ही हैं, लेकिन वह अब एक शानदार निर्माता के तौर पर भी अपने आपको बॉलीवुड में स्थापित करना चाहते हैं. इस लिहाज़ से देखा जाए तो अजय अब ऐसी फिल्में भी बनाएंगे, जिनमें वे एक्टिंग करते दिखाई नहीं देंगे. वैसे भी आजकल एक सुपरस्टार बतौर प्रोड्यूसर दूसरे सुपरस्टार को कास्ट करने से नहीं हिचकिचाते. अजय देवगन एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें संजय दत्त और फरहान अख्तर मुख्य अभिनेता के तौर पर दिखाई देंगे. इसके अलावा फिल्म का निर्देशन करेंगे निशिकांत कामत. फिल्म *भूमि* और *मलंग* की शूटिंग ख़त्म करते ही संजय दत्त इस फिल्म पर तैयारी शुरू कर देंगे. ख़बरों की मानें तो अजय की यह फिल्म अक्टूबर-नवंबर 2017 तक फ्लोर पर आ जाएगी. यह फिल्म 2018 में रिलीज हो सकती है.■

6 महीनों में बाहुबली के आगे सब फेल

दांव पर लगी हैं कई बड़ी फिल्में

प्रवीण कुमार

इस साल की पहली छमाही सलमान खान की फिल्म *टयूबलाइट* के साथ ख़त्म हो चुकी है. इसमें कोई संदेह नहीं कि इस साल बीते 6 महीनों में *बाहुबली- द कनक्लूजन* ने पूरी तरह से बाज़ी अपने नाम कर ली और दुनियाभर में तहलका मचाते हुए बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़कर कमाई की. जहां बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, वहीं हिंदी वर्जन में पांच सौ करोड़ क्लब की एक नई शुरुआत भी की. बता दें कि *बाहुबली- द कनक्लूजन* ने वर्ल्डवाइड लगभग 1680 करोड़ रुपए का करोबार किया है और चाइना में फिल्म को सितंबर में 4000 स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है.

बाहुबली-2 के बाद अगर बात की जाए तो, बॉलीवुड की ओर से ऋतिक रोशन की *काबिल*, अक्षय कुमार की *जॉली एलएलबी-2*, वरुण-*आलिया की बद्रीनाथ की दुल्हनिया* और इरफान खान की *हिंदी मीडियम* ने पहले 6 महीनों में दर्शकों का दिल जीता और फिल्म सुपरहिट रही. जबकि शाहरूख खान की फिल्म *रईस* हिट रही. वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म *काबिल*, *रईस*, *बद्रीनाथ की दुल्हनिया*, *जॉली एलएलबी-2* ने शानदार बिजनेस करते हुए सौ करोड़ के क्लब में एंट्री की है.

लेकिन इन्ही 6 महीनों में कई बिग बजट और बड़े सितारों की ऐसी फिल्में भी आईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. जिसमें पहले नंबर पर आती है सलमान खान की फिल्म *टयूबलाइट*. इस फिल्म से कहां 300 करोड़ तक की उम्मीद थी और कहां फिल्म मुश्किल से 100 करोड़ का आंकड़ा ही पार कर पाई. इतना ही नहीं, बाद में टयूबलाइट से जो नुकसान हुआ, सलमान ने उसका हर्जाना डिस्ट्रीब्यूटर्स को 50-55 करोड़ रुपए देकर पूरा किया. इसके अलावा विशाल भारद्वाज की रंगून, राम गोपाल वर्मा की सरकार 3, ओके जानू, मशीन, नूर, हाफ गर्लफ्रेंड और राब्ता जैसी फिल्में आईं, जिन्होंने बॉक्स आफिस पर पानी तक नहीं मांगा. दर्शकों ने इन सभी फिल्मों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया.

दर्शकों को अब आने वाले 6 महीनों में बड़े स्टार्स से काफी उम्मीद है कि वे अपनी फिल्मों से उनका भरपूर मनोरंजन करेंगे. इनमें अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार, सलमान खान तक शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बड़े स्टार्स की आने वाली फिल्मों के बारे में, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस साल बीते 6 महीनों में बाहुबली- द कनक्लूजन ने पूरी तरह से बाज़ी अपने नाम कर ली. इस फिल्म ने दुनियाभर में तहलका मचाते हुए बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़कर कमाई की है. बाहुबली-2 के बाद अगर बात की जाए तो बॉलीवुड की ओर से *काबिल*, *जॉली एलएलबी 2*, *बद्रीनाथ की दुल्हनिया* और *हिंदी मीडियम* जैसी फिल्मों ने पहले 6 महीने में दर्शकों का दिल जीता और फिल्म सुपरहिट रही. वहीं शाहरूख खान की फिल्म *रईस भी* हिट रही. लेकिन इन्ही 6 महीनों में कई बिग बजट और बड़े सितारों की ऐसी फिल्में भी आईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. इन फिल्मों में सलमान ख़ान जैसे सुपरस्टार की *टयूबलाइट* भी शामिल है. इसके अलावा *रंगून*, *सरकार 3*, *ओके जानू*, *मशीन*, *नूर*, *हाफ गर्लफ्रेंड* और *राब्ता* जैसी फिल्में आईं, जिन्होंने बॉक्स आफिस पर पानी तक नहीं मांगा. दर्शकों को अब आने वाले 6 महीनों में बड़े स्टारों से काफी उम्मीद है कि वे अपनी फिल्मों से उनका भरपूर मनोरंजन करेंगे.

अजय देवगन- इस साल अजय देवगन दो फिल्म *बादशाहो* और *गोलमाल अगेन* के साथ एंट्री करने वाले हैं. शिवाय के बाद अजय ने तय किया है कि वह अक्षय कुमार की राह पर चलेंगे और साल में 2 से 3 फिल्में ही करेंगे. अजय की *बादशाहो* जहां एक्शन फिल्म होगी वहीं दूसरी ओर *गोलमाल अगेन* एक कॉमेडी फिल्म है. अजय को पूरी उम्मीद है कि उनकी इस साल यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट होने के साथ-साथ, सौ करोड़ क्लब का हिस्सा भी बनेंगी.

सलमान खान- सलमान की फिल्म *टयूबलाइट* भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनका स्टारडम इतना भी नहीं गिरा कि वे अपनी फिल्मों को हिट ना करवा सकें. उनके फैंस सलमान को एक्शन करते हुए ज्यादा पसंद करते हैं और इस साल के अंत में क्रिसमस पर वह अपने फैंस को खुश करने वाले हैं. फिल्म *टाइगर जिंदा है* में सलमान फुल एक्शन अवतार में नज़र आएंगे. उम्मीद है कि इस बार टाइगर की दहाड़ से बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से हिल जाएगा.

शाहरूख खान- किंग खान की जनवरी में आई फिल्म *रईस* 100 करोड़ कमाकर हिट रही. लिहाजा, उम्मीद है कि अगस्त में उनकी आने वाली फिल्म *जब हैरी मेट सेजल* को भी दर्शक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे. इस फिल्म का नसीब पूरे तौर पर वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करता है. वैसे भी शाहरूख की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि फिल्म को हिट होने से शायद ही कोई रोक सके.

अक्षय कुमार- अक्षय की फिल्म यानि 100 करोड़ का बिजनेस. जी हां, अक्षय कुमार इस समय जो भी फिल्में कर रहे हैं, वह सौ करोड़ क्लब का हिस्सा बनती जा रही हैं. उनकी पिछली चार फिल्में इसका उदाहरण हैं. अक्षय की फिल्म *टॉयलेट एक प्रेम कथा* सामाजिक मुद्दे पर बनी है. लिहाजा, उम्मीदें ज्यादा हैं. इसके अलावा अक्षय कुमार जल्द ही सच्ची घटना पर आधारित फिल्म गोल्ड में व्यस्त हो जाएंगे. इस फिल्म की स्क्रिप्ट राजेश देवराज ने लिखी है. यह फिल्म हॉकी पर आधारित एक ड्रामा होगी. यह फिल्म *गोल्ड* भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 12 सालों पर आधारित है. फिल्म के 2018 में स्वतंत्रता दिवस के आस-पास रिलीज़ होने की संभावना है. यह फिल्म स्वतंत्र देश के रूप में भारत के पहले ओलिंपिक गोल्ड मेडल की जीत पर आधारित होगी.

वरुण धवन- फिल्म *स्टूडेंट ऑफ द इयर* से करियर शुरू करने वाले वरुण धवन ने अब तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. युवाओं में भी उनका अच्छा ख़ासा क्रेज है. वहीं फिल्म *बद्रीनाथ की दुल्हनिया* के बाद वरुण से उम्मीदें और बढ़ गई हैं. इस साल सितंबर अंत में उनकी जुड़वा-2 आने वाली है. फिल्म का क्रेज जबरदस्त है और कोई शक नहीं कि फिल्म सुपरहिट होगी.

पद्मावती- संजय लीला भंसाली की फिल्म *पद्मावती* इस साल काफी चर्चा में रही है. फिर चाहे फिल्म के सेट पर मारपीट का मामला हो या फिर फिल्म की कहानी को लेकर विरोधियों का प्रदर्शन. भंसाली की फिल्म *पद्मावती* में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर काम कर रहे हैं. फिल्म का बजट भी लगभग 180 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ की कमाई करनी होगी. फिल्म को रिलीज करने की तैयारी नवंबर में रखी गई है.

इसके अलावा भी कई ऐसे फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का दावा रखती है. इन फिल्मों में रिलीज हो चुकी *जग्गा जासूस*, *मुन्ना माइकल*, *मुबारकां* के *अलावा हसीना पारकर*, *डेडी*, *भूमि*, *परमाणु- द स्टोरी ऑफ पोखरण* आदि शामिल हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

फ्लैश बैक

ख़ुद की गलतियों से करियर बर्बाद किया था

सलमा आगा के सारे अरमां आंसुओं में बह गए

शादी के बाद सलमा ने जो फिल्में साइन की थी, उसमें से एक थी बी सुभाष की कसम पैदा करने वाले की, जिसमें सलमा ने निकाह की भूमिका के एकदम विपरीत रोल फिल्म में निभाया. सलमा ने इस फिल्म में गाने भी गाए और मिथुन के साथ डांस भी किया, जिनमें वे एकदम मिसफिट नज़र आईं. उनका अभिनय भी बुरा था. आगे चलकर सलमा की लगभग जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आईं, सभी ने दम तोड़ दिया. सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बॉलीवुड के सभी अभिनेता-अभिनेत्री किसी परिवार से कम नहीं हैं. इनके आपस में जुड़े कहीं ना कहीं से तार निकल ही आते हैं. आप इन सभी को एक परिवार के रूप में भी देख सकते हैं. देखा जाए तो बॉलीवुड में कपूर खानदान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कहीं ना कहीं हर कलाकार इनका रिश्तेदार उभर कर सामने आ ही जाता है. अब सलमा आगा को ले लीजिए. ये कपूर परिवार की दूर की रिश्तेदार हैं. इसी का फायदा लेते हुए उन्होंने बीआर चोपड़ा की फिल्म *निकाह* हासिल की थी.

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन राज कपूर ने लंदन में दिया था. सलमा की अम्मी को भी इसमें बुलाया गया था. बॉलीवुड के भी कई दिग्गज निर्माता इस रिसेप्शन में हिस्सा लेने मुंबई से आए थे. इनमें बीआर चोपड़ा भी थे. बातों ही बातों में राज कपूर ने बताया कि वे अपनी फिल्म *हिना* के लिए एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की तलाश में हैं. इसी दौरान बीआर चोपड़ा ने भी बताया कि वे आगामी फिल्म *तलाक तलाक...*के लिए एक नई मुस्लिम अभिनेत्री चाहते हैं. क्योंकि एक मुसलमान अदाकारा इस रोल के साथ बेहतर न्याय कर सकेंगी. सलमा तक ये सारी बातें पहुंच गईं और वह बीआर चोपड़ा की फिल्म हासिल करने के लिए मुंबई आ पहुंची.

निकाह की दुल्हन: गोरी, बिल्लौरी आंखों वाली तथा मुस्लिम होने के साथ कपूर खानदान के नजदीक होने का फायदा भी सलमा को मिला और बीआर चोपड़ा ने उन्हें *तलाक-तलाक...* की हीरोइन बना दिया, जो बाद में *निकाह* नाम से रिलीज हुई.

चूंकि फिल्म नायिका प्रधान थी, इसलिए स्टार कलाकार की बजाय दीपक पराशर और राज बब्बर जैसे युवा अभिनेताओं ने सलमा के साथ काम किया. अभिनय के साथ सलमा गायन में भी पारंगत हैं. उनका अलबम जब निकाह के संगीतकार रवि ने सुना तो उन्होंने सलमा से गवाने का निर्णय लिया. 1982 में रिलीज हुई *निकाह* ने बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता हासिल की. कम बजट और बिना स्टार वाली इस फिल्म की सफलता चौंकाने वाली थी. सलमा द्वारा गाए गीत दिल के अरमां के अलावा फिल्म के कई गाने काफी मशहूर हुए. फिल्म निकाह में श्रेष्ठ अभिनय के लिए उनका फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन हुआ. बेस्ट फीमेल सिंगर का अवॉर्ड उन्हें मिला. इसके बाद तो सलमा के पास निर्माताओं की लाइन ही लग गई.

शादी और तलाक: तेजी से उभर कर सामने आईं सलमा से जो आशाएं थीं, उस पर वे खरी नहीं उतर पाईं. इसके लिए वे ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार थीं. इश्क के चक्कर में वे ऐसी उलझीं कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने भी उनसे दूरी बना ली. न्यूयॉर्क के व्यापारी मेहमूद सिप्रा, सलमा के दीवाने थे. वे सलमा को अपनी बेगम बनाना चाहते थे. इसलिए निर्माता बनकर उन्होंने सलमा को लेकर बेगम, साहिबा और बेवसी नामक फिल्में शुरू कर दी. प्यार में सलमा ने बॉलीवुड निर्माताओं के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया.

कुछ समय बाद अचानक शादी करने की वजह से बॉलीवुड निर्माताओं ने सलमा के नाम पर विचार करना बंद कर दिया. मेहमूद सिप्रा ने सलमा को पाने के लिए ही फिल्में बनानी शुरू की थीं. फिल्में आधी भी नहीं बन पाई थी कि उनका इश्क का बुखार उतर गया और वे अलग हो गए.

शादी के बाद सलमा ने जो कुछ फिल्में साइन की थी, उसमें से एक थी बी.सुभाष की *कसम पैदा करने वाले की*, जिसमें सलमा ने फिल्म निकाह की भूमिका के एकदम विपरीत रोल फिल्म में निभाया. सलमा ने इस फिल्म में गाने भी गाए और मिथुन के साथ डांस भी किया, जिनमें वे एकदम मिसफिट नज़र आईं. उनका अभिनय भी बुरा था. आगे चलकर सलमा की लगभग जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आईं, सभी ने दम तोड़ दिया. सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा. इसी बीच सलमा ने जावेद शेख से शादी कर कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन कर ली. यहां तक कि बाद में उन्होंने सी ग्रेड तक की फिल्म *जंगल की बेटी (1988)* में भी काम किया. इस फिल्म में उन्होंने अंग प्रदर्शन भी किया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

सलमा हिंदी सिनेमा में बिजली की तरह चमकी जरूर, मगर उनका करियर छोटा रहा. निकाह फिल्म का गाना सलमा के जीवन पर एकदम फिट बैठता है-*दिल के अरमां आंसुओं में बह गए.*

प्रमुख फिल्में : निकाह (1982), कसम पैदा करने वाले की (1984), सलमा (1985), लोग (1985), पति पत्नी और तवायफ (1990), मीत मेरे मन के (1991).■

feedback@chauthiduniya.com